इतिहास और नागरिक शास्त्र

सातवीं कक्षा

अटक

दिल्ली

कटक

रायगढ़

जिंजी

तंजावुर

भारत का संविधान

भाग 4 क

मूल कर्तव्य

अनुच्छेद 51 क

मूल कर्तव्य– भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखें;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले;

(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे ।

शासन निर्णय क्रमांक : अभ्यास-२११६/(प्र.क्र.४३/१६) एसडी-४ दिनांक २५.४.२०१६ के अनुसार समन्वय समिति का गठन किया गया। दि. ३.३.२०१७ को हुई इस समिति की बैठक में यह पाठ्यपुस्तक निर्धारित करने हेतु मान्यता प्रदान की गई।

इतिहास और नागरिक शास्त्र

सातवीं कक्षा

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.

आपके स्मार्टफोन में 'DIKSHA App' द्वारा, पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर Q.R. Code के माध्यम से डिजिटल पाठ्यपुस्तक एवं प्रत्येक पाठ में अंतर्निहित Q.R. Code में अध्ययन अध्यापन के लिए पाठ से संबंधित उपयुक्त दृक-श्राव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रथमावृत्ति : २०१७
पुनर्मुद्रण : सितम्बर २०२०

© महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे – ४११००४

इस पुस्तक का सर्वाधिकार महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ के अधीन सुरक्षित है। इस पुस्तक का कोई भी भाग महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ के संचालक की लिखित अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता।

इतिहास विषय समिति

डॉ. सदानंद मोरे, अध्यक्ष
श्री मोहन शेटे, सदस्य
श्री पांडुरंग बलकवडे, सदस्य
डॉ. अभिराम दीक्षित, सदस्य
श्री बापूसाहेब शिंदे, सदस्य
श्री बाळकृष्ण चोपडे, सदस्य
श्री प्रशांत सरूडकर, सदस्य
श्री मोगल जाधव, सदस्य-सचिव

नागरिक शास्त्र विषय समिति

डॉ. श्रीकांत परांजपे, अध्यक्ष
प्रा. साधना कुलकर्णी, सदस्य
डॉ. मोहन काशीकर, सदस्य
श्री वैजनाथ काळे, सदस्य
श्री मोगल जाधव, सदस्य-सचिव

लेखिका

डॉ.शुभांगना अत्रे
प्रा.साधना कुलकर्णी

भाषांतरकार

प्रा.शशि मुरलीधर निघोजकर

समीक्षक

डॉ.प्रमोद शुक्ल

भाषांतर संयोजन

डॉ. अलका पोतदार
विशेषाधिकारी, हिंदी

संयोजन सहायक

सौ.संध्या वि. उपासनी
विषय सहायक, हिंदी

निमंत्रित

डॉ.सोमनाथ रोडे, डॉ.गणेश राऊत

मुखपृष्ठ एवं सजावट

श्री देवदत्त प्रकाश बलकवडे

किले के छायाचित्र (फोटो)

श्री प्रविण भोसले

मानचित्रकार

श्री रविकिरण जाधव

अक्षरांकन

मुद्रा विभाग, पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे

कागज

७० जी.एस.एम. क्रिमवोव

मुद्रणादेश

मुद्रक

इतिहास और नागरिक शास्त्र अभ्यास गट

श्री राहुल प्रभू
श्री संजय वझरेकर
श्री सुभाष राठोड
सौ. सुनीता दळवी
डॉ. शिवानी लिमये
श्री भाऊसाहेब उमाटे
डॉ. नागनाथ येवले
श्री सदानंद डोंगरे
श्री रवींद्र पाटील
श्री विक्रम अडसूळ
सौ. रूपाली गिरकर
डॉ. मिनाक्षी उपाध्याय
सौ. कांचन केतकर
सौ. शिवकन्या पटवे
डॉ. अनिल सिंगारे
डॉ. रावसाहेब शेळके
श्री मरीबा चंदनशिवे
श्री संतोष शिंदे
डॉ सतीश चापले
श्री विशाल कुलकर्णी
श्री शेखर पाटील
श्री संजय मेहता
श्री रामदास ठाकर
डॉ. अजित आपटे
डॉ. मोहन खडसे
सौ. शिवकन्या कदेरकर
श्री गौतम डांगे
डॉ. व्यंकटेश खरात
श्री रविंद्र जिंदे
डॉ. प्रभाकर लोंढे

संयोजक

श्री मोगल जाधव
विशेषाधिकारी, इतिहास व नागरिकशास्त्र
सौ. वर्षा सरोदे
विषय सहायक, इतिहास व नागरिकशास्त्र
पाठ्यपुस्तक मंडळ, पुणे.

निर्मिति

श्री सच्चितानंद आफळे,
मुख्य निर्मिति अधिकारी
श्री प्रभाकर परब,
निर्मिति अधिकारी
श्री शशांक कणिकदळे,
सहायक निर्मिति अधिकारी

प्रकाशक

श्री विवेक उत्तम गोसावी, नियंत्रक
पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळ, प्रभादेवी, मुंबई-२५

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक **संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य** बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक **न्याय,**

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की **स्वतंत्रता,**

प्रतिष्ठा और अवसर की **समता**

प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली **बंधुता**

बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर **अपनी इस संविधान सभा में** आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) **को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।**

राष्ट्रगीत

जनगणमन – अधिनायक जय हे
भारत – भाग्यविधाता ।
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा,
द्राविड, उत्कल, बंग,
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा,
उच्छल जलधितरंग,
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिस मागे,
गाहे तव जयगाथा,
जनगण मंगलदायक जय हे,
भारत – भाग्यविधाता ।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय, जय हे ।।

प्रतिज्ञा

भारत मेरा देश है । सभी भारतीय मेरे भाई-बहन हैं ।

मुझे अपने देश से प्यार है । अपने देश की समृद्ध तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है ।

मैं हमेशा प्रयत्न करूँगा/करूँगी कि उन परंपराओं का सफल अनुयायी बनने की क्षमता मुझे प्राप्त हो ।

मैं अपने माता-पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करूँगा/करूँगी और हर एक से सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूँगा/करूँगी ।

मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि मैं अपने देश और अपने देशवासियों के प्रति निष्ठा रखूँगा/रखूँगी । उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है ।

प्रस्तावना

विद्यार्थी मित्रो,

तीसरी से पाँचवीं कक्षा तक इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय का अध्ययन तुमने 'परिसर अध्ययन भाग-१' एवं 'परिसर अध्ययन भाग-२' में किया है । छठी कक्षा से पाठ्यक्रम में इतिहास और नागरिक शास्त्र स्वतंत्र विषय हैं । छठी कक्षा से इन दोनों विषयों का समावेश एक ही पाठ्यपुस्तक में किया गया है । सातवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक तुम्हारे हाथों में सौंपते हुए हमें आनंद हो रहा है ।

यह विषय ठीक से समझ में आए, मनोरंजक लगे, हमारे पूर्वजों द्‌वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा मिले; इस उद्‌देश्य से पाठ्यपुस्तक की रचना की गई है । इस पाठ्यपुस्तक के अध्ययन द्‌वारा तुम्हें ज्ञान के साथ-साथ आनंद भी प्राप्त होगा; ऐसा हमें लगता है । इस हेतु पाठ्यपुस्तक में रंगीन चित्र, मानचित्र दिए गए हैं । पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करो । इसका जो भाग तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, वह शिक्षक, अभिभावक द्‌वारा समझो । चौखटों में दी गई जानकारी तुम्हारे ज्ञान में वृद्‌धि ही करेगी ! इतिहास मनोरंजक विषय है और वह हमारा मित्र है, ऐसा मानकर यदि इस पुस्तक का अध्ययन करोगे तो निश्चित ही इतिहास के प्रति तुम्हें रुचि अनुभव होगी ।

इतिहास के भाग में 'मध्यकालीन भारत का इतिहास' दिया गया है । मध्यकालीन भारत के निर्माण में महाराष्ट्र के स्थान और भूमिका को केंद्र में रखकर पाठ्यपुस्तक की रचना की गई है । इसके द्‌वारा तुम्हें इस बात का बोध होना भी अपेक्षित है कि यदि हम भारत के नागरिक हैं तो साथ-साथ हमें कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए ।

नागरिक शास्त्र के भाग में भारतीय संविधान की पहचान कराई गई है । भारत के संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि, संविधान की उद्‌देशिका और संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्‌धांतों को प्रस्तुत किया गया है । तुम्हारा अध्ययन अधिक-से-अधिक कृतिप्रधान हो, इसके लिए उपक्रम दिए गए हैं । हम देश के भावी नागरिक हैं और हम देश का भविष्य बनाएँगे; यह बोध करते हुए ही तुम अगली कक्षा में प्रवेश करोगे ।

इतिहास के अध्ययन द्‌वारा हमें अपने पूर्वजों के पराक्रम और वीरता का ज्ञान प्राप्त होता है । इसी को नागरिक शास्त्र के अध्ययन का पुट मिल जाए तो हमारी समझ में यह भी आएगा कि देश और समाज का भविष्य निर्माण करने की दृष्टि से हमारे क्या कर्तव्य हैं । इसी के लिए यह संयुक्त अध्ययन का उपक्रम है ।

(डॉ.सुनिल मगर)
संचालक
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व
अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे

पुणे
दिनांक : २८ मार्च २०१७

– शिक्षकों के लिए –

हमने छठी कक्षा में इतिहास और नागरिक शास्त्र विषयों की पाठ्यपुस्तकों का अध्यापन कार्य किया ही है । सातवीं कक्षा की प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक में मध्यकालीन भारतीय इतिहास को प्रस्तुत किया गया है ।

इतिहास की इस प्रस्तुति की विशेषता यह है कि यह प्रस्तुति महाराष्ट्र केंद्रित है । हमारा प्रदेश यद्यपि भारतीय संघराज्य का एक अंग है फिर भी इतिहास का आकलन करते समय महाराष्ट्र की दृष्टि से अर्थात भारत के इतिहास में महाराष्ट्र का स्थान, भूमिका और उसके द्वारा दिए गए योगदान को सामने रखकर समझने का प्रयास करें तो विद्यार्थियों की राष्ट्रभावना अधिक परिपक्व होगी । हमारे पूर्वजों ने राष्ट्र के लिए निश्चित रूप से क्या किया है; इसका बोध होगा और इसी के द्वारा हमारे वर्तमान राष्ट्रीय दायित्व और कर्तव्य की अनुभूति भी अधिक विकसित होगी ।

इस संदर्भ में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित किया गया स्वराज्य स्वाभाविक रूप से महत्त्वपूर्ण सिद्ध होता है । स्वराज्य निर्माण को समझने के लिए शिवाजी महाराज का उदय होने से पूर्व की भारत और महाराष्ट्र में प्रचलित परिस्थितियों का आकलन करना होगा अर्थात भारत के इतिहास का आकलन करना होगा । इसी नीति को ध्यान में रखकर पुस्तक की रचना की गई है । शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित स्वराज्य पर शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात उत्तर से हुए आक्रमणों का सामना महाराष्ट्र ने किस प्रकार किया और किस प्रकार अपने स्वराज्य की रक्षा की; इसपर विचार-विमर्श किया गया है । इन आक्रमणों को विफल बनाने के बाद मराठों ने महाराष्ट्र की सीमाओं का विस्तार किया और अधिकांश भारत व्याप्त कर लिया । स्वराज्य का साम्राज्य में रूपांतर का विवेचन; यह उसका अगला हिस्सा है । यह तो सभी को ज्ञात है कि अंग्रेजों ने भारत पर विजय पाई और यहाँ शासन भी चलाया परंतु इस प्रक्रिया में अंग्रेजों को रोकने में महाराष्ट्र किस प्रकार अग्रसर था, इसे समझना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है । अंग्रेजों की प्रतिद्वंद्विता मराठों के साथ थी और उन्होंने भारत पर विजय पाई; लेकिन इसके लिए उन्हें मराठों से युद्ध करना पड़ा । यह बोध हमारी सामर्थ्य और कर्तव्य का है । अतः अध्ययन-अध्यापन करते समय यह भावना विद्यार्थियों के मन में अंकित होना अपेक्षित है । पाठ्यपुस्तक के इस दृष्टिकोण को चित्ररूप में मुखपृष्ठ पर व्यक्त किया गया है तथा मुखपृष्ठ पर मराठी सत्ता का विस्तार दर्शाने के लिए भारत के स्थूल मानचित्र का उपयोग किया गया है ।

नागरिक शास्त्र के भाग में भारत के संविधान का परिचय कराया गया है । इस विषय को एक ही शैक्षिक वर्ष में पढ़ाना संभव नहीं है । अतः इस विषय को दो कक्षाओं में विभाजित किया गया है । इस कक्षा में संविधान की आवश्यकता, संविधान में उल्लिखित मूल्य, उद्देशिका, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य और नीति निदेशक सिद्धांतों जैसे घटकों पर बल दिया गया है । संविधान में उल्लिखित शासन व्यवस्था का स्वरूप और उसपर आधारित राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन आठवीं कक्षा में करेंगे । इस दृष्टि से सातवीं तथा आठवीं कक्षा के नागरिक शास्त्र की विषयवस्तु एक-दूसरे की पूरक हैं । इसका आकलन विद्यार्थियों को भली-भाँति होगा और इसी दृष्टि से विषय की प्रस्तुति की गई है । विषयवस्तु की प्रस्तुति नवीनतापूर्ण ढंग से की गई है । वह ज्ञानरचनावाद पर आधारित है परंतु इसके परे जाकर राजनीतिक व्यवस्था के प्रति व्याप्त उदासीनता को दूर कर विद्यार्थियों को समाज का अंग बनाने हेतु प्राथमिकता दी गई है । विषयवस्तु की प्रस्तुति अत्यंत सरल भाषा में की गई है । इससे पाठ्यपुस्तक की पठनीयता में वृद्धि होने हेतु सहायता प्राप्त होगी ।

प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक का अध्यापन करते समय शिक्षक समाचारपत्रों, दूरदर्शन के समाचारों, विषयतज्ञों द्वारा किए गए विश्लेषणात्मक अध्ययन का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों में समग्र दृष्टिकोण विकसित होने हेतु सहायता करें । इतिहास और नागरिक शास्त्र का अध्ययन-अध्यापन वर्तमान घटनाओं के संदर्भ में करें तो वह कार्य अधिक सार्थक तो होगा ही परंतु इसी के साथ विद्यार्थियों को मूल्य आत्मसात करने में उनसे सहयोग प्राप्त होता है । हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ मूल रूप में रखी गई हैं ।

अनुक्रमणिका

मध्यकालीन भारत का इतिहास

क्र.	पाठ का नाम	पृष्ठ क्र.
१.	इतिहास के साधन	१
२.	शिवाजी महाराज से पूर्व का भारत	५
३.	धार्मिक सौहार्द	११
४.	शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र	१४
५.	स्वराज्य की स्थापना	१९
६.	मुगलों से संघर्ष	२४
७.	स्वराज्य का प्रशासन	२९
८.	आदर्श शासक	३३
९.	मराठों का स्वतंत्रता युद्ध	३७
१०.	मराठी सत्ता का विस्तार	४४
११.	राष्ट्ररक्षक मराठे	४७
१२.	साम्राज्य की प्रगति	५३
१३.	महाराष्ट्र में सामाजिक जीवन	५७

S.O.I. Note : The following foot notes are applicable : (1) © Government of India, Copyright : 2017. (2) The responsibility for the correctness of internal details rests with the publisher. (3) The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line. (4) The administrative headquarters of Chandigarh, Haryana and Punjab are at Chandigarh. (5) The interstate boundaries amongst Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya shown on this map are as interpreted from the "North-Eastern Areas (Reorganisation) Act. 1971," but have yet to be verified. (6) The external boundaries and coastlines of India agree with the Record/Master Copy certified by Survey of India. (7) The state boundaries between Uttarakhand & Uttar Pradesh, Bihar & Jharkhand and Chattisgarh & Madhya Pradesh have not been verified by the Governments concerned. (8) The spellings of names in this map, have been taken from various sources.

इतिहास अध्ययन निष्पत्ति : सातवीं कक्षा

सुझाई गई शिक्षा प्रक्रिया	अध्ययन निष्पत्ति
विद्यार्थियों को जोड़ी में/गुट में/ व्यक्तिगत रूप में अध्ययन का मौका देना और उन्हें निम्न बातों के लिए प्रेरित करना । • पुस्तकें तथा स्थानीय परिसर में उपलब्ध ऐतिहासिक साधन उदा. हस्तलिखित/मानचित्र/स्पष्टीकरण/चित्र ऐतिहासिक वास्तु/फिल्म/चरित्रप्रधान/नाटक/दूरदर्शन/धारावाहिक, लोककला/नाटक पहचानना तथा उनका तत्कालीन कालखंड का इतिहास समझने की दृष्टि से संदर्भानुसार अर्थ लगाना । • उस विशिष्ट समय के घराने / राजवंश के उदय से परिचित होना तथा उस कालखंड की महत्त्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी कालरेखा के आधार से प्राप्त करना । • दिए हुए कालखंड की महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना/ व्यक्तित्व का नाट्यीकरण/प्रस्तुतीकरण करना । उदा. रजिया सुलतान, सम्राट अकबर आदि । • मध्ययुगीन काल में समाज में आए परिवर्तन पर मत प्रदर्शित करना एवं वर्तमानकाल से उसकी तुलना करना । • प्रकल्प / परियोजना – घराने / राज्य / प्रशासकीय सुधार विशिष्ट कालखंड के स्थापत्य की विशेषताएँ । उदाहरण के लिए – खिल्जी, मुगल आदि पर परियोजना बनाना । • नवीन धार्मिक प्रवाह और आंदोलन की शुरुआत के लिए कारण बनी बातों का परिचय, संतों के अभंग, भजन, कीर्तन, कव्वाली के माध्यम से करा लेना । आसपास के दरगाह, गुरुद्वारा, मंदिर–जो भक्ति आंदोलन/सूफी पंथ से संबंधित हैं, उनकी जानकारी लेकर, विविध धर्मतत्त्वों पर चर्चा करना । • शिवपूर्वकालीन भारत, शिवपूर्वकालीन महाराष्ट्र, स्वतंत्रता संग्राम, पेशवाकाल और मराठी सत्ता का विस्तार आदि की जानकारी प्राप्त करना ।	**विद्यार्थी –** • इतिहास के विविध साधनों को पहचानते हैं और उनका वर्तमानकालीन इतिहास के पुनर्लेखन के लिए उपयोग स्पष्ट करते हैं । • इतिहास में विभिन्न कालों का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्रोतों के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं । • मराठा और मुगलों के संघर्ष का विश्लेषणात्मक दृष्टि से अध्ययन करते हैं । • शिवराज्याभिषेक के कारणों को स्पष्ट करते हैं । • मध्यकाल के दौरान एक स्थान पर हुए महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक बदलावों को दूसरे स्थान पर होने वाले बदलावों के साथ जोड़कर देखते हैं । • मध्यकाल के दौरान हुए सामाजिक–राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों का विश्लेषण करते हैं । • छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा लष्करी नियंत्रण के लिए प्रयोग किए गए प्रशासकीय मार्ग तथा व्यूहरचना का विश्लेषण करते हैं । • मंदिरों, मकबरों और मस्जिदों के निर्माण में प्रयुक्त की गईं विशिष्ट शैलियों और तकनीक की विशेषताओं का उदाहरणों के साथ वर्णन करते हैं । • संतों की सीख में होने वाली समानता को पहचानते हैं । • भक्ति और सूफी संतों के काव्य में कही बातों से मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं । • पानीपत की लड़ाई के कारणों की जाँच पड़ताल करते हैं । • मराठी सत्ता का अखिल भारतीय स्तरपर शक्तिशाली सत्ता के रूप में उदय हुआ, इस बात को तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं द्वारा स्पष्ट करते हैं ।

१. इतिहास के साधन

पिछले वर्ष हमने भारत के प्राचीन कालखंड का अध्ययन किया है। इस वर्ष हम मध्यकालीन कालखंड का अध्ययन करेंगे । भारतीय इतिहास में मध्यकाल मोटे तौर पर ई. स. नौवीं शताब्दी से अठारहवीं शताब्दी के अंत तक माना जाता है । इस पाठ में हम मध्यकालीन इतिहास के साधनों का अध्ययन करेंगे ।

भूतकाल में घटित घटनाओं के कालक्रम के अनुसार प्रामाणिक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दी गई जानकारी को इतिहास कहते हैं।

क्या तुम जानते हो ?

इतिहास शब्द 'इति+ह+आस्' द्वारा निर्मित है। इस शब्द का अर्थ 'ऐसा हुआ' है।

इतिहास की दृष्टि से व्यक्ति, समाज, स्थान और काल ये चार घटक अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। इतिहास को विश्वसनीय प्रमाणों पर आधारित होना आवश्यक है। इन प्रमाणों को ही इतिहास के साधन कहते हैं।

हम इन साधनों का वर्गीकरण भौतिक साधन, लिखित साधन और मौखिक साधन में करेंगे । उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे तथा इतिहास के इन साधनों का मूल्यांकन भी करेंगे ।

जिस ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करना है; उससे संबंधित अनेक घटकों का विचार करना पड़ता है। इसके लिए ऐतिहासिक साधनों का आधार लेना पड़ता है। इन साधनों की जाँच-पड़ताल करना आवश्यक होता है। उनकी प्रामाणिकता और सत्यता की पड़ताल करनी पड़ती है। इन साधनों का उपयोग अत्यंत सूझ-बूझ और विश्लेषणात्मक पद्धति द्वारा करना आवश्यक होता है।

भौतिक साधन

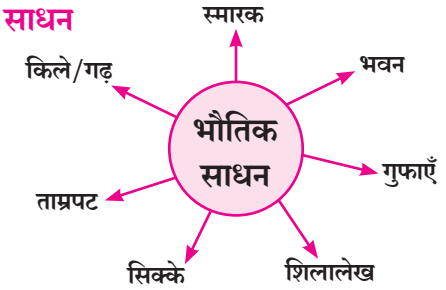

उपरोक्त वस्तुओं और भवनों अथवा उनके अवशेषों को इतिहास के 'भौतिक साधन' कहते हैं।

भौतिक साधनों में किलों अथवा गढ़ों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। किलों अथवा गढ़ों के कुछ महत्त्वपूर्ण भेद हैं जैसे- गिरिदुर्ग, वनदुर्ग, जलदुर्ग और जमीनी किला। इसी तरह स्मारकों में समाधि, मकबरा, उकेरे हुए छोटे शिलालेख (वीरगल) तथा भवनों में-रजवाड़ा, मंत्रिनिवास, रनिवास, सामान्य लोगों के मकान आदि का समावेश होता है। इनके आधार पर हमें उस कालखंड का बोध होता है। वास्तुकला में हुई उन्नति से परिचय प्राप्त होता है। उस कालखंड की आर्थिक स्थिति, कला की ऊँचाई, निर्माणकार्य शैली और लोगों के जीवन स्तर आदि की जानकारी मिलती है।

बताओ तो

सिक्कों द्वारा इतिहास की जानकारी किस प्रकार प्राप्त होती है।

समझें

प्राचीन समय से कौड़ी, दमड़ी, धेला, पाई पैसा, आना, रुपया जैसे सिक्के प्रचलन में थे। सिक्कों के कारण कुछ कहावतें/लोकोक्तियाँ प्रचलित हुई हैं। जैसे-

* फूटी कौड़ी भी नहीं दूँगा।
* चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए।
* पाई-पाई का हिसाब रखना।
* सोलह आना सच।

उकेरे हुए छोटे शिलालेख (वीरगल)

इतिहास के साधन के रूप में विभिन्न शासकों द्वारा सोना, चांदी, तांबा जैसी धातुओं का उपयोग कर ढाले गए सिक्के महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। सिक्कों के आधार पर वे शासक कौन थे, उनका कार्यकाल, उनकी शासन व्यवस्था, धार्मिक अवधारणाएँ, व्यक्तिगत विवरण आदि की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही, आर्थिक गतिविधियों और आर्थिक स्थितियों की जानकारी मिलती है। उस कालखंड के धातुविज्ञान में हुई प्रगति ध्यान में आती है। सम्राट अकबर के सिक्कों पर अंकित राम-सीता का चित्र अथवा हैदरअली के सिक्कों पर अंकित शिव-पार्वती की प्रतिमा के आधार पर उस कालखंड में प्रचलित धार्मिक समन्वय का बोध होता है। पेशवाओं के सिक्कों पर अरबी अथवा फारसी भाषा का उपयोग किया जाता था। इससे उस कालखंड में चलने वाले भाषा व्यवहार का ज्ञान होता है।

पेशवाकालीन सिक्के

हैदरअली के सिक्के

पत्थर अथवा दीवार पर उकेरे गए लेखों को शिलालेख कहते हैं। जैसे- तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर के परिसर में उकेरे गए लेख, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चोल और यादव शासकों के कार्यकाल में उकेरे गए अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। शिलालेख इतिहास लेखन का अत्यंत महत्त्वपूर्ण और विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है। इसके द्वारा भाषा, लिपि, समाज जीवन जैसे घटकों को समझने में सहायता प्राप्त होती है। तांबे के पत्तर पर उकेरे गए लेखों को 'ताम्रपट' कहते हैं। इन ताम्रपटों पर राजाओं के आदेश, निर्णय आदि जानकारी उकेरी हुई होती है ।

क्या तुम जानते हो ?

चैत्य, विहार, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिदें, अगियारी, दरगाहें, मकबरे, गुरुद्वारा, छतरी, शिल्प, विभिन्न कोणोंवाले पक्के, गहरे और बड़े कुएँ, मीनारें, ग्रामसीमाएँ, शस्त्र, बरतन, आभूषण, वस्त्र, हस्तकला की कलात्मक वस्तुएँ, खिलौने, औजार, वाद्य आदि भौतिक साधन हैं ।

लिखित साधन : उस कालखंड की देवनागरी, अरबी, फारसी, सर्राफा (घसीटा) आदि लिपियों की बनावट तथा शैली, विभिन्न भाषाओं के रूप, भोजपत्रों, पोथियों, ग्रंथों, आदेशपत्रों, चरित्रों, चित्रों द्वारा हमें मध्यकाल की महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही विविध व्यंजन, लोकजीवन, वेशभूषा, आचार-विचार, तीज-त्योहार की भी जानकारी मिलती है।

इस पूरी सामग्री को इतिहास के 'लिखित साधन' कहते हैं ।

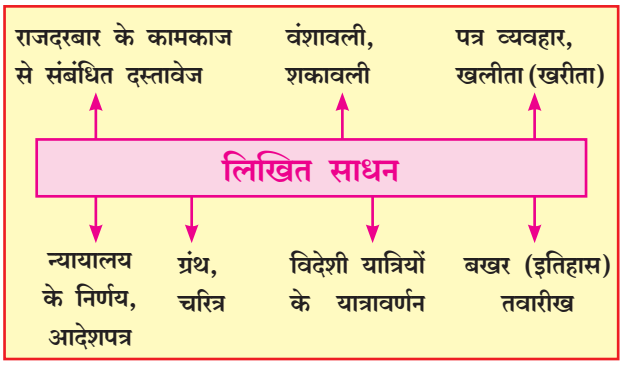

इस कालखंड में विदेशी यात्री भारत में आए। उन्होंने अपना-अपना यात्रा साहित्य लिख रखा है । उसमें अल् बैरूनी, इब्न-ए बतूता, निकोलस मनुची का समावेश होता है। बाबर का चरित्र, कवि परमानंद द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित शिवचरित्र- 'श्रीशिवभारत' तथा विभिन्न शासकों के चरित्र एवं पत्रव्यवहार के आधार पर हम उन शासकों की नीतियों, प्रशासकीय प्रबंधन तथा राजनीतिक संबंधों को समझ सकते हैं।

तवारीख अथवा तारीख का अर्थ घटनाक्रम अथवा इतिहास होता है। अल् बैरूनी, जियाउद्दीन बरनी, मौलाना अहमद, याह्या-बिन-अहमद, मिर्जा हैदर, भीमसेन सक्सेना आदि द्वारा लिखी गई तवारीखें उपलब्ध हैं।

बखर शब्द खबर शब्द से बना है। खबर का अर्थ समाचार है । महाराष्ट्र में 'बखर' इतिहास लेखन का एक प्रकार है । बखर द्वारा तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं, भाषा व्यवहार, सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक स्थितियों जैसे घटकों को समझने में सहायता प्राप्त होती है । मराठी में अनेक 'बखरें' घटनाएँ घटित हो जाने के कई वर्षों के बाद लिखी गई हैं । फलतः उनमें कई बार सुनी-सुनाई जानकारी पर बल दिया गया पाया जाता है। महिकावती की बखर, सभासद की बखर, एक्याण्णव कलमी बखर चिटणीस की बखर, भाऊसाहेब की बखर, खर्डा युद्ध की बखर आदि कुछ बखरें हैं। समकालीन पश्चिमी इतिहासकार रॉबर्ट आर्म, एम. सी. स्प्रेंगल और ग्रांट डफ द्वारा लिखित ग्रंथ भी महत्त्वपूर्ण हैं।

करके देखो

- पोवाडा, आदिवासी गीतों का संग्रह बनाओ।
- विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में उनको प्रस्तुत करो।

मौखिक साधन : लोकपरंपरा में पीढ़ी-दर-पीढ़ी संक्रमित होती रहीं ओवियाँ (चक्की के गीत), लोकगीत, पोवाडे, कहानियाँ, दंतकथाएँ, मिथकीय गाथाएँ आदि द्वारा हम लोकजीवन के विविध पहलुओं को समझ सकते हैं। इन साधनों को इतिहास के 'मौखिक साधन' कहते हैं ।

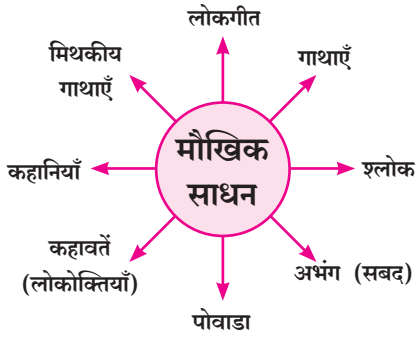

उपरोक्त तीनों प्रकारों के साधनों के आधार पर इतिहास लिखा जाता है। यद्यपि इतिहास एक बार लिखा जाए; फिर भी उस विषय से संबंधित अनुसंधान अथवा शोधकार्य निरंतर चलता रहता है। इस अनुसंधान अथवा शोधकार्य द्वारा नए साधन, नई जानकारी प्रकाश में आती है। उसके आधार पर इतिहास का पुनर्लेखन करना पड़ता है। जैसे- हमारे दादा जी-दादी जी के समय की, माता-

क्या तुम जानते हो ?

तानाजी का पोवाड़ा : इस पोवाडे के रचयिता तुलशीदास शाहीर (शौर्यकाव्य रचनाकार) हैं। इस पोवाडा में सिंहगढ़ अभियान का वर्णन मिलता है। इस पोवाडा में तानाजी, शेलार मामा, शिवाजी महाराज, वीरमाता जिजाबाई के सुंदर स्वभाव का चित्रण पाया जाता है ।

इस पोवाडे का कुछ अंश यहाँ दिया गया है ।

मामा बोलाया तो लागला । ऐंशी वर्षींचा म्हातारा ।।
'' लगिन राहिले रायबाचे तो मजला सांगावी ।।
माझ्या तानाजी सुभेदारा । जे गेले सिंहगडाला ।।
त्याचे पाठिरे पाहिले । नाही पुढारे पाहिले ।।
ज्याने आंबारे खाईला । बाठा बुजरा लाविला ।।
त्याचे झाड होउनि आंबे बांधले ।
किल्ला हाती नाही आला ।।
सिंहगड किल्ल्याची वार्ता ।
काढू नको तानाजी सुभेदारा ।।
जे गेले सिंहगडाला । ते मरूनशानी गेले ।।
तुमचा सपाटा होईल । असे बोलू नको रे मामा ।।
आम्ही सूरमर्द क्षत्री । नाही भिणार मरणाला ।।''

पिता के समय की और हमारे समय की इतिहास की पुस्तकों में थोड़ा-बहुत अंतर पाया जाता है।

बोलना चाहिए

ऐतिहासिक साधनों का संवर्धन करने के उपाय सुझाओ।

ऐतिहासिक साधनों का मूल्यांकन : इन सभी साधनों को उपयोग में लाने से पूर्व कुछ सावधानी बरतना आवश्यक होता है। उन साधनों की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता की पड़ताल करनी पड़ती है। उनमें मौलिक साधन कौन-से हैं; और जाली कौन-से हैं, उसकी खोज करनी पड़ती है । अंतर्गत प्रमाणों की पड़ताल कर उन साधनों की श्रेणी निश्चित की जाती है। लेखकों का सच-झूठ, उनके व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ण संबंध, कालखंड, राजनीतिक दबाव आदि का भी अध्ययन करना आवश्यक होता है। दी गई जानकारी सुनी-सुनाई है अथवा उन्होंने स्वयं देखी है; इसका भी महत्त्व होता है। लेखन में प्रयुक्त अतिशयोक्तियाँ, प्रतिमाएँ, प्रतीक, अलंकार आदि का भी विचार करना पड़ता है। अन्य समकालीन साधनों के साथ उस जानकारी की पड़ताल करनी पड़ती है। प्राप्त जानकारी एकांगी, विसंगतिपूर्ण और अतिशयोक्तिपूर्ण होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। अतः उनका उपयोग सूझ-बूझ के साथ किया जाना चाहिए। इन साधनों का उपयोग सदैव विश्लेषण के पश्चात करने की सावधानी बरतनी चाहिए। इतिहास का लेखन करते समय लेखक की निष्पक्षता और तटस्थता को असाधारण महत्त्व रहता है ।

स्वाध्याय

१. निम्नलिखित चौखटों में छिपे ऐतिहासिक साधनों के नाम ढूँढ़कर लिखो :

त	ता	दं	त	क	था
वा	क	म्र	अ	त्र	पो
री	ग	श्लो	प	वा	लो
ख	त	श	डा	ट	क
च	दे	ख	री	ता	गी
आ	शि	ला	ले	ख	त

२. लेखन करो :

(१) स्मारकों में किन बातों का समावेश होता है?

(२) तवारीख किसे कहते हैं?

(३) इतिहास के लेखन कार्य में लेखक के कौन-से गुण महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं?

३. समूह में से अलग शब्द ढूँढ़कर लिखो :

(१) भौतिक साधन, लिखित साधन, अलिखित साधन, मौखिक साधन

(२) स्मारक, सिक्के, गुफाएँ, कहानियाँ

(३) भोजपत्र, मंदिर, ग्रंथ, चित्र

(४) ओवियाँ (सबद), तवारीखें, कहानियाँ, मिथकीय कहानियाँ

४. अवधारणाएँ स्पष्ट करो :

(१) भौतिक साधन

(२) लिखित साधन

(३) मौखिक साधन

५. क्या ऐतिहासिक साधनों का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है ? अपने विचार लिखो ।

६. तुम अपने विचार लिखो :

(१) शिलालेख को इतिहास लेखन का विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है ।

(२) मौखिक साधनों द्वारा लोकजीवन के विभिन्न पहलू ध्यान में आते हैं ।

उपक्रम

निकटस्थ किसी वस्तुसंग्रहालय में जाओ । जिस कालखंड के इतिहास का तुम अध्ययन कर रहे हो; उस काल के इतिहास के साधनों की जानकारी प्राप्त करो और उपक्रम कॉपी में लिखो ।

२. शिवाजी महाराज से पूर्व का भारत

इस पाठ में हम शिवाजी महाराज से पूर्वकाल में भारत में जो विभिन्न राजसत्ताएँ थीं; उनका अध्ययन करेंगे। इस कालखंड में भारत में विभिन्न राजसत्ताएँ अस्तित्व में थीं।

आठवीं शताब्दी में बंगाल में 'पाल' विख्यात राजवंश था। मध्य भारत में गुर्जर-प्रतिहार सत्ताओं ने आंध्र, कलिंग, विदर्भ, पश्चिम काठियावाड़, कन्नौज और गुजरात तक सत्ता विस्तार किया।

उत्तर भारत के राजपूत वंशों में गहड़वाल वंश, परमार वंश महत्त्वपूर्ण थे। राजपूतों में चौहान वंश का पृथ्वीराज चौहान पराक्रमी शासक था। तराई नामक स्थान पर हुए प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मुहम्मद गोरी को पराजित किया। लेकिन तराई में हुए दूसरे युद्ध में मुहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया।

तमिलनाडु के चोल वंश के राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम असाधारण महत्त्व रखते हैं। चोल शासकों ने नौसेना के बल पर मालदीव द्वीप और श्रीलंका को जीत लिया। कर्नाटक के होयसळ वंश के विष्णुवर्धन राजा ने संपूर्ण कर्नाटक को जीत लिया।

महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट वंश के गोविंद तृतीय के कार्यकाल में राष्ट्रकूट की सत्ता कन्नौज से लेकर रामेश्वर तक फैली हुई थी। कालांतर में कृष्ण तृतीय ने इलाहाबाद तक का प्रदेश जीत लिया।

शिलाहारों के तीन वंश पश्चिम महाराष्ट्र में उदित हुए। पहला वंश कोकण में ठाणे और रायगढ़, दूसरा वंश दक्षिण कोकण पर तथा तीसरा वंश कोल्हापुर, सातारा, सांगली और बेलगाँव जिलों के कुछ हिस्सों पर राज्य कर रहे थे।

शिवाजी महाराज से पूर्व काल के अंत में महाराष्ट्र के यादवों की राजसत्ता वैभवशाली राजसत्ता मानी जाती है। यादव वंश का शासक भिल्लम पंचम की राजधानी औरंगाबाद के समीप देवगिरी में थी। उसने कृष्णा नदी के पार अपनी सत्ता का विस्तार किया।

यादवों का शासनकाल मराठी भाषा और साहित्य का स्वर्णयुग माना जाता है। इसी कालखंड में महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी संप्रदायों का उदय हुआ।

पश्चिमोत्तर दिशा में आक्रमण

यद्यपि महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट, यादव जैसे स्थानीय घरानों की सत्ता थी फिर भी उत्तर में इन स्थितियों का लाभ पश्चिमोत्तर दिशा से आए आक्रमणकारियों ने उठाया। वहाँ की स्थानीय सत्ताओं को जीतकर अपना आधिपत्य स्थापित किया।

इस बीच की कालावधि में मध्य-पूर्व में अरब सत्ता का उदय हुआ। साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अरब सत्ताधीश भारत की ओर मुड़े। आठवीं शताब्दी में अरब सेनानी मुहम्मद-बिन-कासम ने सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। सिंध के दाहिर राजा के प्रतिकार को निष्फल बनाते हुए उसने सिंध प्रांत को जीता। इस आक्रमण के परिणामस्वरूप अरबों का भारत के साथ पहली बार राजनीतिक संपर्क हुआ। कालांतर में मध्य एशिया के तुर्की, अफगानी और मुगल भारत में आए और उन्होंने भारत में अपनी सत्ता स्थापित की।

ई.स. की ग्यारहवीं शताब्दी में भारत पर तुर्कियों के आक्रमण प्रारंभ हुए। वे अपनी सत्ता का विस्तार करते हुए भारत की पश्चिमोत्तर सीमा तक आ पहुँचे। गजनी का सुल्तान महमूद ने भारत पर अनेक आक्रमण किए। इन आक्रमणों में उसने मथुरा, वृंदावन, कन्नौज, सोमनाथ के संपन्न मंदिरों को लूटा और वहाँ की विपुल संपत्ति अपने साथ ले गया। बख्त्यार खलजी ने विश्वप्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का समृद्ध ग्रंथालय जला डाला।

उत्तर की सुल्तानशाही

ई.स.११७५ और ११७८ में अफगानिस्तान के गोर के सुल्तान मुहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किए। भारत में जीते हुए प्रदेश का प्रशासन चलाने के लिए उसने कुतुबुद्दीन ऐबक की नियुक्ति की।

ई.स.१२०६ में मुहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आधिपत्य में भारतीय प्रदेश का शासन स्वतंत्रतापूर्वक चलाना प्रारंभ किया। ऐबक मूलतः एक गुलाम था फिर भी वह दिल्ली का सुल्तान बना। ई.स.१२१० में उसकी मृत्यु हुई।

क्या तुम जानते हो ?

कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात अल्तमश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, इब्राहीम लोदी आदि सुल्तानों ने भारत पर शासन किया।

इब्राहीम लोदी अंतिम सुल्तान था। उसके स्वभाव में अनेक दोष थे। फलतः उसके अनगिनत शत्रु बने। पंजाब के सूबेदार दौलतखान लोदी ने काबुल के मुगल सत्ताधीश बाबर को इब्राहीम लोदी के विरुद्ध युद्ध के लिए आमंत्रित किया। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहीम लोदी को पराजित किया और इसी के साथ सुल्तानशाही का अंत हो गया।

विजयनगर राज्य

दिल्ली का सुल्तान मुहम्मद तुगलक के कार्यकाल में दिल्ली की केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध दक्षिण में विद्रोह हुए। इसी से विजयनगर और बहमनी इन दो शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ।

दक्षिण भारत के दो भाई-हरिहर और बुक्का दिल्ली की सुल्तानशाही की सेवा में सरदार थे। मुहम्मद तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में राजनीतिक अस्थिरता निर्माण हो गई। हरिहर और बुक्का ने इस अस्थिरता का लाभ उठाते हुए ई.स.१३३६ में दक्षिण में विजयनगर राज्य की स्थापना की। वर्तमान कर्नाटक का 'हंपी' नगर इस राज्य की राजधानी था। हरिहर विजयनगर का प्रथम शासक बना।

हरिहर के पश्चात उसका भाई बुक्का सत्तासीन हुआ। रामेश्वर तक के प्रदेश को बुक्का अपने आधिपत्य में ले आया।

कृष्णदेवराय : ई. स. १५०९ में कृष्णदेवराय विजयनगर का शासक बना। उसने विजयवाड़ा और राजमहेंद्री प्रदेशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। बहमनी सुल्तान महमूद शाह के नेतृत्व में एकत्रित हुए सुल्तानों के सैन्य संघ की उसने पराजय की। कृष्णदेवराय के कार्यकाल में विजयनगर राज्य पूर्व में कटक से लेकर पश्चिम में गोआ तक और उत्तर में रायचूर दोआब से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ था। ई. स. १५३० में कृष्णदेवराय की मृत्यु हुई।

कृष्णदेवराय

कृष्णदेवराय विद्वान था। उसने तेलुगु भाषा में राजनीति से संबंधित 'आमुक्तमाल्यदा' नामक ग्रंथ लिखा। उसके शासनकाल में विजयनगर में हजार राम मंदिर और विठ्ठल मंदिर का निर्माण कार्य हुआ।

कृष्णदेवराय के पश्चात विजयनगर राज्य की शक्ति घटती गई। वर्तमान कर्नाटक राज्य के तालिकोट में एक ओर आदिलशाही, निजामशाही, कुतुबशाही, बरीदशाही और दूसरी ओर विजयनगर का शासक रामराय के बीच ई.स.१५६५ में युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई। इसके बाद विजयनगर राज्य समाप्त हुआ।

बहमनी राज्य

मुहम्मद तुगलक के प्रभाव को उखाड़ फेंकने के लिए दक्षिण के सरदारों ने विद्रोह किया। इन सरदारों का प्रमुख हसन गंगू था। उसने दिल्ली के सुल्तान की सेना को पराजित किया और ई.स.१३४७ में नए राज्य का उदय हुआ। इसे बहमनी राज्य कहते हैं। हसन गंगू बहमनी राज्य का प्रथम सुल्तान बना। उसने कर्नाटक राज्य के 'गुलबर्गा' में अपनी राजधानी की स्थापना की।

महमूद गवाँ : महमूद गवाँ बहमनी राज्य का प्रमुख वजीर और उत्तम प्रशासक था । उसने बहमनी राज्य को आर्थिक रूप से सामर्थ्यशाली बनाया । सैनिकों को जागीरें देने के स्थान पर नकद वेतन देना प्रारंभ किया । सैनिकों में अनुशासन निर्माण किया । भू-राजस्व प्रणाली में सुधार किया। बीदर में अरबी और फारसी विद्याओं के अध्ययन हेतु मदरसा स्थापित किया ।

महमूद गवाँ के पश्चात बहमनी सरदारों में गुटबंदी बढ़ने लगी । विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच चलने वाले संघर्ष का बहमनी राज्य पर प्रतिकूल परिणाम हुआ । विभिन्न प्रांतों के अधिकारी अधिक स्वतंत्रता के साथ रहने लगे । बहमनी राज्य का विघटन हुआ और बहमनी राज्य के वऱ्हाड़ (बरार) की इमादशाही, बीदर की बरीदशाही, बीजापुर की आदिलशाही, अहमदनगर की निजामशाही और गोलकुंडा की कुतुबशाही ये पाँच खंड बने ।

मुगल सत्ता

ई.स. १५२६ में दिल्ली की सुल्तानशाही समाप्त हुई और वहाँ मुगल सत्ता की स्थापना हुई ।

बाबर : बाबर मुगल सत्ता का संस्थापक था । वह मध्य एशिया में वर्तमान उजबेकिस्तान के फरगाना राज्य का शासक था । भारत की संपन्नता और संपत्ति का वर्णन उसने सुन रखा था । इसलिए उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई ।

उस समय दिल्ली में इब्राहीम लोदी सुल्तान था और वह राज्य प्रशासन चला रहा था । सुल्तानशाही के अंतर्गत पंजाब प्रदेश में दौलतखान लोदी प्रमुख अधिकारी था । इब्राहीम लोदी तथा दौलतखान लोदी के संबंधों में संघर्ष प्रारंभ हुआ । दौलतखान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए बाबर ने भारत पर आक्रमण किया । बाबर के आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए इब्राहीम लोदी अपनी सेना को लेकर चल पड़ा । २१ अप्रैल १५२६ को पानीपत में उसका बाबर के साथ युद्ध हुआ । इस युद्ध में बाबर ने भारत में पहली बार तोपखाने का प्रभावी उपयोग किया । उसने इब्राहीम लोदी की सेना को पराजित किया । यह युद्ध 'पानीपत का प्रथम युद्ध' था ।

इस युद्ध के बाद मेवाड़ के राणा सांगा ने राजपूत राजाओं को एकत्रित किया । बाबर और राणा सांगा के बीच खानुआ नामक स्थान पर युद्ध हुआ । इस युद्ध में बाबर के तोपखाना और आरक्षित सेना ने प्रभावशाली कार्य किया । राणा सांगा की सेना हार गई । ई.स.१५३० में बाबर की मृत्यु हुई ।

क्या तुम जानते हो ?

बाबर के बाद हुमायूँ (ई.स. १५३० से ई.स.१५३९ और ई.स.१५५५ से ई.स.१५५६) गद्दी पर बैठा । हुमायूँ के कार्यकाल में शेरशाह ने उसको पराजित किया और दिल्ली के सिंहासन पर सूर वंश की स्थापना की । हुमायूँ के पश्चात अकबर (ई.स.१५५६ से १६०५) सत्तासीन हुआ । ई.स.१५५६ में अकबर और हेमू के बीच पानीपत में युद्ध हुआ । यह पानीपत का द्वितीय युद्ध था । अकबर संपूर्ण भारत को अपने अधीन लाने की महत्त्वाकांक्षा रखता था । अकबर के बाद जहाँगीर (ई.स.१६०५ से ई.स.१६२८) शासक बना । उसके कार्यकाल में उसकी पत्नी नूरजहाँ ने प्रभावी ढंग से शासन चलाया । जहाँगीर के पश्चात शाहजहाँ (ई.स.१६२८ से १६५८) गद्दी पर बैठा । शाहजहाँ के बाद औरंगजेब (ई.स.१६५८ से ई.स.१७०७) दीर्घ अवधि तक शासक बना । उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य चरमरा गया।

अकबर मुगल वंश में सबसे अधिक पराक्रमी और कार्यक्षम शासक था । अकबर ने संपूर्ण भारत को अपने छत्र के नीचे लाने का प्रयास किया । इस प्रयास में उसको विरोध हुआ । महाराणा प्रताप,

चांदबीबी, रानी दुर्गावती द्‌वारा अकबर के विरुद्‌ध किया गया संघर्ष उल्लेखनीय है ।

महाराणा प्रताप : उदयसिंह की मृत्यु के पश्चात महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे । उन्होंने मेवाड़ के अस्तित्व को जीवित रखने के लिए संघर्ष जारी रखा । महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए अकबर के साथ अंत तक संघर्ष किया । महाराणा प्रताप अपनी वीरता, धैर्य, आत्मसम्मान, त्याग आदि गुणों के कारण इतिहास में अमर बने ।

राणा प्रताप

चांदबीबी : ई.स.१५९५ में मुगलों ने निजामशाही की राजधानी अहमदनगर पर आक्रमण किया । मुगल सेना ने अहमदनगर के किले को घेर लिया । अहमदनगर के हुसैन निजामशाह की पराक्रमी बेटी चांदबीबी ने वीरतापूर्वक युद्‌ध किया । उस समय निजामशाही के सरदारों में फूट पैदा हुई । इस फूट का परिणाम चांदबीबी की हत्या में हुआ। कालांतर में मुगलों ने अहमदनगर का किला जीत लिया परंतु निजामशाही का संपूर्ण राज्य मुगलों के हाथ में नहीं आया ।

चांदबीबी

रानी दुर्गावती : विदर्भ का पूर्वी क्षेत्र, उसके उत्तर का मध्य प्रदेश का क्षेत्र, वर्तमान छत्तीसगढ़ का पश्चिमी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का उत्तरी हिस्सा और ओडिशा का पश्चिमी क्षेत्र मोटे तौर पर गोंडवाना का विस्तार है । चंदेल राजपूत के वंश में जन्मी दुर्गावती विवाह के पश्चात गोंडवाना की रानी बनी । उसने उत्तम पद्‌धति से शासन चलाया । मध्यकालीन इतिहास में रानी दुर्गावती द्‌वारा मुगलों के विरुद्‌ध किया गया युद्‌ध अपना अलग महत्त्व रखता है । दुर्गावती ने अपने पति की मृत्यु के बाद अकबर के साथ युद्‌ध करते हुए वीरगति पाई परंतु घुटने नहीं टेके । अकबर एक सुविज्ञ तथा सजग शासक था । उसकी धार्मिक नीति उदार तथा सहिष्णु थी । वह सभी धर्मों की जनता के साथ समान व्यवहार करता था । सभी धर्मों के उदात्त तत्त्वों का समन्वय करके अकबर ने 'दीन–ए–इलाही' धर्म की स्थापना की लेकिन उसने दीन–ए–इलाही स्वीकार करने के लिए किसी को भी अनिवार्य नहीं किया ।

रानी दुर्गावती

औरंगजेब : बादशाह शाहजहॉ ने पुत्रों में से औरंगजेब सत्ता की स्पर्धा में सफल होकर पिता को बंदी बनाकर ई.स.१६५८ में बादशाह बन गया । शाहजहॉ का बडा बेटा दारा शुकोह धार्मिक सहिष्णुता के बारे में प्रसिद्‌ध था । उसने पचास से भी अधिक संस्कृत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया । औरंगजेब बादशाह बना उस समय मुगल साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में अहमदनगर तक और पश्चिम में काबुल से पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था । औरंगजेब ने अपने शासनकाल में पूर्व में असम, दक्षिण में बीजापुर की आदिलशाही तथा गोलकुंडा की कुतुबशाही को नष्ट करके उनके प्रदेश अपने साम्राज्य में मिला लिए ।

औरंगजेब

आहोमों के साथ संघर्ष : ई.स. की तेरहवीं शताब्दी में शान समाज के लोग ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में स्थायी रूप में बस गए । वहाँ इन लोगों ने अपना राज्य स्थापित किया । स्थानीय लोग इन लोगों को आहोम कहते थे ।

औरंगजेब के कार्यकाल में आहोम और मुगलों के बीच दीर्घकाल तक संघर्ष चला । मुगलों ने आहोमों के प्रदेश पर आक्रमण किया । सभी आहोम गदाधर सिंह के नेतृत्व में संगठित हुए । लाच्छित बड़फूकन नामक सेनानी ने मुगलों के विरुद्ध प्रखर संघर्ष किया । मुगलों के विरुद्ध युद्ध में आहोमों ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली (छापामार युद्ध) का अवलंब किया । असम में अपनी सत्ता को दृढ़ करना मुगलों के लिए असंभव हुआ ।

सिखों के साथ संघर्ष : सिखों के नौवें धर्मगुरु गुरु तेगबहादुर थे । उन्होंने औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति के विरुद्ध अपना विरोध जताया । औरंगजेब ने उन्हें बंदी बनाया और १६७५ ई.स. में उनका सिर कटवा दिया । उनके पश्चात गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु बने ।

गुरु गोविंद सिंह

गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों को संगठित कर उनके भीतर की वीरता को प्रेरित किया । उन्होंने योद्धा सिख युवाओं का एक दल स्थापित किया । इस दल को 'खालसा दल' कहते हैं । आनंदपुर उनका प्रमुख केंद्र था । औरंगजेब ने सिखों के विरुद्ध सेना भेजी । उसकी सेना ने आनंदपुर पर आक्रमण किया । इस समय सिखों ने प्रखर संघर्ष किया परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली । इसके बाद गुरु गोविंद सिंह दक्षिण में आए और नांदेड में निवास करने लगे । ई.स.१७०८ में उनपर आक्रमण हुआ । इसी हमले के फलस्वरूप कालांतर में उनकी मृत्यु हुई ।

राजपूतों के साथ संघर्ष : अकबर ने अपनी सौहार्दपूर्ण नीति से राजपूतों का सहयोग प्राप्त किया था परंतु राजपूतों का वैसा सहयोग औरंगजेब प्राप्त नहीं कर सका । मारवाड़ के राणा जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात उसके राज्य को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया । दुर्गादास राठौर ने जसवंत सिंह के अल्पायु बेटे अजित सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बिठाया । दुर्गादास राठौर ने मुगलों के विरुद्ध जबरदस्त संघर्ष किया । दुर्गादास के इस विरोध को समाप्त करने के लिए औरंगजेब ने राजपुत्र अकबर को मारवाड़ भेजा । राजपुत्र अकबर स्वयं राजपूतों से जा मिला और उसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया । इस विद्रोह में महाराष्ट्र के मराठों से भी सहायता लेने का प्रयास हुआ । मारवाड़ का अस्तित्व बनाए रखने के लिए दुर्गादास राठौर ने मुगलों के विरुद्ध इस संघर्ष को जारी रखा ।

मराठों के साथ संघर्ष : महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के नेतृत्व में स्वराज्य की स्थापना हुई । स्वराज्य स्थापना के लिए उनके द्वारा किए गए इस प्रयास में उन्हें अन्य शत्रुओं के साथ मुगलों से भी संघर्ष करना पड़ा । उनकी मृत्यु के पश्चात औरंगजेब संपूर्ण दक्षिण भारत को जीतने के उद्देश्य से दक्षिण में आया परंतु मराठों ने औरंगजेब के साथ प्रखर संघर्ष किया और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा की । इस संपूर्ण संघर्ष की जानकारी हम आगे चलकर लेंगे ।

स्वाध्याय

१. नाम बताओ :

(१) गोंडवाना की रानी –
(२) उदयसिंह का पुत्र –
(३) मुगल सत्ता का संस्थापक –
(४) बहमनी राज्य का प्रथम सुल्तान –
(५) गुरु गोविंद सिंह द्वारा स्थापित दल –

२. समूह से अलग विकल्प चुनो :

(१) सुल्तान मुहम्मद, कुतुबुद्दीन ऐबक, मुहम्मद गोरी, बाबर
(२) आदिलशाही, निजामशाही, सुल्तानशाही, बरीदशाही
(३) अकबर, हुमायूँ, शेरशाह, औरंगजेब

३. संक्षेप में उत्तर लिखो :

(१) विजयनगर और बहमनी राज्यों का उदय क्यों हुआ ?

(२) महमूद गवाँ ने कौन-से सुधार किए ?

(३) असम में अपनी सत्ता को सुदृढ़ करना मुगलों के लिए क्यों असंभव हुआ ?

४. अपने शब्दों में संक्षेप में जानकारी लिखो :

(१) कृष्णदेवराय

(२) चांदबीबी

(३) रानी दुर्गावती

५. कारण सहित लिखो :

(१) बहमनी राज्य के पाँच खंड हो गए ।

(२) राणा सांगा की सेना की पराजय हुई ।

(३) राणा प्रताप इतिहास में अमर हुए ।

(४) औरंगजेब ने गुरु तेगबहादुर को बंदी बनाया।

(५) राजपूतों ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया।

६. कालरेखा पूर्ण करो :

ई.स.१३३६	ई.स.	ई.स.१५०९	ई.स. .....
↓	↓	↓	↓
विजयनगर राज्य की स्थापना	बहमनी राज्य की स्थापना	.....	मुगल सत्ता की स्थापना

७. इंटरनेट की सहायता से किसी भी उस व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करो; जो तुम्हें अच्छा लगता है और वह जानकारी निम्न चौखट में लिखो :

मुझे यह मालूम है

उपक्रम

पाठ में आए हुए व्यक्तियों के विषय में अधिक जानकारी संदर्भ पुस्तकों, इंटरनेट, समाचारपत्रों की सहायता से प्राप्त करो । उपक्रम कॉपी में चित्र - जानकारी का कोलाज बनाओ और इतिहास की कक्षा में उसकी प्रदर्शनी का आयोजन करो ।

देवगिरी का किला

३. धार्मिक सौहार्द

भाषा और धर्म में पाई जानेवाली विविधता भारतीय समाज की महत्त्वपूर्ण विशेषता है । इसी विशेषता को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान द्वारा सर्वधर्म समभाव सिद्धांत को स्वीकारा गया है । मध्यकालीन भारतीय समाज जीवन में भी इसी सिद्धांत के आधार पर धार्मिक सौहार्द के प्रयास हुए थे । इन प्रयासों में भक्ति आंदोलन, सिख धर्म और सूफी पंथ का हमारे समाज में विशिष्ट स्थान है । ये विचारधाराएँ भारत के अलग-अलग प्रदेशों में निर्माण हुईं । उन्होंने ईश्वर की भक्ति के साथ-साथ धार्मिक और सांप्रदायिक समरसता पर बल दिया । इस पाठ में हम इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे ।

भारतीय धर्म जीवन में प्रारंभ में कर्मकांड और ब्रह्मज्ञान पर विशेष बल दिया जाता था । मध्यकाल में ये दोनों धाराएँ पीछे रह गईं और भक्तिमार्ग को महत्त्व प्राप्त हुआ । इस मार्ग में अधिकार को लेकर निरर्थक भेदभाव नहीं था । फलस्वरूप धार्मिक सौहार्द को अधिक बल मिला । भारत के अलग-अलग प्रांतों में स्थानीय परिस्थिति का अनुसरण कर भक्तिमार्ग के अलग-अलग पंथों का उदय हुआ । भक्तिमार्ग ने संस्कृत भाषा के स्थान पर सामान्य लोगों की भाषाओं का अवलंब किया । परिणामत: प्रादेशिक भाषाओं के विकास में इन धार्मिक आंदोलनों का बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ ।

भक्ति आंदोलन : ऐसा माना जाता है कि भक्ति आंदोलन का उद्‌गम दक्षिण भारत में हुआ । इस क्षेत्र में नयन्नार और आलवार भक्ति आंदोलनों का उदय हुआ । नयन्नार शिवभक्त थे तो आलवार विष्णुभक्त थे । शिव और विष्णु एक ही हैं; यह मानकर उनके बीच समन्वय स्थापित करने के प्रयास भी हुए । भगवान विष्णु का आधा हिस्सा और आधा हिस्सा भगवान शिव का दर्शाकर 'हरिहर' के रूप में बड़ी मात्रा में मूर्तियों का निर्माण करवाया गया । इस भक्ति आंदोलन में समाज के सभी वर्गों के लोग सहभागी हुए थे । इस आंदोलन द्‌वारा ईश्वर प्रेम, मानवता, प्राणिमात्र के प्रति करुणा आदि मूल्यों की सीख प्राप्त हुई । दक्षिण भारत में रामानुज और अन्य आचार्यों ने भक्ति आंदोलन की नींव सुदृढ़ की । उन्होंने कहा, ''ईश्वर सभी का है । ईश्वर भेदभाव नहीं करता ।'' उत्तर भारत में भी रामानुज की सीख का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा ।

उत्तर भारत में संत रामानंद ने भक्ति का महत्त्व प्रतिपादित किया । संत कबीर भक्ति आंदोलन के विख्यात संत थे । उन्होंने तीर्थस्थानों, व्रतों, मूर्तिपूजा को महत्त्व नहीं दिया । सत्य को ही ईश्वर माना । सभी मानव एक हैं, यह सीख दी । उन्हें जातिभेद, पंथभेद, धर्मभेद मान्य नहीं थे । वे हिंदू-मुस्लिमों के बीच एकता स्थापित करना चाहते थे । उन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्मों के कट्टर लोगों को कड़े शब्दों में फटकारा ।

संत कबीर

बंगाल में महाप्रभु चैतन्य ने कृष्णभक्ति का महत्त्व स्पष्ट किया । उनके उपदेशों के कारण लोग जाति और पंथ के बंधन लांघकर भक्ति आंदोलन में सम्मिलित हुए । महाप्रभु चैतन्य के प्रभाव से शंकरदेव ने असम में कृष्णभक्ति का प्रसार किया । गुजरात में संत नरसी मेहता प्रसिद्ध वैष्णव संत हुए । वे परम कोटि के कृष्णभक्त थे । उन्होंने समता का संदेश दिया। उन्हें गुजराती भाषा का आदि कवि माना जाता है ।

संत मीराबाई ने कृष्णभक्ति की महिमा प्रतिपादित की । वे मेवाड़ के राजवंश से संबंधित थीं। राजवंश के सभी सुखों का त्याग कर वे कृष्णभक्ति में तल्लीन हो गईं । उन्होंने गुजराती और राजस्थानी

भाषाओं में भक्ति पदों की रचना कीं । उनके भक्तिगीत भक्ति, सहिष्णुता और मानवता का संदेश देते हैं । संत रोहिदास एक महान संत थे। उन्होंने समता और मानवता का संदेश दिया । संत सेना भी प्रभावी संत थे । हिंदी साहित्य के महाकवि सूरदास ने 'सूरसागर' काव्य की रचना की । कृष्णभक्ति उनके काव्य का विषय है । मुस्लिम संत रसखान द्‌वारा लिखित कृष्णभक्ति की रचनाएँ मधुरता से परिपूर्ण हैं । संत तुलसीदास द्‌वारा लिखित 'रामचरितमानस' ग्रंथ में रामभक्ति की सुंदर अभिव्यक्ति पाई जाती है ।

कर्नाटक में महात्मा बसवेश्वर ने लिंगायत विचारधारा का प्रसार किया । उन्होंने जातिभेद का विरोध किया और श्रमप्रतिष्ठा का महत्त्व समझाया । उनका 'कायकवे कैलास' यह वचन प्रसिद्‌ध है । इस वचन का अर्थ है - श्रम ही कैलाश है । उन्होंने अपने आंदोलन में स्त्रियों को भी सम्मिलित करवाया । 'अनुभवमंटप' सभागृह में धर्म से संबंधित विचार-विमर्श गोष्ठियाँ होती थीं । इनमें सभी जातियों के स्त्री-पुरुष सहभागी होने लगे । उन्होंने अपनी सीख लोकभाषा कन्नड़ में वचन साहित्य के माध्यम से दी । उनके कार्यों का समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा । महात्मा बसवेश्वर के अनुयायियों ने मराठी भाषा में भी रचनाएँ की हैं । उनमें मन्मथ स्वामी का लिखा 'परमरहस्य' ग्रंथ प्रसिद्‌ध है । कर्नाटक में पंप, पुरंदरदास आदि महान संत हुए । उन्होंने कन्नड़ भाषा में असंख्य भक्तिपदों को रचा ।

महात्मा बसवेश्वर

महानुभाव पंथ : तेरहवीं शताब्दी में चक्रधर स्वामी ने महाराष्ट्र में 'महानुभाव' पंथ की स्थापना की । यह पंथ कृष्णभक्ति की सीख देता है । श्रीगोविंद प्रभु चक्रधर स्वामी के गुरु थे । चक्रधर स्वामी के शिष्यों में सभी जातियों के स्त्री-पुरुषों का समावेश

चक्रधर स्वामी

था । वे समता के समर्थक थे । उन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में भ्रमण करके मराठी में उपदेश किया । संस्कृत भाषा के स्थान पर मराठी भाषा को प्राथमिकता दी । फलत: मराठी भाषा का विकास हुआ । मराठी भाषा में विपुल ग्रंथ लिखे गए ।

महाराष्ट्र में इस पंथ का प्रचार-प्रसार प्रमुखत: विदर्भ और मराठवाडा क्षेत्र में हुआ । विदर्भ में ऋद्‌धिपुर नामक स्थान इस पंथ का महत्त्वपूर्ण केंद्र है । यह पंथ पंजाब, अफगानिस्तान जैसे दूरस्थ प्रदेशों में भी पहुँचा था ।

क्या तुम जानते हो ?

महानुभाव पंथ के अनुयायियों द्‌वारा रचित कुछ रचनाएँ इस प्रकार हैं - म्हाइंभट द्‌वारा संपादित चक्रधर की लीलाओं का वर्णन करनेवाला 'लीलाचरित्र' ग्रंथ, आदि मराठी कवयित्री महदंबा का 'धवले', केशोबास द्‌वारा संपादित 'सूत्रपाठ' और 'दृष्टांतपाठ', दामोदर पंडित का 'वच्छाहरण', भास्कर भट्‌ट बोरीकर का 'शिशुपाल वध' और नरेंद्र का 'रुक्मिणी स्वयंवर' ।

क्या तुम जानते हो ?

महाराष्ट्र में संत एकनाथ द्‌वारा हिंदू-मुसलमान के बीच लिखा संवाद है । यह संवाद धार्मिक सौहार्द की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है । संत शेख महंमद का प्रसिद्‌ध वचन है 'शेख महंमद अविंध । त्याचे हृदयी गोविंद ।।' यह वचन धार्मिक समन्वय का एक उत्तम उदाहरण है ।

गुरु नानक : गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक और प्रथम गुरु थे । उनके कार्यों का उल्लेख धार्मिक

गुरु नानक

समन्वय के बहुत बड़े प्रयास के रूप में करना चाहिए । वे हिंदू और मुस्लिम धर्मों के तीर्थस्थानों पर गए । वे मक्का भी गए थे । भक्ति भाव सभी ओर एक जैसा है; यह बात उनके ध्यान में आई । उन्होंने सीख दी कि सबके साथ एक जैसा आचरण करो । हिंदू और मुस्लिमों के बीच एकता स्थापित करने हेतु उन्होंने उपदेश किए । वे शुद्ध आचरण पर बल देते थे ।

गुरु नानक के उपदेशों से लोग प्रभावित हो गए । उनके शिष्यों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती गई । गुरु नानक के अनुयायियों को शिष्य अर्थात 'सिख' कहते हैं । 'गुरु ग्रंथसाहिब' सिखों का पवित्र ग्रंथ है । इस ग्रंथ में स्वयं गुरु नानक, संत नामदेव, संत कबीर आदि संतों की रचनाओं का समावेश है ।

गुरु नानक के पश्चात सिखों के नौ गुरु हुए । गुरु गोविंद सिंह सिखों के दसवें गुरु थे । उनके पश्चात सभी सिख गुरु गोविंद सिंह के आदेश के अनुसार धर्मग्रंथ 'गुरु ग्रंथसाहिब' को ही गुरु मानने लगे ।

सूफी पंथ : इस्लाम में सूफी संप्रदाय एक पंथ है । सूफी संतों की यह श्रद्धा थी कि ईश्वर प्रेममय है । प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलकर ही ईश्वर के पास पहुँचा जा सकता है । सभी प्राणिमात्रों के प्रति प्रेम हो, ईश्वर का स्मरण करें, सादगी से रहें; यह सीख सूफी संतों ने दी । ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, शेख निजामउद्दीन औलिया महान सूफी संत थे । सूफी संतों के उपदेशों के कारण हिंदू-मुस्लिम समाज में सौहार्द स्थापित हुआ । भारतीय संगीत में सूफी संगीत परंपरा का बहुत बड़ा योगदान रहा है।

संतों के बताए हुए भक्ति मार्ग पर चलते हुए आचरण करना सामान्य लोगों के लिए आसान था । भक्ति आंदोलन में सभी स्त्री-पुरुषों को प्रवेश था । संतों ने अपने विचार लोकभाषा में बताए । वे विचार सामान्य लोगों को अपने लगे । भारतीय संस्कृति के निर्माण और संरचना प्रक्रिया में भक्तिमार्ग का बहुत बड़ा योगदान रहा है ।

स्वाध्याय

१. परस्पर संबंध ढूँढ़कर लिखो :

(१) महात्मा बसवेश्वर : कर्नाटक, संत मीराबाई : .....

(२) रामानंद : उत्तर भारत, महाप्रभु चैतन्य : .....

(३) चक्रधर : ..... , शंकरदेव : .....

२. निम्न तालिका पूर्ण करो :

	प्रसारक	ग्रंथ
(१) भक्ति आंदोलन	-------	-------
(२) महानुभाव पंथ	-------	-------
(३) सिख धर्म	-------	-------

३. लेखन करो :

(१) भक्ति आंदोलन में संत कबीर विख्यात संत के रूप में उदित हुए ।

(२) महात्मा बसवेश्वर के कार्यों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा ?

४. निम्न चौखटों में छिपे संतों के नाम ढूँढ़ो ।

गु	रु	गो	विं	द	सिं	ह	स	स
रु	रा	मा	नं	द	सू	र	दा	स
ना	से	त	सं	च	ल	र	ही	पं
न	च	स	क्र	त	द	बी	र	प
क	म	ध	ब	स	वे	श्व	र	क
ब	र	स	पु	अ	प्र	थ	म	बी
म	न्म	थ	स्वा	मी	रा	बा	ई	र

उपक्रम

सूफी संगीत परंपरा की कोई रचना प्राप्त करो और उसे सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुत करो ।

४. शिवाजी महाराज से पूर्व का महाराष्ट्र

सत्रहवीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराष्ट्र का अधिकांश प्रदेश अहमदनगर के निजामशाह और बीजापुर के आदिलशाह के आधिपत्य में था । मुगलों का खान्देश में प्रवेश हो चुका था । उनका उद्देश्य दक्षिण में अपना सत्ता विस्तार करना था । कोकण के तटों पर अफ्रीका से आए हुए सिद्दी लोगों ने अपनी बस्तियाँ बसाई थीं । इसी कालखंड में यूरोप से आए हुए पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच आदि विदेशी सत्ताओं के बीच समुद्री प्रतिद्वंद्विता और पारस्परिक संघर्ष प्रखर होता जा रहा था । उनके बीच व्यापार के लिए बाजार पर अपना नियंत्रण पाने के लिए होड़ मची थी । पश्चिमी तट पर गोआ और वसई में पुर्तगालियों ने पहले से ही अपना राज्य स्थापित किया था तो अंग्रेजों, डचों और फ्रांसीसियों ने व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से गोदामों के रूप में चंचुप्रवेश किया था । ये सभी सत्ताएँ एक-दूसरे की शक्ति का अनुमान करती हुई स्वयं को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही थीं । साथ ही; जितना संभव होगा; उतना अपना वर्चस्व बनाए रखने की योजना में भी लगी हुई थीं । उनके इस पारस्परिक संघर्ष के कारण महाराष्ट्र में अस्थिरता और असुरक्षितता निर्माण हुई थी । यूरोप के इन अलग-अलग लोगों को उनके टोपों के कारण 'टोपकर' अर्थात 'टोपावाला' कहते थे ।

शिवाजी महाराज से पूर्व के समय में लोगों की बस्ती, प्रजा और शासक के बीच अधिकारी, बाजार-हाट, कारीगर आदि सेतु का कार्य करते थे । इनका स्वरूप समझने के लिए गाँव (मौजा), कस्बा (कसबा) और परगना जैसे भौगोलिक स्थानों का परिचय होना आवश्यक है । कई गाँवों को मिलाकर परगना बनता था । सामान्यत: परगना के मुख्य स्थान को कस्बा कहते थे । कस्बे की अपेक्षा छोटे स्थानवाले गाँव को मौजा कहते थे । अब हम गाँव, कस्बा और परगना का क्रमश: संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे ।

गाँव (मौजा) : अधिकांश लोग गाँव में ही रहते थे । गाँव को मौजा भी कहते थे । गाँव का प्रमुख पाटिल (मुखिया) होता था । लोग गाँव की अधिकाधिक भूमि को उपज के लिए उपयोग में लायें; इसके लिए गाँव का मुखिया अर्थात पाटिल प्रयास करता । गाँव में झगड़ा-विवाद होने पर शांति बहाल करने का काम पाटिल करता था । उसके कार्य में कुलकर्णी सहायता करता । जमा राजस्व का अभिलेख अथवा लिखा-पढ़ी रखने का काम कुलकर्णी करता था । गाँव में विभिन्न काम करनेवाले श्रमिक (परजा) थे । उनको व्यवसायों से संबंधित अधिकार वंश परंपरा से प्राप्त होते थे । गाँव में श्रमिक अपनी सेवाएँ देते थे और उसके बदले में उन्हें किसान से अनाज का कुछ हिस्सा मिल जाता । उस हिस्से को परजा (बलुत) कहते थे ।

कस्बा : एक बड़े गाँव को कस्बा कहते थे । सामान्यत: कस्बा परगना का मुख्य स्थान होता था । जैसे - इंदापुर परगना का मुख्य स्थान इंदापुर कस्बा, वाई परगना का मुख्य स्थान वाई कस्बा । गाँव की तरह ही कस्बे में भी मुख्य व्यवसाय खेती ही होता था। वहाँ बढ़ई, लुहार आदि कुशल श्रमिक (कारीगर) भी होते थे। कस्बे से जुड़े बाजार पेठ (हाट) भी होते थे। शेटे और महाजन बाजार पेठ के माफीदार अथवा जागीरदार प्रशासक होते थे । ऐसा नहीं है कि प्रत्येक गाँव में बाजार पेठ होते ही थे लेकिन गाँव में बाजार पेठ बसाने का काम शेटे-महाजनों का होता था। इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा जमीन और गाँववालों से कुछ अधिकार प्राप्त होते थे । बाजार पेठ का हिसाब-किताब रखने का काम महाजन देखता था ।

क्या तुम जानते हो ?

वीरमाता जिजाबाई के आदेश पर पुणे के समीप पाषाण में एक पेठ (हाट) बसाई गई थी। उसे 'जिजापुर' कहते थे । मालपुरा, खेलपुरा, परसपुरा, विठापुरा ये भी औरंगाबाद में बसाई गई - नई पेठें हैं । ये नई पेठें मालोजी, खेलोजी, परसोजी और विठोजी के नामों पर बसाई गई थीं । 'खेड़' से जुडा 'शिवापुर' शिवाजी महाराज के नाम पर बसाई गई पेठ थी ।

इसे समझें

दो गाँव स्वतंत्र हैं; यह दर्शाने के लिए 'बुद्रुक' और 'खुर्द' शब्दों का प्रयोग किया जाता है । मूल गाँव 'बुद्रुक' और नया गाँव 'खुर्द' होता है । जैसे – वड़गाँव बुद्रुक और वड़गाँव खुर्द ।

परगना : कई गाँवों को मिलाकर परगना बनता था। फिर भी सभी परगनों में गाँवों की संख्या समान नहीं होती थी । जैसे – पुणे परगना । यह बड़ा परगना था । इसमें २९० गाँव थे । चाकण परगने में ६४ गाँव थे । शिरवल परगना छोटा था । इसमें ४० गाँव थे । देशमुख और देशपांडे परगना के माफीदार अर्थात वतनदार अधिकारी होते थे । परगना के पाटिलों (मुखिये) का प्रमुख देशमुख होता था । गाँव के स्तर पर जो कार्य पाटिल करता था; वही कार्य परगना के स्तर पर देशमुख करता था । इसी तरह परगाना के सभी कुलकर्णियों का प्रमुख देशपांडे होता था । गाँव के स्तर पर जो कार्य कुलकर्णी करता था; वही कार्य परगना के स्तर पर देशपांडे करता था । ये माफीदार अर्थात वतनदार अधिकारी प्रजा और सरकार के बीच सेतु अथवा पुल का काम करते थे ।

परगना के गाँवों पर कभी कोई संकट आता अथवा अकाल जैसी स्थिति निर्माण हो जाती तो प्रजा की माँगों को सरकार के सम्मुख रखने का काम ये वतनदार अथवा माफीदार अधिकारी करते । कभी-कभी ये अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते। कभी वे प्रजा से अधिक पैसा वसूल करते तो कभी प्रजा से इकट्ठा की गई राशि को सरकार के पास जमा करने में विलंब करते । ऐसी स्थिति में प्रजा त्रस्त हो जाती ।

क्या तुम जानते हो ?

वतन अरबी शब्द है तथा महाराष्ट्र में यह शब्द वंश परंपरा द्वारा और स्थायी रूप में उपभोग की जानेवाली भू-राजस्व (लगान) मुक्त जमीन के अर्थ में प्रयुक्त होता है ।

अकाल का संकट : वर्षा के जल पर खेती निर्भर करती है । यदि वर्षा न हो तो खेत में फसल नहीं आती। फलत: अनाज के दाम बढ़ जाते । लोगों को अनाज मिलना दूभर हो जाता । पशुओं को चारा न मिलता । पानी की प्रखर कमी निर्माण हो जाती। लोगों के लिए गाँव में रहना असह्य हो जाता । लोग गाँव छोड़कर चले जाते । वे दर-दर भटकने के लिए विवश हो जाते । प्रजा के लिए अकाल बहुत बड़ा संकट बन जाता ।

ऐसा ही भयानक अकाल महाराष्ट्र में पड़ा था । इसका वर्णन यों मिलता है – यह अकाल ई.स.१६३० में पड़ा । इस अकाल ने लोगों में हाहाकार मचा दिया । अनाज की भयंकर कमी उत्पन्न हुई । रोटी के टुकड़े के लिए लोग स्वयं को बेचने के लिए तैयार हुए लेकिन खरीदनेवाला कोई नहीं था । परिवार उजड़ गए । ढोर-डंगर मर गए । खेती नष्ट हुई । उद्योग-धंधे चौपट हो गए । लेन-देन रुक गया । लोग देश निकाला हो गए । जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था । उसे पटरी पर लाना बहुत बड़ी चुनौती थी ।

वारकरी पंथ का कार्य : समाज पर अंधविश्वास और कर्मकांड का बड़ा प्रभाव था । लोग भाग्यवाद के अधीन हो गए थे । उनकी प्रयत्नशीलता कम हो गई थी । जनता की हालत बड़ी खस्ता थी । ऐसी स्थिति में समाज में चेतना निर्माण करने का कार्य महाराष्ट्र के वारकरी पंथ ने किया ।

महाराष्ट्र में संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर से यह संत परंपरा प्रारंभ हुई और समाज के विभिन्न वर्गों से आए हुए संतों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया । इस संत परंपरा में समाज के सभी वर्गों के लोगों का समावेश था । जैसे – संत चोखा मेला, संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरि, संत सेना, संत शेख महंमद आदि । इसी तरह; इन संतों में संत चोखोबा की पत्नी संत सोयरा और बहन संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, संत कान्होपात्रा, संत बहिणाबाई सिऊरकर आदि महिलाएँ भी थीं । इस संत आंदोलन का केंद्र पंढरपुर था । इन संतों के देवता श्री विठ्ठल थे । पंढरपुर में चंद्रभागा नदी के तट पर ये सभी संत और वारकरी इकट्ठे होते । भक्तिसागर में सराबोर हो जाते । वहाँ भजन, कीर्तन और सहभोज (काला) के माध्यम से समता का प्रसार होता था ।

संत नामदेव

संत नामदेव : वारकरी संप्रदाय में ये सर्वश्रेष्ठ संत माने जाते हैं । वे कुशल संगठक और उत्तम कीर्तनकार भी थे । कीर्तन के माध्यम से उन्होंने सभी जाति-वर्गों के स्त्री-पुरुषों को एकत्रित कर उनमें समता की भावना जागृत की । **'नाचू कीर्तनाचे रंग । ज्ञानदीप लावू जगी ।।'** संसार में ज्ञान और भक्ति का दीप जलाने की उनकी यह प्रतिज्ञा थी । उनके अभंग (सबद) रचनाएँ प्रसिद्ध हैं । उनकी सीख का प्रभाव अनेक संतों और सामान्यजन पर पड़ा । संत नामदेव अपने विचारों का प्रसार करते हुए पंजाब गए। उनके लिखे पद 'गुरु ग्रंथसाहिब' ग्रंथ में समाविष्ट हैं । उन्होंने भागवत धर्म का संदेश गाँव-गाँव में प्रचारित करने का कार्य किया । उन्होंने पंढरपुर में श्री विठ्ठल के महाद्वार के सम्मुख संत चोखामेला की समाधि का निर्माण करवाया । उनका यह कार्य अविस्मरणीय है ।

संत ज्ञानेश्वर : संत ज्ञानेश्वर वारकरी संप्रदाय के विख्यात संत थे । उन्होंने संस्कृत ग्रंथ 'भगवद्गीता' का मराठी में टीका ग्रंथ लिखा । इस ग्रंथ का नाम 'ज्ञानेश्वरी' हैं । इसे 'भावार्थ दीपिका' भी कहते हैं । साथ ही उन्होंने 'अमृतानुभव' ग्रंथ की रचना की । उन्होंने अपने ग्रंथों और अभंगों (सबद) द्वारा भक्तिमार्ग का महत्त्व बताया । उन्होंने ऐसा आचरण धर्म बताया; जो आचरण सामान्यजन कर सकते हैं । वारकरी संप्रदाय को धर्म की प्रतिष्ठा प्राप्त करा दी । उनका जीवन अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में बीता परंतु उन्होंने अपने मन का संतुलन नहीं खोया और कटुता भी नहीं रखी । ज्ञानेश्वरी में लिखित 'पसायदान' उदात्त संस्कार करता है । संत ज्ञानेश्वर के भाई संत निवृत्तिनाथ और संत सोपानदेव तथा बहन मुक्ताबाई की काव्यरचनाएँ प्रसिद्ध हैं ।

संत ज्ञानेश्वर

संत एकनाथ : महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के ये महान संत थे । उनका साहित्य विपुल और विविध प्रकार का है । इस साहित्य में अभंग (सबद), गौलणी, भारुड आदि का समावेश है । उन्होंने भागवत धर्म को सरल और विस्तार में रचा और समझाया । रामकथा के माध्यम से भावार्थ रामायण में लोकजीवन को चित्रित किया है । उन्होंने संस्कृत ग्रंथ भागवत में उल्लिखित भक्ति का अर्थ मराठी में स्पष्ट किया । उनके अभंगों में अपनापन का भाव पाया जाता है । परमार्थ अथवा ईश्वर प्राप्ति के लिए घर-गृहस्थी त्यागने की आवश्यकता नहीं; इसे उन्होंने स्वयं के आचरण द्वारा सिद्ध कर दिखाया । वे सच्चे अर्थ में लोकशिक्षक थे । उनका मानना था कि अपनी मराठी भाषा किसी भी भाषा की तुलना में कम श्रेष्ठ नहीं है। **'संस्कृत वाणी देवे केली । तरी प्राकृत काय चोरापासूनि झाली?'** इन शब्दों में उन्होंने संस्कृत पंडितों को फटकारा । उन्होंने अन्य धर्मों का तिरस्कार करनेवालों की कड़े शब्दों में आलोचना की ।

संत एकनाथ

संत तुकाराम : संत तुकाराम पुणे के समीप देहू गाँव में रहते थे । उनकी अभंग रचनाएँ मधुर और प्रासादिक हैं । उनके अभंगों (सबदों) को श्रेष्ठ कवित्व की गरिमा प्राप्त है । संत तुकाराम द्वारा रचित 'गाथा' ग्रंथ मराठी भाषा की अमूल्य थाती है ।

संत तुकाराम

वे त्रस्त और दुखी लोगों में ईश्वर को देखने और पाने को कहते हैं । वे कहते हैं, "**जे का रंजले गांजले। त्यांसी म्हणे जो आपुले । तोचि साधु ओळखावा । देव तेथेचि जाणावा ।**" उन्होंने अपने इसी सिद्धांत के कारण लोगों को दिए हुए कर्ज के

ऋणपत्र इंद्रायणी नदी में डुबो दिए तथा अनेक परिवारों को ऋणमुक्त कर दिया । उन्होंने समाज में व्याप्त आडंबर-पाखंड और अंधविश्वास की कड़े शब्दों में आलोचना की । वे भक्ति के साथ नैतिकता को जोड़ने पर बल देते थे। **'जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे। उदास विचारे वेच करी ।।'** इन पंक्तियों में उनके विचारों का सार बताया जा सकता है । समाज के कुछ तथाकथित कर्मकांडी और कट्टर लोगों ने उनके द्‌वारा किए जाने वाले जनजागृति के कार्य को विरोध जताया । वास्तव में उन्हें अभंग रचने का कोई अधिकार ही नहीं है; इस प्रकार ललकारते हुए कट्टर लोगों ने उनकी काव्य सामग्री को इंद्रायणी नदी में डुबोकर नष्ट करने का प्रयास किया । संत तुकाराम ने लोगों के विरोध का बड़े धैर्य के साथ सामना किया ।

संत तुकाराम के शिष्य एवं सहयोगी सभी जाति-वर्गों के थे । नावजी माली, गवनरसेठ वाणी, संताजी जगनाडे, शिवबा कासार, बहिणाबाई सिऊरकर, महादजीपंत कुलकर्णी आदि कुछ नाम हैं । गंगारामपंत मवाल और संताजी जगनाड़े ने संत तुकाराम के अभंग लिखकर रखे हैं और यह उनका महत्त्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है ।

संतों के कार्यों का परिणामफल : सभी संतों ने लोगों को समता का संदेश सुनाया । मानवता और मानवता धर्म का पाठ पढ़ाया । एक-दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखो, एक बनो, एक रहो; यह उनकी सीख थी । उनके कार्यों के फलस्वरूप लोगों में जागृति उत्पन्न हुई । मानवनिर्मित संकट हो, अकाल हो अथवा अलग-अलग प्रकार की प्राकृतिक आपदाएँ हों; इनकी चिंता न करते हुए मनुष्य को किस प्रकार जीना चाहिए; इन बातों का संतों के द्‌वारा किया गया उपदेश लोगों के लिए बहुत बड़ा अवलंब बना। संतों के इन कार्यों से महाराष्ट्र की जनता में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ ।

समाज में धर्म का अध:पतन हुआ था; इस स्थिति में संतों ने आगे बढ़कर समाज का रक्षण किया। धर्म के वास्तविक अर्थ और मर्म से परिचित कराया । लोगों के बीच रहकर; उनके सुख-दुख को समझकर भक्तिमार्ग की प्रेरणा दी । ऐसे समय समाज के कुछ कट्टर और दकियानूसी लोगों ने उनको विरोध किया । संत यह मानते थे कि उनके इस विरोध को सहना संतों के कर्तव्यों का ही एक हिस्सा है । **'तुका म्हणे तोचि संत। सोशी जगाचे आघात ।।'** इन शब्दों में संत तुकाराम ने सच्चे संत के लक्षण बताए हैं ।

धर्मशास्त्री और पंडितों ने धर्म को कठिन और जटिल भाषा में व्याख्यायित किया । संतों ने धर्म को सामान्य जनता की भाषा में उतारा । प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में ईश्वर की आराधना की । उनका मानना था - ईश्वर के सम्मुख सभी समान हैं। हमें अपने रंग-रूप और जाति के अहंकार को दूर कर एक-दूसरे को 'ईश्वर की संतान' के रूप में देखना चाहिए; यह सीख उन्होंने समाज को दी । इन सभी संतों की यह विशेषता रही कि भक्ति करते हुए उन्होंने अपने नित्यकर्मों का त्याग नहीं किया । उन्होंने अपने-अपने कर्मों में ईश्वर के दर्शन किए । संत सावता महाराज ने कहा - **'कांदा मुळा भाजी । अवघी विठाई माझी ।।'** यद्‌यपि उनका यह कथन खेती के काम के संदर्भ में है; फिर भी वह संतों के दैनिक जीवन के अन्य कार्यों के लिए भी सटीक जान पड़ता है । संत अपने-अपने कार्य-व्यवसाय करते हुए भक्ति, उपदेश और भक्तिपदों का निर्माण करते रहे । उन्होंने समाज का नैतिक बोध विकसित किया ।

चलो, चर्चा करें

पंढरपुर की वारी के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करो तथा निम्न बिंदुओं पर विचारविमर्श करो:

- वारकरी किस महीने में वारी को जाते हैं ।
- वारी के नियोजन का स्वरूप कैसा होता है?

रामदास स्वामी : रामदास स्वामी मराठवाडा के जांब गाँव में रहते थे । उन्होंने बल की उपासना का

महत्त्व बताया । **'मराठा तितुका मेळवावा । महाराष्ट्र धर्म वाढवावा ।'** उनके द्‌वारा दिया गया यह संदेश विख्यात है । उन्होंने दासबोध, करुणाष्टके, मनाचे श्लोक जैसी साहित्यिक कृतियों के माध्यम से जनता को व्यावहारिक शिक्षा के पाठ पढ़ाए । जन आंदोलन और जन संगठन का महत्त्व बताया । समर्थ संप्रदाय की स्थापना की । चाफल नामक स्थान इस संप्रदाय का केंद्र था । उन्होंने राम और हनुमान की उपासना का प्रसार किया । अपने विचारों को दूर-दूर तक प्रचारित करने हेतु उन्होंने बहुत भ्रमण किया ।

रामदास स्वामी

परतंत्रता में स्वतंत्रता की प्रेरणा : शिवाजी महाराज से पूर्व समय में महाराष्ट्र में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि स्थितियाँ सामान्य रूप से उपरोक्तानुसार थीं । इस कालखंड में महाराष्ट्र आदिलशाही आदि सत्ताओं के नियंत्रण में था । अत: महाराष्ट्र स्वतंत्र नहीं था । ऐसा होने पर भी कुछ लोग और कुछ विचारधाराएँ स्वतंत्रता के स्वप्न देख रहे थे। उनमें स्वराज्य के संकल्पना द्रष्टा माने जाने वाले शहाजी महाराज का स्थान अग्रणी था ।

स्वाध्याय

१. निम्न तालिका पूर्ण करो :

	गाँव/मौजा	कस्बा	परगना
किसे कहते हैं	------	-----	------
अधिकारी	------	-----	------
उदाहरण	------	-----	------

२. किसे कहते हैं ?

(१) बुद्रुक -

(२) परजा-पवन ....

(३) वतन - ....

३. ढूँढ़कर लिखो :

(१) कोकण के तटीय क्षेत्र में अफ्रीका से आए हुए लोग -

(२) अमृतानुभव ग्रंथ के रचनाकार -

(३) संत तुकाराम का गाँव -

(४) भारुड के रचनाकार -

(५) बल की उपासना का महत्त्व बतानेवाले -

(६) नारी संतों के नाम -

४. अपने शब्दों में जानकारी और कार्य लिखो :

(१) संत नामदेव (२) संत ज्ञानेश्वर

(३) संत एकनाथ (४) संत तुकाराम

५. जनता के लिए अकाल संकट क्यों अनुभव होता था ?

उपक्रम

(१) वारकरियों की दिंडी की आप किस प्रकार सहायता करेंगे; उसका नियोजन लिखो ।

(२) विविध संतों की वेशभूषा धारण करो और उनके भक्तिकाव्यों को प्रस्तुत करो ।

(३) पाठ में दी गई काव्य पंक्तियों को मराठी शिक्षक की सहायता से समझो ।

५. स्वराज्य की स्थापना

सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में महाराष्ट्र में युगप्रवर्तक व्यक्तित्व छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हुआ । उन्होंने यहाँ की अन्यायी राज्यसत्ताओं को चुनौती देते हुए स्वराज्य की स्थापना की । उनका जन्म शके १५५१, फाल्गुन वद्य तृतीया को अर्थात १९ फरवरी, १६३० को पुणे जिले में जुन्नर के समीप शिवनेरी किले में हुआ । इस पाठ में हम उनके द्वारा की गई स्वराज्य स्थापना की जानकारी प्राप्त करेंगे ।

शहाजीराजे

शहाजीराजे : शहाजीराजे शिवाजी महाराज के पिता थे । वे दक्षिण के प्रभावशाली सरदार थे । मुगलों ने निजामशाही को जीतने के लिए अभियान चलाया । इस अभियान में बीजापुर के आदिलशाह ने मुगलों की सहायता की । मुगलों का दक्षिण में प्रवेश हो; यह शहाजीराजे को मान्य नहीं था । अत: उन्होंने मुगलों का प्रखर विरोध कर निजामशाही को बचाने का प्रयास किया परंतु मुगल और आदिलशाही की शक्ति एवं सामर्थ्य के आगे उनकी कुछ न चली । ई.स.१६३६ में निजामशाही की पराजय होकर वह समाप्त हुई ।

निजामशाही का अस्तित्व समाप्त होने के पश्चात शहाजीराजे बीजापुर की आदिलशाही के सरदार बने। शहाजीराजे के आधिपत्य में भीमा और नीरा नदियों के बीच के पुणे, सुपे, इंदापुर और चाकण परगने की जागीर थी । आदिलशाह ने जागीर का यह मूल प्रदेश उनके पास वैसा ही रखा । आदिलशाह ने उन्हें कर्नाटक में बंगलुरु और उसके आसपास का प्रदेश जागीर के रूप में दिया ।

शहाजीराजे वीर, पराक्रमी, धैर्यवान, बुद्धिमान और श्रेष्ठ राजनैतिक थे । वे उत्तम धनुर्धारी थे । साथ ही वे तलवार चलाना, भाला फेंकना और गतका-फरी घुमाना आदि में कुशल थे । उनका प्रजा पर अपार स्नेह था । उन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के अनेक प्रदेश जीत लिए थे । दक्षिण भारत में उनकी बड़ी धाक थी । बाल शिवाजी और जिजाबाई बंगलुरु में थे । शहाजीराजे ने बाल शिवाजी को राजा बनने के लिए आवश्यक और योग्य शिक्षा दिलाने का प्रबंध किया । विदेशी लोगों की सत्ता उलट देने तथा स्वराज्य स्थापित करने की उनकी प्रखर इच्छा थी । इसीलिए उन्हें स्वराज्य का संकल्पक कहा जाता है परंतु प्रत्यक्ष में स्वयं के जीवित रहते स्वराज्य की स्थापना करें; ऐसी अनुकूल स्थिति उन्हें प्राप्त नहीं हुई । अपनी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने बाल शिवाजी और जिजाबाई को विश्वसनीय और पराक्रमी सहयोगियों के साथ बंगलुरु से पुणे भेज दिया ।

वीरमाता जिजाबाई : जिजाबाई बुलढाणा जिले के सिंदखेडराजा के पराक्रमी सरदार लखुजीराजे जाधव की कन्या थीं । उन्हें बचपन में ही विभिन्न विद्याओं के साथ-साथ सैनिकी शिक्षा भी प्राप्त हुई थी । शहाजी महाराज का स्वराज्य स्थापना का स्वप्न साकार हो; उसके लिए वे उन्हें निरंतर प्रोत्साहित करती थीं । वे पराक्रमी और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थीं ।

क्या तुम जानते हो ?

जागीर - किसी प्रदेश से आय अथवा राजस्व वसूल करने तथा उसका उपभोग करने के अधिकार को जागीर कहते हैं । शासनकर्ताओं की सेवा में जिन लोगों को सरदार पद प्राप्त होता था; उन्हें नकद राशि के रूप में वेतन न देते हुए वेतन की राशि जितनी आय राजस्व द्वारा उन्हें मिलेगी; इतना प्रदेश दिया जाता था । उसे 'जागीर' कहते थे ।

वीरमाता जिजाबाई

स्वराज्य स्थापना के कार्य में उन्होंने शिवाजी महाराज को निरंतर मार्गदर्शन किया । समय आने पर वे प्रजा की समस्याओं को हल करने के लिए न्याय करने का कार्य भी करती थीं । वे शिवाजी महाराज को उत्तम शिक्षा देने के प्रति जागरूक भी थीं । उन्होंने शिवाजी महाराज को चरित्र, सत्यप्रियता, वाक्पटुता, सजगता, धैर्यशीलता, निर्भयता, शस्त्रप्रयोग, जीतने की आकांक्षा, स्वराज्य का स्वप्न आदि बातों के संस्कार दिए ।

शिवाजी महाराज के सहयोगी : शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना का प्रारंभ मावल क्षेत्र में किया । वर्तमान पुणे जिले की पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिशा का क्षेत्र मावल कहलाता है । मावल का क्षेत्र पर्वतीय, खाई-घाटी और दुर्गम क्षेत्र है । शिवाजी महाराज ने मावल की इस भौगोलिक परिस्थिति का उपयोग स्वराज्य स्थापना में बड़ी कुशलता से किया । उन्होंने लोगों के मन में विश्वास और अपनापन की भावना निर्माण की । स्वराज्य स्थापना के इस कार्य में उन्हें विश्वसनीय साथी-सहयोगी मिले । उनमें येसाजी कंक, बाजी पासलकर, बापूजी मुद्गल, नरहेकर देशपांडे बंधु, कावजी कोंढालकर, जिवा महाला, तानाजी मालुसरे, कान्होजी जेधे, बाजीप्रभु देशपांडे, दादाजी नरसप्रभु देशपांडे कुछ नाम हैं । इन साथी-सहयोगियों के बल पर उन्होंने स्वराज्य स्थापना का कार्य हाथ में लिया ।

ध्यान में रखो

बारह मावल : (१) पवना मावल (२) हिरडस मावल (३) गुंजण मावल (४) पौड़ घाटी (५) मुठे घाटी (६) मुसे घाटी (७) कानद घाटी (८) वेलवंड घाटी (९) रोहिड़ घाटी (१०) आंदर मावल (११) नाणे मावल (१२) कोरबारसे मावल ।

शिवाजी महाराज की पुणे जागीर के सह्याद्रि पर्वत की गोद में स्थित प्रदेश मावल घाटी कहलाता है । इसे 'बारह मावल' भी कहते हैं ।

करके देखो

शिवाजी महाराज के सहयोगी जिवा महाला, तानाजी मालुसरे, बाजीप्रभु देशपांडे के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करो ।

राजमुद्रा

राजमुद्रा : स्वराज्य की स्थापना के पीछे शिवाजी महाराज का उद्देश्य उनकी इस राजमुद्रा द्वारा स्पष्ट होता है । इस राजमुद्रा पर निम्न संस्कृत पंक्तियाँ उकेरी गई हैं ।

प्रतिपच्चंद्रलेखेव वर्धिष्णुर्विश्ववंदिता ।।

शाहसूनोः शिवस्यैषा मुद्रा भद्राय राजते ।।

अर्थ : ''शहाजी पुत्र शिवाजी की (शुक्ल पक्ष की) प्रतिपदा के चंद्रमा की कला के समान बढ़ती जानेवाली तथा जिसको संपूर्ण विश्व ने वंदना की है; ऐसी यह मुद्रा (प्रजा के) कल्याण के लिए अधिराज्य चलाती है ।''

मुद्रा पर अंकित इस सुवचन का अर्थ अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है । शिवाजी महाराज के इस सुवचन द्वारा पिता के प्रति कृतज्ञता, स्वराज्य अविरत विस्तार पाएगा; यह विश्वास, मुद्रा अर्थात स्वराज्य के प्रति सभी को प्राप्त होता आदर भाव,

प्रजा के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता और अपनी भूमि पर स्वतंत्रतापूर्वक अधिराज्य चलाने का विश्वास व्यक्त हुआ है । इस लघु सुवचन में स्वराज्य की संकल्पना का सर्वांगीण सार सिमटा हुआ है ।

समझें

- अपने देश की राजमुद्रा का निरीक्षण करो ।
- उसमें कौन-कौन-सी बातें दिखाई देती हैं ?
- राजमुद्रा का उपयोग कहाँ-कहाँ किया गया दिखाई देता है ?

स्वराज्य स्थापना की गतिविधियाँ : शिवाजी महाराज की जागीर में जो किले थे; वे वास्तव में उनके अधिकार में नहीं थे । वे किले/गढ़ आदिलशाही के नियंत्रण में थे । उस समय किलों/गढ़ों का असाधारण महत्त्व था । किला अथवा गढ़ अपने अधिपतित्व में हो तो आस-पास के प्रदेशों पर नियंत्रण रखा जा सकता था । स्थिति यह थी - 'जिसका किला, उसी का राज्य' । शिवाजी महाराज ने अपनी जागीर के किलों को अपने अधिकार में कर लेने का निश्चय कर लिया । किलों को अपने अधिकार में कर लेने का प्रयास करने का अर्थ आदिलशाह की सत्ता को चुनौती देना था । उन्होंने तोरणा, मुरुंबदेव, कोंढाणा, पुरंदर किलों को अपने अधिकार में कर लिया और स्वराज्य की नींव रखी। मुरुंबदेव किले की मरम्मत कर उसका नामकरण 'राजगढ़' किया गया । राजगढ़ स्वराज्य की प्रथम राजधानी बना ।

किला राजगढ़ - पाली दरवाजा

आदिलशाही में जावली के मोरे, मुधोल के घोरपड़े और सावंतवाड़ी के सावंत आदि सरदार थे। इन सरदारों को स्वराज्य स्थापना के प्रति विरोध था। स्वराज्य स्थापना के लिए इन सरदारों को सही रास्ते पर लाना आवश्यक था ।

जावली पर अधिकार : सातारा जिले में जावली नामक स्थान का सरदार चंद्रराव मोरे था । वह आदिलशाह का पराक्रमी सरदार था । उसने स्वराज्य स्थापना के कार्य को विरोध किया । अत: ई.स. १६५६ में शिवाजी महाराज ने जावली पर आक्रमण कर उस प्रदेश को जीत लिया । उसे अपना केंद्र बनाया । इसके बाद रायगढ़ भी जीत लिया । जावली की विपुल संपत्ति उनके हाथ लगी । जावली को जीतने के बाद शिवाजी महाराज ने कोकण में अपनी गतिविधियाँ तेज कर दीं । उन्होंने जावली की घाटी में प्रतापगढ़ किले का निर्माण करवाया । जावली पर विजय प्राप्त करने से उनकी सामर्थ्य में सभी प्रकार से वृद्धि हुई ।

इसके बाद शिवाजी महाराज ने कल्याण और भिवंडी भी जीत लिए । इससे उनका पश्चिमी तट पर बसीं सिद्दी, पुर्तगाली और अंग्रेजी सत्ताओं से आमना-सामना हुआ । यदि इन सत्ताओं से संघर्ष करना है तो हमें शक्तिशाली नौसेना का निर्माण करना होगा; यह उनके ध्यान में आया । अत: उन्होंने नौसेना निर्माण की ओर ध्यान दिया ।

अफजल खान का दमन : शिवाजी महाराज ने अपनी जागीर और आसपास के आदिलशाही प्रदेश के किलों को अपने अधिकार में लेना प्रारंभ किया । वे जावली के मोरे का विरोध कुचल चुके थे । कोकण क्षेत्र में स्वराज्य स्थापना के कार्य को गति प्राप्त हुई थी । ये सभी बातें जैसे आदिलशाही को चुनौती थीं। उस समय आदिलशाही का प्रशासन बड़ी साहिबा चला रही थी । उसे लगने लगा कि शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करना चाहिए । इसलिए उसने आदिलशाही के बलवान और अनुभवी सरदार अफजल खान को शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए कहा ।

अफजल खान बीजापुर से चलकर वाई आ

पहुँचा। अफजल खान वाई प्रांत से भली-भाँति परिचित था । वाई के निकट प्रतापगढ़ की तलहटी में १० नवंबर १६५९ को शिवाजी महाराज और अफजल खान की भेंट हुई । इस भेंट में अफजल खान ने शिवाजी महाराज को छल-कपट से हानि पहुँचाने का प्रयास किया। इसलिए उन्होंने अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया और आदिलशाही सेना का दमन किया ।

अफजल खान का वध करने के बाद शिवाजी महाराज ने युद्ध में घायल हुए सैनिकों को मानधन दिया। युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को पुरस्कार दिए । अफजल खान की सेना के जिन सैनिकों और अधिकारियों को शिवाजी महाराज ने बंदी बनाया था; उनके साथ उन्होंने भलमनसाहत का व्यवहार किया ।

सिद्दी जौहर का आक्रमण : अफजल खान का दमन करने के पश्चात शिवाजी महाराज ने आदिलशाही के वसंतगढ़, पन्हाला और खेलणा किले जीत लिए। खेलणा किले को 'विशालगढ़' नाम दे दिया ।

शिवाजी महाराज का बंदोबस्त करने के लिए आदिलशाह ने ई.स.१६६० में करनूल प्रदेश का सरदार सिद्दी जौहर से शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने को कहा । उसे 'सलाबत खान' की उपाधि दी । सिद्दी जौहर की सहायता के लिए रुस्तम-ए-जमान, बाजी घोरपड़े और अफजल खान का बेटा फजल खान भी थे । इस स्थिति में शिवाजी महाराज पन्हाला गढ़ में चले गए । सिद्दी की सेना ने लगभग पाँच महीने पन्हाला गढ़ को घेर रखा था । इस घेरे से निकलना शिवाजी महाराज के लिए कठिन हो गया था । नेतोजी पालकर ने बाहर से सिद्दी की सेना पर आक्रमण कर इस घेरे को हटाने का प्रयास किया परंतु उसकी सेना बहुत कम थी । इसलिए यह प्रयास सफल नहीं हुआ। सिद्दी घेरा हटाएगा; ऐसे आसार दिखाई नहीं दे रहे थे । अत: शिवाजी महाराज ने सिद्दी से बातचीत प्रारंभ की । इससे पन्हाला गढ़ का घेरा ढीला पड़ गया। शिवाजी महाराज को इस स्थिति का लाभ प्राप्त हुआ ।

इस स्थिति में गढ़ का शिवा काशिद नामक पराक्रमी युवक आगे बढ़ आया । यह युवक शिवाजी महाराज जैसा दिखाई देता था । उसने शिवाजी महाराज जैसी वेशभूषा धारण की और पालकी में बैठ गया । यह पालकी राजदिंडी दरवाजे से बाहर निकल गई । सिद्दी की सेना ने इस पालकी को पकड़ लिया । यह घड़ी बड़े संकट की थी । शिवा काशिद ने स्वराज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया । इसी बीच शिवाजी महाराज दूसरे दुर्गम रास्ते से गढ़ से बाहर निकल गए । उनके साथ बाजीप्रभु देशपांडे और बांदल-देशमुख सहित कुछ चुनिंदा सैनिक थे ।

शिवाजी महाराज पन्हाला गढ़ के घेरे से निकलकर विशालगढ़ की ओर बढ़े । सिद्दी को यह समाचार प्राप्त हुआ । उसकी सेना ने उनका पीछा किया । सिद्दी की सेना को विशालगढ़ की तलहटी में रोकने का दायित्व शिवाजी महाराज ने बाजीप्रभु देशपांडे को सौंपा ।

बाजीप्रभु देशपांडे ने गजापुर के समीप घोड़दर्रा (घोडखिंड) में सिद्दी की सेना को रोका । बाजीप्रभु ने वीरता की पराकाष्ठा की परंतु वह वीरगति को प्राप्त हुआ । उसके सैनिकों ने सिद्दी की सेना को रोककर रखा था । परिणामत: शिवाजी महाराज को विशालगढ़ की ओर बढ़ना संभव हुआ । विशालगढ़ जाते समय शिवाजी महाराज ने पालवन के दलवी और शृंगारपुर के सुर्वे के विरोध का दमन किया । ये आदिलशाही के सरदार थे । इसके बाद शिवाजी महाराज सकुशल विशालगढ़ पहुँच गए ।

जिस समय शिवाजी महाराज पन्हाला गढ़ के घेरे में घिरे हुए थे; उस समय दिल्ली की सत्ता पर आसीन हुए औरंगजेब बादशाह ने मुगल सरदार शाइस्ता खान को दक्षिण में भेजा । उसने पुणे प्रांत पर आक्रमण किया था । उस समय शिवाजी महाराज का आदिलशाही के साथ संघर्ष चल रहा था । इस स्थिति में; दो शत्रुओं के साथ एक ही

समय में युद्ध करना उचित नहीं होगा; यह शिवाजी महाराज के ध्यान में आया । अत: विशालगढ़ पर सकुशल पहुँचने के बाद उन्होंने आदिलशाह के साथ संधि कर ली । इस संधि के अनुसार उन्हें पन्हाला किला लौटाना पड़ा। यहाँ शिवाजी महाराज की स्वराज्य स्थापना का एक चरण पूर्ण हुआ ।

स्वाध्याय

१. समूह में संगति न रखनेवाला शब्द ढूँढ़ो :

(१) पुणे, सुपे, चाकण, बंगलुरु

(२) फलटण के जाधव, जावली के मोरे, मुधोल के घोरपडे, सावंतवाडी के सावंत

(३) तोरणा, मुरुंबदेव, सिंहगढ़, सिंधुदुर्ग

२. चलो लेखन करें :

(१) वीरमाता जिजाबाई द्वारा शिवाजी महाराज को दिए गए संस्कार लिखो ।

(२) शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना का प्रारंभ मावल क्षेत्र से किया ।

३. शिवाजी महाराज के साथी-सहयोगियों की सूची बनाओ ।

४. ढूँढ़ो और लिखो :

(१) शहाजीराजे को स्वराज्य का संकल्पक क्यों कहते हैं ?

(२) शिवाजी महाराज ने नौसेना निर्माण की ओर ध्यान क्यों दिया ?

(३) शिवाजी महाराज ने आदिलशाह के साथ संधि क्यों की ?

(४) शिवाजी महाराज पन्हाला गढ़ से किस प्रकार निकल गए ?

उपक्रम

(१) तुम्हारे देखे हुए किसी किले का वर्णन करो और ऐतिहासिक वास्तु का संरक्षण करने के विषय में तुम क्या उपाय सुझाओगे; यह बताओ ।

(२) खेती का 'सात/बारा' (७/१२) कागज प्राप्त कर पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ समझ लो ।

किला पन्हाला – तीन दरवाजा

६. मुगलों से संघर्ष

अब तक शिवाजी महाराज ने आदिलशाही के साथ सफलतापूर्वक संघर्ष किया था परंतु स्वराज्य का विस्तार करते समय मुगलों से संघर्ष करना भी अटल था। स्वराज्य का विस्तार प्रारंभ होते ही स्वराज्य पर मुगलों का संकट मंड़राने लगा । शिवाजी महाराज ने इस संकट पर भी विजय पाई । मुगलों से अपने किले और प्रदेश पुन: अपने अधिकार में कर लिए । स्वयं का राज्याभिषेक करवाया । दक्षिण में अभियान चलाया। इस पाठ में हम इन सभी घटनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे ।

शाइस्ता खान का आक्रमण : फरवरी १६६० में शाइस्ता खान अहमदनगर से पुणे प्रांत में आया। उसने सैनिकों की छोटी-छोटी टुकड़ियाँ आसपास के प्रदेशों में भेजकर स्वराज्य के प्रदेश को बुरी तरह से ध्वस्त किया । उसने चाकण के किले को घेर लिया। चाकण किले का किलेदार फिरंगोजी नरसाला ने शाइस्ता खान की सेना का डटकर सामना किया। अंतत: शाइस्ता खान ने चाकण के किले को जीत लिया ।

अब शाइस्ता खान ने पुणे के लाल महल में पड़ाव डाला। यहाँ तो शिवाजी महाराज का बचपन बीता था। यहाँ से उसने आसपास के प्रदेश की लूट-पाट जारी ही रखी । दो वर्ष हुए फिर भी वह पुणे से अपना पड़ाव हटाने को तैयार नहीं था । इसका दुष्प्रभाव प्रजा के मनोबल पर होना स्वाभाविक था। इस स्थिति में शिवाजी महाराज ने एक साहसिक योजना बनाई ।

शिवाजी महाराज ने अपनी निगरानी में लाल महल पर चुपचाप धावा बोलने की साहसिक योजना बनाई । इस योजना के अनुसार ५ अप्रैल १६६३ को शिवाजी महाराज ने रात के समय अपने कुछ सैनिकों के साथ लाल महल पर धावा बोल दिया। इस धावे में शाइस्ता खान की उंगलियाँ कट गईं । इससे वह अपमानित हुआ । वह पुणे छोड़कर औरंगाबाद चला गया और वहाँ अपना पड़ाव डाला। इस घटना के कारण शाइस्ता खान को औरंगजेब का रोष सहना पड़ा । औरंगजेब ने उसे बंगाल के सूबे में भेजा । शाइस्ता खान पर हुए इस सफल आक्रमण से लोग भी प्रभावित हुए । शिवाजी महाराज के प्रति लोगों का विश्वास दृढ़ हो गया ।

बताओ तो

सूरत शहर जाना है तो तुम कैसे जाओगे; यह मानचित्र की सहायता से दर्शाओ ।

- शिवाजी महाराज सूरत कैसे पहुँचे होंगे; इसकी कल्पना करो ।

सूरत पर आक्रमण : तीन वर्ष की कालावधि में शाइस्ता खान ने स्वराज्य का बड़ा प्रदेश ध्वस्त किया था । इस हानि को पूर्ण करना आवश्यक था। अत: शिवाजी महाराज ने मुगलों को सबक सिखाने की योजना बनाई । मुगलों के अधिकार में सूरत शहर था। यह बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह था । वहाँ अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों के गोदाम थे । इस शहर से बादशाह औरंगजेब को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता था। साथ ही; सूरत आर्थिक रूप से संपन्न शहर था । अत: शिवाजी महाराज ने सूरत पर आक्रमण किया । सूरत का सूबेदार इनायत खान शिवाजी महाराज का प्रतिकार नहीं कर पाया । सामान्य प्रजा को कष्ट न पहुँचाते हुए उन्होंने सूरत से विपुल संपत्ति पाई । उनका यह अभियान सफल रहा । इस अभियान से औरंगजेब की प्रतिष्ठा को आघात लगा ।

जयसिंह का आक्रमण : शिवाजी महाराज की बढ़ती गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए औरंगजेब ने अपने पराक्रमी और अनुभवी सरदार मिर्जा राजे जयसिंह को भेजा । जयसिंह पुणे पहुँचा। उसने शिवाजी महाराज के विरोध में सभी शक्तियों को संगठित करने के अपने प्रयास प्रारंभ किए । जयसिंह ने गोआ और

वसई के पुर्तगालियों, वेंगुर्ला के डचों, सूरत के अंग्रेजों, जंजीरा के सिद्दियों को सुझाया कि वे शिवाजी महाराज के विरुद्ध नौसेना अभियान चलाएँ ।

जयसिंह ने शिवाजी महाराज के अधिकारवाले किलों को जीतने की योजना बनाई । स्वराज्य के विविध भागों में उसने मुगल सैनिकों की टुकड़ियों को भेजा । उन सैनिकों ने स्वराज्य के प्रदेश को तहस-नहस किया । शिवाजी महाराज ने मुगलों का प्रतिकार किया। जयसिंह और दिलेर खान ने पुरंदर किले को घेर लिया। पुरंदर को घेरे जाने पर मुरारबाजी देशपांडे ने वीरता की पराकाष्ठा की परंतु वह वीरगति को प्राप्त हुआ । परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए शिवाजी महाराज ने जयसिंह से बातचीत करने का निर्णय किया । वे जयसिंह से मिले। जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच जून १६६५ में संधि हुई । इसे 'पुरंदर की संधि' कहते हैं । इस संधि के अनुसार शिवाजी महाराज ने तेईस किले और उनके आस-पास का वार्षिक चार लाख होन आयवाला प्रदेश दिया । शिवाजी महाराज ने आदिलशाही के विरुद्ध मुगलों की सहायता करने का आश्वासन भी दिया। इस संधि को औरंगजेब ने स्वीकृति दी ।

बताओ तो

शिवाजी महाराज आगरा में औरंगजेब की नजरकैद से किस प्रकार निकल आए, इसकी जानकारी प्राप्त करो ।

आगरा जाना और चकमा देकर निकल आना : पुरंदर की संधि के बाद जयसिंह ने आदिलशाही के विरुद्ध अभियान चलाया । शिवाजी महाराज ने जयसिंह की सहायता की परंतु जयसिंह का यह अभियान सफल नहीं हुआ । उस समय जयसिंह और औरंगजेब बादशाह ने यह विचार किया कि कुछ समय के लिए शिवाजी महाराज को दक्षिण की राजनीति से दूर रखना चाहिए । इस निर्णय के अनुसार जयसिंह ने शिवाजी महाराज के सामने प्रस्ताव रखा कि वे औरंगजेब से मिलने आगरा जाएँ। जयसिंह ने उन्हें उनकी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त कराया । शिवाजी महाराज ने आगरा के लिए प्रस्थान किया । उनके साथ राजपुत्र संभाजी तथा विश्वसनीय और प्राण निछावर करने वाले चुनिंदा सहयोगी भी थे ।

शिवाजी महाराज आगरा पहुँचे परंतु औरंगजेब ने दरबार में उन्हें उचित सम्मान प्रदान नहीं किया । इसपर शिवाजी महाराज ने अपना क्रोध व्यक्त किया। इसके पश्चात औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद किया । बादशाह की इस हरकत से शिवाजी महाराज विचलित नहीं हुए अपितु उन्होंने नजरबंदी से छुटकारा पाने की योजना बनाई । वे बड़ी चतुराई से आगरा से निकल गए और कुछ दिनों के बाद महाराष्ट्र में सकुशल पहुँच गए । आगरा से आते समय उन्होंने संभाजी महाराज को मथुरा में छोड़ा था । कालांतर में उन्हें भी सकुशल राजगढ़ पर लाया गया । जब शिवाजी महाराज स्वराज्य से दूर थे तब वीरमाता जिजाबाई और शिवाजी महाराज के सहयोगियों ने प्रशासन चलाया ।

मुगलों के विरुद्ध आक्रामक भूमिका : शिवाजी महाराज मुगलों के साथ तुरंत संघर्ष नहीं चाहते थे परंतु पुरंदर की संधि के अनुसार मुगलों को दिए हुए किले और प्रदेश पुन: प्राप्त करना उनका उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने एक व्यापक और साहसिक योजना बनाई। इस नीति के अनुसार एक ओर दिए हुए विभिन्न किलों पर पूरा दल-बल भेजकर किले अपने अधिकार में कर लेने हैं और दूसरी ओर मुगलों के प्रभाववाले दक्खिनी प्रदेशों पर आक्रमण करके उन्हें परेशान कर रखना है । अब उन्होंने मुगलों के अहमदनगर और जुन्नर प्रदेशों पर आक्रमण किए। इसके बाद सिंहगढ़, पुरंदर, लोहगढ़, माहुली, कर्नाला और रोहिड़ा किले जीत लिए। इसके पश्चात शिवाजी महाराज ने दूसरी बार सूरत पर धावा बोला । सूरत से लौटते समय उनका नाशिक जिले में वणी-दिंडोरी स्थान पर मुगलों के साथ जबर्दस्त संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में शिवाजी

महाराज ने मुगल सरदार दाऊद खान को पराजित किया । तदुपरांत मोरोपंत पिंगळे ने नाशिक के निकट त्र्यंबकगढ़ को जीता।

इस प्रकार मुगलों के विरुद्ध शिवाजी महाराज ने जो आक्रामक नीति अपनाई थी, वह सफल हुई । आक्रमण के इन अभियानों में तानाजी मालुसरे, मोरोपंत पिंगळे, प्रतापराव गुजर आदि सरदारों ने उल्लेखनीय पराक्रम दिखाया। बखरकार (इतिहासकार) कृष्णाजी अनंत सभासद ने इन अभियानों का वर्णन करते हुए लिखा है, 'चार महीनों में सत्ताईस गढ़ अपने अधिकार में कर लिए; बड़ी ख्याति पाई ।'

छत्रपति शिवाजी महाराज

राज्याभिषेक : लगातार तीस वर्षों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप मराठों का स्वराज्य साकार हो गया था परंतु स्वराज्य के स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए इस स्वराज्य को अधिकृतता और सभी की मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है; यह शिवाजी महाराज के ध्यान में आया । इसके लिए विधिवत राज्याभिषेक करवाना आवश्यक था । ६ जून, १६७४ को शिवाजी महाराज ने विद्वान पंडित गागा भट्ट द्वारा रायगढ़ पर अपना राज्याभिषेक करवाया ।

इस राज्याभिषेक द्वारा अब शिवाजी महाराज स्वराज्य के छत्रपति बने । संप्रभुता के प्रतीक रूप में उन्होंने 'राज्याभिषेक शक' इस नई कालगणना को प्रारंभ किया । अब वे 'शककर्ता' बने । राज्याभिषेक के अवसर पर उन्होंने स्वर्ण का सिक्का 'होन' और तांबे का सिक्का 'शिवराई' ढाले । इन सिक्कों पर 'श्री राजा शिवछत्रपति' ये अक्षर उकेरे हुए थे । इसके पश्चात कालांतर में राजपत्रों पर 'क्षत्रिय कुलावंतस श्री राजा शिवछत्रपति' का उल्लेख किया जाने लगा । राज्याभिषेक के पश्चात उन्होंने फारसी शब्दों का पर्यायी संस्कृत शब्दोंवाला एक कोश तैयार करवाया । इसी को 'राज्यव्यवहारकोश' कहते हैं ।

रायगढ़

याद करो ...

किस भारतीय शासक ने नई कालगणना का प्रारंभ किया?

ध्यान में रखो

राज्यव्यवहार कोश में आए हुए कुछ प्रतिशब्द उल्लेखनीय हैं ।

जैसे-किताब-पदवी (खिताब),
फरमान-राजपत्र, जामीन-प्रतिभूति,
हाली-संप्रति, माजी-पूर्व/भूतपूर्व
फिलहाल-तत्काल (इस समय),
वाहवा-उत्तम, वकूब-प्रज्ञा,
बेवकूफ-मूढ़ (मूर्ख), दस्तपोशी-हस्तस्पर्श,
मुलाखत-दर्शन,
कदमपोशी-चरणस्पर्श, झूठ-मिथ्या (असत्य),
कौलनामा-अभय, फतेह-विजय,
फिर्याद (फरियाद)- अन्यायवार्ता (न्याय हेतु याचना करना), शिलेदार-स्वतुरगी (जिसके पास स्वयं का घोड़ा है ।)

मध्यकालीन भारत के इतिहास में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक एक क्रांतिकारी घटना है। इस घटना के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए इतिहासकार सभासद कहता है-''मराठा पातशाह इतना बड़ा छत्रपति बना; यह कोई साधारण बात नहीं है ।''

इसके बाद शिवाजी महाराज ने अल्पावधि में २४ सितंबर १६७४ को निश्चलपुरी गोसावी के मार्गदर्शन में तांत्रिक पद्धति द्वारा राज्याभिषेक करवाया । भारत में धार्मिक विधियों की दो परंपराएँ- वैदिक और तांत्रिक प्रचलित थीं । इन दोनों पद्धतियों का आदर करते हुए शिवाजी महाराज ने इन पद्धतियों द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया ।

क्या तुम जानते हो ?

शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के समय युवराज संभाजीराजे की आयु १७ वर्ष की थी । उन्होंने 'बुधभूषण' ग्रंथ में राज्याभिषेक समारोह का वर्णन किया है। यह वर्णन उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर किया है।

'छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक समारोह के अवसर पर अलग-अलग प्रांतों से जो विद्वान आए थे; उन्हें बिना तौले और गणना किए विपुल धन दिया गया । साथ ही; उन्हें वस्त्र, हाथी, घोड़े भी दान में देकर संतुष्ट किया गया ।'

इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी कीर्ति दसों दिशाओं में फैलाई ।

क्या तुम जानते हो ?

शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक हेतु अत्यंत मूल्यवान और भव्य सिंहासन का निर्माण करवाया गया। सिंहासन की आठ दिशाओं में आठ रत्नजड़ित स्तंभ थे । यह सिंहासन आठ मन स्वर्ण का था तथा इसमें मूल्यवान रत्न जड़े गए थे ।

- 'मन' इकाई (एकक) को गणित के शिक्षकों से समझो ।

दक्षिण का अभियान : राज्याभिषेक के लगभग तीन वर्षों के बाद अक्तूबर १६७७ में शिवाजी महाराज ने दक्षिण में अभियान चलाया । वे गोलकुंडा गए और कुतुबशाह से मिले । उन्होंने उसके साथ

मित्रता की संधि की । आगे चलकर शिवाजी महाराज ने कर्नाटक के बंगलुरु, होसकोट तथा वर्तमान तमिलनाडु के जिंजी, वैल्लोर आदि किले और आदिलशाह के कुछ प्रदेश जीत लिए लेकिन उनकी सेना ने वहाँ की प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचाया । विजित प्रदेश के प्रशासन की देखरेख के लिए प्रमुख प्रशासक के रूप में रघुनाथ नारायण हणमंते की नियुक्ति की ।

शिवाजी महाराज के सौतेले भाई व्यंकोजी वर्तमान तमिलनाडु के तंजौर में शासन कर रहे थे । शिवाजी महाराज का प्रयास था कि उन्हें भी स्वराज्य के कार्य में सहभागी करा लें । व्यंकोजी राजे के पश्चात तंजौर के राजाओं ने विभिन्न विद्याओं और कलाओं का संवर्धन किया । यहाँ का 'सरस्वती महल' ग्रंथालय विश्वविख्यात है ।

दक्षिण के अभियान में शिवाजी महाराज ने तमिलनाडु का जिंजी किला जीतकर उसे स्वराज्य में समाविष्ट कर लिया । उनके इस कार्य को भविष्य में बड़ा ही निर्णायक महत्व प्राप्त हुआ । मुगल शासक औरंगजेब स्वराज्य को नष्ट करने के लिए महाराष्ट्र में पाँव जमाए बैठा था । उस समय तत्कालीन छत्रपति राजाराम महाराज को अपनी सुरक्षा की दृष्टि से महाराष्ट्र से बाहर जाना पड़ा था। वे दक्षिण के इसी जिंजी किले के आश्रय में चले गए थे और वहीं से स्वराज्य का प्रशासन चलाया ।

इस दक्षिण विजयी अभियान के पश्चात अल्पावधि में ३ अप्रैल १६८० को शिवाजी महाराज का रायगढ़ में निधन हो गया । पचास वर्ष की आयु में उनका निधन होना स्वराज्य के लिए अपूरणीय क्षति थी । एक महान युग का अस्त हो गया ।

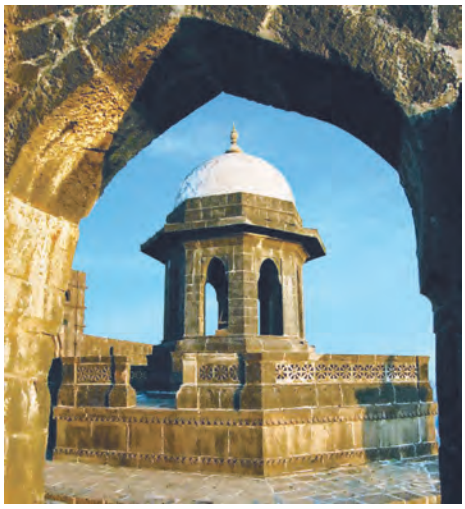

शिवाजी महाराज की समाधि – रायगढ़

स्वाध्याय

१. निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार लिखो :

(१) शिवाजी महाराज का दक्षिण अभियान ।
(२) लाल महल पर धावा ।
(३) आगरा से निकल आना ।
(४) राज्याभिषेक
(५) पुरंदर की संधि
(६) शाइस्ता खान का आक्रमण

२. ढूँढ़ो तो मिलेगा :

(१) संस्कृत शब्दकोश –
(२) जिसने त्र्यंबकगढ़ को जीता –
(३) वणी-दिंडोरी में पराजित सरदार –
(४) वे स्थान; जहाँ अंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों के गोदाम थे –

३. अपने शब्दों में लिखो :

(१) शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक ।
(२) आगरा से निकल आना ।
(३) शिवाजी महाराज का दक्षिण अभियान ।
(४) शिवाजी महाराज द्वारा राज्याभिषेक के लिए की गईं तैयारियाँ ।

४. कारण लिखो :

(१) शिवाजी महाराज ने पुरंदर की संधि की ।
(२) शिवाजी महाराज ने मुगलों के विरुद्ध आक्रामक भूमिका अपनाई ।

उपक्रम

(१) विद्यालय में मनाए जानेवाले स्वतंत्रता/गणतंत्र दिवस समारोह के लिए तुम क्या-क्या तैयारियाँ करते हो? शिक्षकों की सहायता से उसकी सूची बनाओ।
(२) अपने परिसर के किसी ऐतिहासिक स्थान पर जाओ और उसका प्रतिवेदन तैयार करो ।

७. स्वराज्य का प्रशासन

शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की। स्वयं का राज्याभिषेक करवाया । राज्याभिषेक के पश्चात उन्होंने दक्षिण का विजयी अभियान चलाया। स्वराज्य का विस्तार हुआ । इस स्वराज्य में नाशिक, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरि, रायगढ़ और ठाणे जिलों के बहुत से प्रदेशों का अंतर्भाव था । साथ ही; कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों के कुछ हिस्से स्वराज्य में समाविष्ट थे । इस तरह विस्तारित स्वराज्य का प्रशासन सुचारु रूप से चले, स्वराज्य में लोगों का कल्याण हो; इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए शिवाजी महाराज ने स्वराज्य को सुस्थिति प्रदान की । इस विषय की जानकारी हम प्राप्त करेंगे ।

अष्टप्रधान मंडल : शिवाजी महाराज ने राज्याभिषेक के अवसर पर अष्टप्रधान मंडल का गठन किया । राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से उसे आठ विभागों में बाँटा गया । प्रत्येक विभाग हेतु एक प्रमुख की नियुक्ति की गई । आठ विभागों के आठ प्रमुख मिलकर 'अष्टप्रधान मंडल' बना । इन प्रमुखों की नियुक्ति करना अथवा उन्हें उनके पद से हटाना शिवाजी महाराज के अधिकार में था। ये विभाग प्रमुख अपने-अपने विभाग को लेकर शिवाजी महाराज के प्रति उत्तरदायी थे ।

शिवाजी महाराज ने गुणवत्ता और कार्य देखकर अष्टप्रधान मंडल का चुनाव किया । उन्हें वतन, पुरस्कार अथवा जागीरें नहीं दीं लेकिन नकद वेतन भरपूर दिया ।

कृषि विषयक नीति : गाँव-देहात का मुख्य व्यवसाय कृषि था । शिवाजी महाराज कृषि के महत्त्व को जानते थे । अतः उन्होंने किसानों के हितों को वरीयता दी । उन्होंने अपने पराक्रमी और अनुभवी अधिकारी अण्णाजी दत्तो को भू-राजस्व के प्रबंधन का दायित्व सौंपा । उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दे रखी थी कि वे निर्धारित राशि से अधिक राजस्व इकट्ठा न करें। बंजर भूमि को उपज योग्य बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया । अतिवृष्टि या अकाल पड़ने पर फसल नष्ट होती है अथवा शत्रुसेना गाँव को ध्वस्त करती है तो ऐसी स्थिति में गाँववालों को भू-राजस्व (लगान) और अन्य करों में छूट दी जाती थी । साथ ही; शिवाजी महाराज ने अधिकारियों को आदेश दे रखा था कि ऐसे समय किसानों को बैलों की जोड़ी, हल और बोआई के लिए अच्छे बीज दिए जाएँ ।

शिवाजी महाराज का अष्टप्रधान मंडल

	प्रधान का कार्य	पद	कार्य
१.	मोरो त्रिंबक पिंगळे	प्रधान	राज्य का शासन चलाना तथा विजित प्रदेश की व्यवस्था चलाना ।
२.	रामचंद्र नीलकंठ मुजुमदार	अमात्य	राज्य का आय-व्यय देखना ।
३.	अण्णाजी दत्तो	सचिव	सरकारी आदेशपत्र भेजना ।
४.	दत्ताजी त्रिंबक वाकनीस	मंत्री	पत्रव्यवहार करना ।
५.	हंबीरराव मोहिते	सेनापति	सेना का प्रबंध देखना और राज्य की रक्षा करना ।
६.	रामचंद्र त्रिंबक डबीर	सुमंत	अन्य राज्यों से संबंध रखना ।
७.	निराजी रावजी	न्यायाधीश	न्याय करना ।
८.	मोरेश्वर पंडितराव	पंडितराव	धार्मिक कार्य/विधि देखना ।

तत्कालीन देहातों की अर्थनीति : कृषि व्यवसाय देहात की अर्थनीति की रीढ़ था । देहातों में कृषि व्यवसाय के पूरक व्यवसाय चलते हैं । गाँव के श्रमिक (कारीगर) वस्तुओं का उत्पादन करते थे । वे स्थानीय लोगों की आवश्यकताएँ पूर्ण करते थे । इस अर्थ में देहात आत्मनिर्भर थे । किसान अपनी उपज में से कारीगरों को उनकी आवश्यकतानुसार हिस्सा दिया करते थे । इस हिस्से को 'पौनी (पावना)' कहते थे ।

व्यापार और उद्योग : शिवाजी महाराज जानते थे कि जब तक व्यापार में वृद्धि नहीं होती; तब तक राज्य समृद्ध नहीं बनता । व्यापारियों के कारण राज्य में नव-नवीन और आवश्यक वस्तुएँ आती हैं। वस्तुएँ विपुल मात्रा में उपलब्ध होती हैं । व्यापार में वृद्धि होती है । संपत्ति बढ़ती है । शिवाजी महाराज के आदेशपत्र में एक वर्णन पाया जाता है- 'साहूकार (व्यापारी) राज्य और राजश्री की शोभा है।' यह वर्णन शिवाजी महाराज के व्यापारियों की ओर देखने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है । 'साहूकार' शब्द का अर्थ व्यापारी है ।

शिवाजी महाराज की नीति स्वराज्य के उद्योगों को संरक्षण देने की थी । इसका उत्तम उदाहरण नमक उद्योग है । उन्होंने कोकण में चलने वाले नमक के उद्योग को संरक्षण दिया। उस समय स्वराज्य में पुर्तगालियों के आधिपत्यवाले प्रदेश से नमक का आयात बड़ी मात्रा में होता था । इसका कोकण में चलने वाली स्थानीय नमक की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। इसे ध्यान में रखकर शिवाजी महाराज ने पुर्तगालियों के प्रदेश से आनेवाले नमक पर बहुत बड़ी चुंगी (कर) लगाई थी । उद्देश्य यह था कि पुर्तगालियों से आनेवाला नमक महँगा होकर उसका आयात कम हो जाए और स्थानीय नमक की बिक्री बढ़े ।

सेना व्यवस्था : शिवाजी महाराज की सेना में दो विभाग थे । एक थलसेना और दूसरी अश्वसेना। थलसेना में हवलदार, जुमलेदार जैसे अधिकारी थे। थलसेना प्रमुख को 'सरनोबत' कहते थे । सरनोबत थलसेना का सर्वोच्च अधिकारी था ।

अश्वसेना में दो प्रकार के घुड़सवार थे । एक शिलेदार और दूसरा बारगीर । शिलेदार के पास स्वयं का घोड़ा और शस्त्र होते थे । बारगीर को सरकार की ओर से घोड़ा और शस्त्र दिए जाते । अश्वसेना में बारगीरों की संख्या अधिक थी । अश्वसेना में अधिकारियों की श्रेणियाँ थलसेना की भाँति ही थीं । अश्वसेना का सर्वोच्च अधिकारी 'सरनोबत' था । नेतोजी पालकर, प्रतापराव गुजर, हंबीरराव मोहिते जैसे शिवाजी महाराज की अश्वसेना के कुछ ख्यातिप्राप्त सरनोबत थे ।

समझें

भारतीय रक्षा विभाग के सेना दलों की जानकारी प्राप्त करो ।

- तीनों सेना विभागों के नाम बताओ ।
- प्रत्येक सेना विभाग के प्रमुख को क्या कहते हैं?
- तीनों सेना विभागों का प्रमुख कौन होता है ?

गुप्तचर विभाग : शत्रुओं से स्वराज्य की रक्षा करना आवश्यक था । इसके लिए शत्रुओं की गतिविधियों की अचूक जानकारी समय पर प्राप्त करनी पड़ती थी । यह जानकारी प्राप्त करना और उसे शिवाजी महाराज को सौंपने का कार्य उनके गुप्तचर विभाग के प्रमुख का था । उनका गुप्तचर विभाग बहुत कार्यक्षम था । बहिर्जी नाईक उनके गुप्तचर विभाग का प्रमुख था । वह अलग-अलग स्थानों की जानकारी प्राप्त कर लाने में पारंगत था । सूरत अभियान के पूर्व वह वहाँ की छोटी-सी-छोटी बात की जानकारी ले आया था ।

किले : मध्यकाल में किलों का असाधारण महत्त्व था । यदि किला अपने नियंत्रण में हो तो आसपास के प्रदेश पर ध्यान रखा जा सकता है तथा नियंत्रण भी रखा जा सकता है । विदेशी आक्रमण होने पर किले के सहारे प्रजा की रक्षा भी की जा सकती है । किले में अनाज, युद्ध के लिए आवश्यक

सामग्री, गोला-बारूद का संग्रह किया जा सकता है। स्वराज्य स्थापना के कार्य में निहित किलों का महत्त्व आदेशपत्र में इस प्रकार बताया गया है, 'यह राज्य तो पूजनीय ज्येष्ठ स्वर्गवासी स्वामीजी ने गढ़ द्वारा ही निर्माण किया है ।'

स्वराज्य में ३०० किले थे । शिवाजी महाराज ने इन किलों के निर्माण और मरम्मत पर बहुत बड़ा व्यय किया । राजगढ़, प्रतापगढ़, पावनगढ़ जैसे पहाड़ी किलों का निर्माण करवाया । प्रत्येक किले पर किलेदार, सबनीस और कारखानीस ये अधिकारी होते थे । किले पर अनाज के गोदाम और युद्ध सामग्री का प्रबंधन कार्य देखने के लिए एक अधिकारी होता था; जिसे कारखानीस कहते थे।

क्या तुम जानते हो ?

शिवाजी महाराज के दुर्ग निर्माण संबंध में छत्रपति संभाजी महाराज द्वारा उनके ग्रंथ 'बुधभूषण' में लिखित वर्णन उल्लेखनीय है । वह इस प्रकार है :

'कर्नाटक प्रदेश से लेकर बागलाण प्रदेश तक शत्रुओं के लिए अभेद्य दुर्ग, जैसे कई दुर्ग छत्रपति शिवाजी महाराज ने सह्याद्रि पर्वत के ऊँचे पठारों की श्रेणियों में स्थान-स्थान पर बनवाए । इसका उद्देश्य इस पृथ्वी की रक्षा करना था । उनके सफल नेतृत्व के कारण कृष्णा नदी के तट से लेकर समुद्र के चारों दिशाओं के आसपास इन किलों का निर्माण करवाया । छत्रपति शिवाजी महाराज रायरी किले में विजयी और समस्त राजाओं में अग्रसर रहे ।'

जलदुर्ग (समुद्री किले): शिवाजी महाराज समुद्री किलों के महत्त्व से भली-भाँति परिचित थे । उनके द्वारा निर्माण करवाए गए जलदुर्गों में मालवण का सिंधुदुर्ग उत्कृष्ट समुद्री किला है । इस किले के निर्माण में मजबूती लाने के लिए उन्होंने किले की नींव में सौ मन सीसा उँड़ेलवाने का प्रबंध किया

पद्मदुर्ग

था। सिद्दी पर दबाव बनाए रखने के लिए उन्होंने राजापुरी के सामने पद्मदुर्ग नामक समुद्री किले का निर्माण करवाया । इस किले के विषय में वे अपने एक पत्र में लिखते हैं, 'पद्मदुर्ग बँधवाकर एक राजपुरी के उर पर दूसरी राजपुरी बनाई ।'

नौसेना : भारत के पश्चिमी तट पर गोआ के पुर्तगाली, जंजीरा के सिद्दी, सूरत और राजापुर के गोदामवाले अंग्रेज स्वराज्य के शत्रु थे और वे स्वराज्य के विस्तार कार्य में बाधा उत्पन्न करते थे। इन बाधाओं पर अंकुश रखना और पश्चिमी तट का संरक्षण करना आवश्यक था । इसके लिए शिवाजी महाराज ने नौसेना का निर्माण करवाया । वे जानते थे, 'जिसके पास नौसेना, समुद्र उसी का।' शिवाजी महाराज दूरदर्शी थे ।

शिवाजी महाराज की नौसेना में विविध प्रकार के चार सौ जलपोत थे । उनमें गुराब, गलबत और पाल युद्धपोत थे । इन जलपोतों का निर्माण कल्याण-भिवंडी की खाड़ी, विजयदुर्ग और मालवण में करवाया जाता था । मायनाक भंडारी और दौलत खान नौसेना के प्रमुख अधिकारी थे ।

गुराब

गलबत

करके देखो

भारतीय नौसेना में कार्यरत युद्धपोतों की जानकारी प्राप्त करो और उन जलपोतों के चित्रों का संग्रह करो ।

प्रजा के हितों के प्रति जागरूक : अन्य दूसरे शासकों अथवा राजाओं की भाँति शत्रु के आधिपत्य वाले प्रदेश को जीतना और वहाँ अपना प्रभुत्व जमाना; इतनी सीमित आकांक्षा को लेकर शिवाजी महाराज ने कार्य नहीं किया । प्रजा को स्वतंत्र बनाना उनका उद्देश्य था। यदि प्रजा स्वतंत्रता का सही अर्थ में आनंद प्राप्त करना चाहती है तो शासन का प्रशासन अनुशासनबद्ध होना चाहिए, प्रजा के हितों के प्रति सर्वांगीण रूप से सजग रहना चाहिए और विजित प्रदेशों की रक्षा करनी चाहिए; यह बोध उन्हें था । शिवाजी महाराज केवल सत्ताधीश नहीं थे अपितु प्रजाहितों के प्रति एक सजग शासक थे और यह बात उनके राज्य प्रशासन से स्पष्ट होती है ।

स्वाध्याय

१. पहचानो तो :

(१) आठ विभागों का मंडल –

(२) बहिर्जी नाईक इस खाते का प्रमुख था –

(३) शिवाजी महाराज द्वारा निर्मित मालवण के समीप का जलदुर्ग –

(४) किले में युद्ध सामग्री का प्रबंधन रखने वाला –

२. अपने शब्दों में लिखो :

(१) शिवाजी महाराज की कृषि विषयक नीति ।

(२) शिवाजी महाराज : प्रजाहितों के प्रति एक सजग शासक

३. क्यों; यह बताओ :

(१) शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल का गठन किया ।

(२) शिवाजी महाराज ने नौसेना का निर्माण करवाया ।

४. प्रवाही तालिका पूर्ण करो :

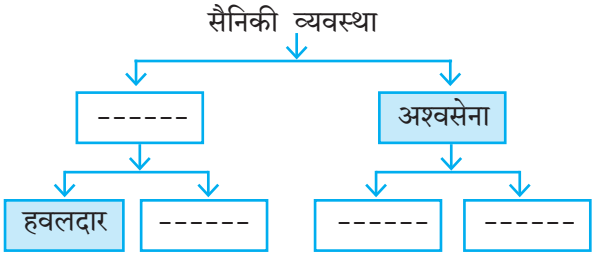

उपक्रम

(१) तुम्हारे परिसर में रहने वाले उस व्यक्ति से साक्षात्कार करो; जो भारतीय सेना में कार्य कर चुका है।

(२) अपने गाँव के बाजार में जाओ और परिसर में तैयार होनेवाली वस्तुओं और बाहरी स्थानों से विक्रय हेतु आई हुई वस्तुओं की सूची बनाओ ।

सिंधुदुर्ग

८. आदर्श शासक

स्वराज्य की स्थापना होने से पूर्व महाराष्ट्र पर आदिलशाही, सिद्दी, पुर्तगाली और मुगल सत्ताओं का प्रभाव था । शिवाजी महाराज ने इन सत्ताओं के विरुद्ध संघर्ष किया । सभी प्रतिकूल परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया और स्वतंत्र तथा प्रभुता संपन्न स्वराज्य की स्थापना की । उन्होंने स्वराज्य के प्रशासन को व्यवस्थित रूप दिया और स्वराज्य को सुराज्य में परिवर्तित किया । शिवाजी महाराज ने अपनी वीरता और कार्य से नई व्यवस्था का ही निर्माण किया । स्वराज्य की स्थापना करने के कार्य में संघर्ष करते हुए उन्होंने स्वयं कई बार खतरे उठाए। अफजल खान से मिलने जाने की घटना हो अथवा पन्हाला गढ़ का घेरा, शाइस्ता खान पर किया गया धावा हो अथवा आगरा से छूटकर आना; ये सभी घटनाएँ खतरों से परिपूर्ण थीं । शिवाजी महाराज ने इन सभी घटनाओं पर सफलतापूर्वक विजय पाई और इनमें से वे सकुशल निकल आए ।

विचार करो

शिवाजी महाराज पर प्राण निछावर करनेवाले साथी-सहयोगी थे । इसीलिए वे स्वराज्य का निर्माण कर सके ।

विभिन्न भाषाओं में मित्रता का महत्व बताने वाले अनेक मुहावरे और कहावतें पाई जाती हैं । उन्हें ढूँढ़ो । जैसे- A Friend in need is a friend indeed.

संगठन कौशल : शिवाजी महाराज ने स्वराज्य अभियान के लिए अपने आसपास के लोगों को प्रेरित किया । उनके पास विलक्षण संगठन कौशल था । इसी कौशल के बल पर उन्होंने वीर और प्राण निछावर करने वाले लोगों को इकट्ठा किया । स्वराज्य के अभियान में उनके इन्हीं सहयोगियों ने अपने प्राणों की परवाह न करते अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया । अफजल खान के साथ हुई भेंट की घटना में अति विकट क्षण में बड़ा सईद को मौत के घाट उतारने वाला जिवा महाला, पन्हाला गढ़ का घेरा तोड़कर जाते समय शिवाजी महाराज की भूमिका निभाने वाला शिवा काशिद, विशालगढ़ की ओर बढ़ते जा रहे शिवाजी महाराज का पीछा करने वाले शत्रु का रास्ता रोकने वाला बाजीप्रभु देशपांडे, पुरंदर किले के लिए युद्ध करने वाला मुरारबाजी देशपांडे, सिंहगढ़ को जीतने के लिए वीरगति पाने वाला तानाजी मालुसरे, आगरा से छूटकर निकल आने की घटना में बहुत बड़ा खतरा उठाने वाला हीरोजी फरजंद और मदारी मेहतर आदि अनेक लोगों के उदाहरण स्वराज्य निर्माण के अभियान में पाए जाते हैं । शिवाजी महाराज अपने सहयोगियों का बहुत ध्यान रखते थे । जैसे- स्वराज्य स्थापना के कार्य में कान्होजी जेधे उनके साथ आरंभिक समय से थे । वृद्धावस्था में वे बीमार हुए । उस समय शिवाजी महाराज ने उनसे कहा, 'उपचार करवाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें ।'

प्रजा के प्रति जागरूकता : स्वराज्य स्थापना के कार्य में शिवाजी महाराज का शत्रुओं के साथ संघर्ष चल रहा था । शत्रुओं के आक्रमणों से प्रजा त्रस्त हो जाती थी। उस समय वे अपनी प्रजा का अधिकाधिक ध्यान रखने का प्रयास करते । शाइस्ता खान पर धावा बोलते समय उन्होंने रोहिड़ घाटी के देशमुख को प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य पूर्ण करने हेतु चेतावनी दी थी । उन्होंने देशमुख से कहा कि वह गाँव-गाँव घूमकर लोगों को घाट के नीचे सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहें । उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि 'इस कार्य में एक क्षण की भी देरी नहीं होनी चाहिए ।' आगे वे यह भी चेतावनी देते हैं, ''यदि प्रजा का ध्यान रखा नहीं गया तो मुगल सेना आएगी, लोगों को बंदी बनाएगी और वह पाप तुम्हारे सिर पर होगा ।'' शिवाजी महाराज इस बात का भी ध्यान रखते थे कि उनके सैनिकों से प्रजा को कोई कष्ट न पहुँचे ।

सेना विषयक नीति : शिवाजी महाराज की सेना में कठोर अनुशासन था । वे इस बात का ध्यान रखते थे कि सैनिकों को निश्चित समय पर वेतन मिले । उन्होंने सैनिकों को नकद वेतन देने का प्रबंध किया । मध्यकालीन भारत में अनेक राज्यशासनों और अन्य क्षेत्रों में सैनिकों को नकद वेतन के बदले जागीर देने की पद्धति थी । शिवाजी महाराज ने इस पद्धति को रद्द कर दिया । जब शत्रु प्रदेश में उनके अभियान चलाए जाते तो सेना को चेतावनी दी जाती कि इस अभियान में उन्हें जो कुछ मिलेगा; वह सरकारी कोष में जमा करें । अभियान में वीरता और पराक्रम दिखाने वाले सैनिकों को सम्मानित किया जाता । युद्ध में जो सैनिक वीरगति प्राप्त करते; उनके परिवार के भरण-पोषण का वे ध्यान रखते । युद्ध में शरण आए हुए शत्रु सैनिकों अथवा बंदी सैनिकों के साथ सद्व्यवहार करते ।

क्या तुम जानते हो ?

फसल की बोआई, सिंचाई और फसल के पकने की अवधि में यदि युद्ध शुरू हो जाता है तो किसान की दुरावस्था का वारा-पारा नहीं रह जाता । बोआई के काम में सैनिकों की गतिविधियाँ आड़े आ ही जातीं । सैनिक कई बार खड़ी फसल भी काट ले जाते अथवा नष्ट कर देते । किसानों के मकान लूटते । शिवाजी महाराज ने अपने अधिकारियों को आदेश दे रखा था कि वे अपने सैनिकों को ऐसी हरकतों से दूर रखें। इस संदर्भ में ई.स.१६७४ में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपने सेना अधिकारियों को उद्देश्य कर लिखा पत्र बहुत महत्त्व रखता है । शिवाजी महाराज ने सेना के अनुशासन के विषय में कितनी सूक्ष्मता से विचार किया था; इसकी कल्पना इन वाक्यों से हो जाती है ।

''यदि प्रजा को कष्ट पहुँचाने लगोगे तो इस स्थिति में लोग कहाँ जाएँगे ? कोई किसान का अनाज हठात ले आएगा तो कोई रोटी छीन ले जाएगा । कोई घास-फूस तो कोई साग-सब्जी ले जाएगा । ऐसा होने लगा तो जो किसान अपने प्राणों के भय से किसी तरह रहते हैं, वे भी घर छोड़कर जाने लगेंगे । अनगिनत लोगों पर भूखों मरने की नौबत आएगी । यह तो वही होगा कि लूटने आए थे मुगल और उससे अधिक तुमने ही उन्हें लूटा । ऐसा शाप मिलेगा ।''

सहिष्णु आचरण : शिवाजी महाराज को आदिलशाह, मुगल और सिद्दी जैसे शत्रुओं से संघर्ष करना पड़ा । ये इस्लामी सत्ताएँ थीं । उनके साथ युद्ध करते समय शिवाजी महाराज ने स्वराज्य में रहने वाले मुस्लिमों को अपना प्रजाजन माना । अफजल खान से भेंट करते समय उनके सैनिकों में सिद्दी इब्राहीम नाम का विश्वसनीय सेवक था । सिद्दी हिलाल शिवाजी महाराज की सेना का सरदार था और दौलत खान स्वराज्य की नौसेना का महत्त्वपूर्ण अधिकारी था ।

शिवाजी महाराज की धार्मिक नीति सहिष्णु थी। शत्रु के किसी प्रदेश को जीतने पर; उस प्रदेश में मुस्लिम धार्मिक स्थानों को मिलने वाली सुविधाएँ; वे वैसी ही जारी रखते । उनके सहिष्णुतापूर्ण धार्मिक नीति के संबंध में इतिहासकार खाफी खान लिखता है, 'शिवाजी महाराज ने अपने सैनिकों के लिए कड़ा नियम बनाया था कि अभियान में किसी भी मस्जिद को क्षति नहीं पहुँचाएँगे । कुरआन की प्रति हाथ लगने पर उसे श्रद्धा भाव से किसी मुस्लिम व्यक्ति को सौंप देंगे ।'

स्वतंत्रता की प्रेरणा : शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना के लिए जो प्रयास किए; उन प्रयासों का अपना अलग मूल्य है और वह मूल्य स्वतंत्रता का मूल्य है । इस मूल्य का उद्देश्य किसी अन्य सत्ता के प्रभुत्व को स्वीकार न करते हुए अपना स्वतंत्र और प्रभुता संपन्न अस्तित्व बनाए रखना है । विदेशी और अन्यायी सत्ताओं से संघर्ष करते हुए शिवाजी महाराज ने दूसरों को भी स्वतंत्रता की प्रेरणा दी । मुगलों की सेवा में रत छत्रसाल जब शिवाजी महाराज से मिला तब उन्होंने उसे बुंदेलखंड में स्वतंत्र राज्य निर्माण करने की प्रेरणा दी ।

शिवाजी महाराज के कार्यों की महानता : शिवाजी महाराज ने अनेक शत्रुओं के साथ संघर्ष

करते हुए स्वराज्य की स्थापना की । उनका यह कार्य उनके युगप्रवर्तकत्व को सिद्ध करता है। इस कार्य के अतिरिक्त उनके व्यक्तित्व में अन्य दूसरे अनेक सद्गुणों का कोश भी पाया जाता है ।

शिवाजी महाराज अत्यंत बुद्धिमान थे । उन्होंने अनेक विद्याएँ आत्मसात की थीं । उन्हें कई भाषाएँ और लिपियाँ अवगत थीं । माता-पिता द्वारा किए गए स्वराज्य स्थापना और नैतिकता के संस्कार उनके मन की गहराई में जड़ जमाए हुए थे । उनके व्यक्तित्व में चारित्र्य और बल, शील और वीरता का सुंदर समन्वय हुआ था । उनमें नेतृत्व, प्रबंधन, दूरदर्शिता, राजनीतिक कूटता, नागरिक और सैनिकी प्रशासन से संबंधित नीति, सत्य और न्याय के प्रति निष्ठा, सभी के साथ समान व्यवहार करने की प्रवृत्ति, आगामी बातों का ढाँचा बनाने का नियोजन, नियोजित बातों को पूर्ण करने का कौशल, संकट में अडिग रहते हुए ऊपर उठने का निश्चय, सदैव जागरूक रहने की सजगता आदि असंख्य गुण थे ।

स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करनेवाले को वे कठोर दंड देते । प्रजा के किसान, कारीगर, सैनिक, व्यापारी जैसे सभी वर्गों का वे ध्यान रखते । अपने धर्म के लोगों की भाँति वे अन्य धर्मों के लोगों के प्रति भेदभाव न करते हुए उनका आदर करते थे । दूसरे धर्म में चले गए लोगों को पुन: अपने धर्म में स्वीकार करने का जिस समय में कड़ा विरोध किया जाता था; उस समय उन्होंने धर्मांतरित लोगों को अपने धर्म में लिया । समय पड़ने पर उनसे स्वयं का रिश्ता जोड़ा । धार्मिक कारणों से समुद्री यात्रा को विरोध किया जाता था; ऐसे समय उन्होंने सिंधुदुर्ग जैसे जलदुर्ग का निर्माण करवाया और नौसेना का गठन किया । इसका अर्थ यह होता है कि समुद्री मार्ग द्वारा होने वाले बाहरी आक्रमणों से वे परिचित थे और उसका उपाय भी उन्होंने सोच रखा था। वे राज्याभिषेक करवाकर स्वराज्य के विधिवत नरेश बने। इस राज्याभिषेक के पश्चात उन्होंने धार्मिक दृष्टि से भिन्न विधि द्वारा दूसरा राज्याभिषेक करवाया। उनके ये सभी कार्य धार्मिक क्षेत्र में उनके द्वारा की गई क्रांतिकारिता को दर्शाते हैं ।

जब-जब स्वराज्य पर प्राणघाती संकट आए; तब-तब सहयोगियों के बदले अथवा उनके साथ स्वराज्य के लिए वे अपने प्राण अर्पित करने के लिए तत्पर रहते थे । परंतु उनकी महानता केवल ऐसे विकट संकटों का धैर्य और निर्भीकता से सामना करने तक सीमित नहीं थी बल्कि वे नैतिकता और गुणवत्ता को स्वराज्य की आधारशिला बनाना चाहते थे । अत: महत्त्वपूर्ण बातों की तरह छोटी-छोटी बातों के बारे में भी उन्होंने संबंधित व्यक्तियों को आवश्यक वे उचित आदेश दे रखे थे । सैनिक किसान के खेत से सब्जी भी जबरदस्ती नहीं ले सकते; इस प्रकार का आदेश इस दृष्टि से आदर्श ही है । पेड़ काटने पर लगाए गए प्रतिबंध भी अपना महत्त्व दर्शाते हैं ।

विचार करो

वृक्षों का संवर्धन करना क्यों आवश्यक है?

किले का कूड़ा-कचरा यहाँ-वहाँ, कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए । उसे मकान के पिछवाड़ेवाले बगीचे अथवा क्यारियों में जलाएँ और उसकी राख पर सब्जी उगाएँ, यह उनका आदेश था । इससे यह स्पष्ट होता है कि स्वराज्य का निर्माण करते समय वे छोटी-छोटी बातों की ओर कितना ध्यान देते थे । वे केवल योद्धा ही नहीं थे अपितु एक नवीन, स्वतंत्र, नीतिवान और सुसंस्कृत समाज का निर्माण करने वाले शिल्पकार थे । उनकी महानता सर्वांगीण है ।

बताओ तो

- तुम्हारे परिसर के कूड़े-कचरे का निपटारा किस प्रकार होता है?
- कूड़े-कचरे का निपटारा करने वाली व्यवस्था का नाम बताओ।

हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में शिवाजी महाराज महान प्रेरणा स्थान थे । महात्मा जोतीराव फुले ने

क्या तुम जानते हो ?

महात्मा जोतीराव फुले ने ई. स. १८६९ में छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक पोवाड़ा रचा । उसका कुछ अंश यहाँ दिया गया है ।

।। शिवाचा गजर जयनामाचा झेंडा रोविला ।।
।। क्षेत्र्याचा मेळा मावळ्याचा शिकार खेळला ।।
माते पायीं ठेवी डोई गर्व नाहीं काडीचा ।
आशिर्वाद घेई आईचा ।।
आलाबला घेई आवडता होतो जिजीचा ।
पवाडा गातो शिवाजीचा ।।
कुळवाडी - भूषण पवाडा गातो भोसल्याचा ।
छत्रपती शिवाजीचा ।।३।।

समता के संघर्ष में पोवाड़ा द्वारा शिवाजी महाराज की महानता का बखान किया है ।

लोकमान्य तिलक ने शिवजयंती उत्सव के माध्यम से राष्ट्रीय जागृति की । लाला लजपतराय ने शिवाजी महाराज की महत्ता पर एक पुस्तक लिखी है । तमिल काव्य के पितामह सुब्रमण्यम भारती ने शिवाजी महाराज अपने सहयोगियों को संबोधित कर रहे हैं; इस प्रसंग की कल्पना कर काव्य रचना की है । विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर ने शिवाजी महाराज पर एक दीर्घ कविता लिखी है । वे शिवाजी महाराज द्वारा किए गए स्वराज्य साधना के प्रयासों की ओर 'महान लक्ष्य साधना के प्रयास' के रूप में देखते हैं । सर जदुनाथ सरकार ने 'शिवाजी एंड हीज टाइम्स' ग्रंथ में छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यों का गौरव किया है । पं. जवाहरलाल नेहरू ने शिवाजी महाराज के विषय में कहा है, 'शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के नहीं थे अपितु वे संपूर्ण देश के थे । ... उन्हें अपने देश से बहुत प्रेम था और मानवीय सद्गुणों के वे जीवंत प्रतीक थे ।' भारत की सभी भाषाओं में शिवाजी महाराज से प्रेरणा और आदर्श ग्रहण करनेवाला साहित्य लिखा गया है ।

शिवाजी महाराज के स्वराज्य कार्य की और स्वराज्य को सुराज्य में परिवर्तित करने की यह प्रेरणा भावी पीढ़ियों के लिए आदर्श बनी रहेगी । शिवाजी महाराज महान राष्ट्रपुरुष थे ।

स्वाध्याय

१. पाठ में ढूँढ़कर लिखो :

(१) शिवाजी महाराज के जीवन में खतरे उठाने वाले प्रसंग कौन-से थे ?
(२) शिवाजी महाराज के आगरा से निकल आने के प्रसंग में खतरा उठाने वाले कौन थे ?
(३) शिवाजी महाराज ने रोहिड़ घाटी के देशमुख को क्या चेतावनी दी ?
(४) शिवाजी महाराज की कौन-सी प्रेरणा भावी पीढ़ियों के लिए आदर्श बनी रहेगी ?

२. लेखन करो :

(१) प्रजा को क्षति न पहुँचे; इसके लिए शिवाजी महाराज ने सैनिकों को कौन-सी चेतावनी दे रखी थी ?
(२) शिवाजी महाराज की धार्मिक नीति सहिष्णु थी; यह किस घटना से दिखाई देता है ?
(३) शिवाजी महाराज की सेना विषयक नीति स्पष्ट करो ।

३. एक शब्द में लिखो :

(१) स्वराज्य की नौसेना का महत्त्वपूर्ण अधिकारी -
(२) शिवाजी महाराज पर काव्य रचना करने वाला तमिल कवि -
(३) बुंदेलखंड में स्वतंत्र राज्य का निर्माण करने वाला -
(४) शिवाजी महाराज की महत्ता पोवाडा द्वारा बताने वाले -

उपक्रम

(१) संकट के समय में मित्र को की गई सहायता का वर्णन कक्षा में करो ।
(२) व्यक्ति के नाम पर जो गाँव, शहर पाए जाते हैं; उनके नामों की सूची बनाइए ।

९. मराठों का स्वतंत्रता युद्ध

छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात स्वराज्य की रक्षा करने के लिए मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति राजाराम महाराज और महारानी ताराबाई के नेतृत्व में मुगलों से प्रखर संघर्ष किया । यह संघर्ष सत्ताईस वर्ष चला । प्रदीर्घ चले इस संघर्ष को 'मराठों का स्वतंत्रता युद्ध' कहते हैं । ई.स.१६८२ में स्वयं औरंगजेब बादशाह दक्षिण में चलकर आया । फिर भी मुगलों के साथ हुए इस युद्ध में अनेक विकट बाधाओं को मात देते हुए मराठे विजयी हुए । भारतीय इतिहास में यह स्वतंत्रता युद्ध रोमहर्षक और तेजस्वी युग रहा है । इस पाठ में हम उस स्वतंत्रता युद्ध का अध्ययन करेंगे ।

यहाँ 'मराठा' शब्द 'मराठी भाषा बोलने वाला' अथवा 'महाराष्ट्र के लोग' अर्थ में है ।

करके देखो

'मैं संभाजीराजे बोल रहा हूँ... अभिनय करो ।

छत्रपति संभाजी महाराज

छत्रपति संभाजी महाराज : छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे । उनका जन्म १४ मई १६५७ को पुरंदर किले में हुआ । शिवाजी महाराज के पश्चात वे छत्रपति बने । उस समय मराठों का मुगलों के साथ संघर्ष जारी था । ऐसी स्थिति में औरंगजेब बादशाह का बेटा शाहजादा अकबर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया । औरंगजेब ने इस विद्रोह को कुचल दिया । तत्पश्चात अकबर दक्षिण में संभाजी महाराज के आश्रय में चला आया । अकबर का दमन करने हेतु ई.स.१६८२ में स्वयं औरंगजेब दक्षिण में आया । वह अपने साथ विशाल सेना और शक्तिशाली तोपखाना ले आया । उसने जंजीरा के सिद्दी को मराठों के विरोध में अभियान चलाने को कहा । उसने पुर्तगालियों को भी अपने पक्ष में कर लिया । परिणामत: संभाजी महाराज को एक ही समय में कई शत्रुओं का सामना करना पड़ा ।

संभाजी महाराज का कार्यकाल शिवाजी महाराज के पश्चात हुए मराठों के स्वतंत्रता युद्ध का प्रथम अध्याय है । शिवाजी महाराज ने अपने कार्यकाल में ही उन्हें राज्य प्रशासन और सैनिकी अभियानों की उत्तम शिक्षा प्रदान की थी । १४ वर्ष की आयु से ही उन्होंने राज्य प्रशासन और सैनिकी प्रभुत्व की ओर ध्यान देना प्रारंभ किया था । अपनी युवावस्था में उन्होंने मुगलों और आदिलशाही के कई प्रदेशों पर आक्रमण किए । उनके युद्ध कौशल का वर्णन करते हुए तत्कालीन फ्रांसीसी प्रवासी एबे कैरे कहता है, ''यह युवराज छोटा है । फिर भी धैर्यशील और अपने पिता की कीर्ति के अनुरूप ही शूर-वीर है.... ।''

संभाजी महाराज के छत्रपति बनने के पश्चात मराठों का मुगलों के साथ चलने वाला संघर्ष अधिक प्रखर हुआ । औरंगजेब का उद्देश्य काबुल से कन्याकुमारी तक मुगलों का एकछत्र शासन निर्माण करना था । अपनी विशाल सैनिकी और आर्थिक शक्ति द्वारा मराठों का राज्य पूर्णत: नष्ट करना उसका स्वप्न था लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल के बल पर उसका यह स्वप्न धूल में मिला दिया । उनकी सैनिकी टुकड़ियाँ

मुगलों के प्रदेशों पर आक्रमण करतीं । नाशिक के समीप रामसेज का किला था । इस किले को औरंगजेब के सेनानी दीर्घकाल तक प्रयास करने के बावजूद जीत नहीं पाए। इस प्रकार संभाजी महाराज ने अपने शौर्य से औरंगजेब को त्रस्त कर दिया । एक बार तो औरंगजेब ने क्रोध में आकर अपने सिर का मुकुट जमीन पर पटका और प्रतिज्ञा की, ''जब तक इस संभाजी को हरा नहीं दूँगा, तब तक मैं मुकुट नहीं पहनूँगा ।'' संभाजी महाराज ने औरंगजेब को इतना विवश कर दिया था ।

क्या तुम जानते हो ?

प्रारंभ में यह सोचकर कि मराठों के किले जीतने से उनका राज्य समाप्त हो जाएगा; औरंगजेब ने नाशिक के समीप रामसेज किले पर घेरा डाल दिया । औरंगजेब के सैनिक असंख्य थे और मराठों के सैनिक नगण्य थे परंतु उन्होंने कड़ा प्रतिकार किया । यह घेरा आगे चलकर पाँच वर्ष तक जारी रहा । मुट्ठी भर मराठा सैनिकों द्वारा दिखाई गई यह वीरता अद्वितीय थी । मराठों द्वारा किए गए इस कड़े प्रतिकार के कारण औरंगजेब को बोध हो गया कि मराठों के साथ संघर्ष करना बहुत कठिन है ।

सिद्दी के विरुद्ध अभियान : जंजीरा का सिद्दी मराठी प्रदेश में उत्पात मचाता था । मराठों के प्रदेशों पर धावा बोलकर वह आगजनी, लूटपाट और अत्याचार करता था । बखरकार (इतिहासकार) सभासद ने उसका वर्णन इन शब्दों में किया है, 'घर में जैसे चूहे, वैसे राज्य में सिद्दी ।' संभाजी महाराज ने ई. स. १६८२ में उसके विरुद्ध अभियान चलाया। मराठों ने सिद्दी के अधिकारवाले दंडाराजपुरी किले को घेर लिया और जंजीरा पर भी जबर्दस्त तोपें दागीं परंतु ठीक उसी समय मुगलों ने स्वराज्य पर आक्रमण किया । फलस्वरूप संभाजी महाराज को जंजीरा अभियान अधूरा छोड़कर लौट आना पड़ा ।

पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान : गोआ के पुर्तगाली संभाजी महाराज के विरुद्ध औरंगजेब से मिल गए थे । अत: संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों को सबक सिखाने का निश्चय किया। उन्होंने ई.स.१६८३ में पुर्तगालियों के रेवदंडा बंदरगाह पर धावा बोला । इसके प्रत्युत्तर में पुर्तगालियों ने गोआ की सीमा पर स्थित मराठों के फोंडा किले को घेर लिया। मराठों ने घेरा तोड़ा और गोआ पर आक्रमण किया । इस युद्ध में येसाजी ने शौर्य की पराकाष्ठा की। इसमें पुर्तगाली गवर्नर हताहत हुआ । उसे पीछे हटना पड़ा। संभाजी महाराज ने उसका पीछा किया । पुर्तगाली बड़े संकट में घिर गए । उसी समय संभाजी महाराज को मुगलों द्वारा दक्षिण कोकण पर आक्रमण किए जाने का समाचार प्राप्त हुआ । फलस्वरूप हाथ आई गोआ की सफलता को छोड़कर उन्हें मुगलों का प्रतिकार करने के लिए लौट आना पड़ा ।

आदिलशाही और कुतुबशाही का अंत : मराठों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में औरंगजेब को सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी । अत: उसने मराठों के विरुद्ध उस अभियान को स्थगित किया। अब उसने आदिलशाही और कुतुबशाही राज्यों के विरुद्ध मोर्चा खोला । औरंगजेब ने ये राज्य जीत लिए ।

इन दोनों राज्यों की संपत्ति और सैनिकी सामग्री मुगलों के हाथ लगी । परिणामत: औरंगजेब की स्थिति दृढ़ हो गई । इसके पश्चात औरंगजेब ने मराठों को पराजित करने के लिए अपनी सारी शक्ति केंद्रित की । उसने मराठी प्रदेश पर चारों ओर से हमले किए । मुगल सेना का प्रतिकार करते समय मराठा सेनापति हंबीरराव मोहिते वीरगति को प्राप्त हुआ । फलस्वरूप संभाजी महाराज का सेना पक्ष दुर्बल हो गया ।

संभाजी महाराज का राज्य प्रशासन : यद्यपि संभाजी महाराज युद्ध की दौड़-धूप में निरंतर व्यस्त रहे; फिर भी अपने राज्य प्रशासन के प्रति लापरवाह नहीं रहे । उन्होंने शिवाजी महाराज के कार्यकाल में प्रचलित निरपेक्ष न्यायप्रथा और राजस्व व्यवस्था को उसी रूप में आगे भी जारी रखा । स्वराज्य के

विरुद्ध विद्रोह करने वाले तथा सामान्य प्रजा को कष्ट पहुँचाने वाले वतनदारों अथवा जागीदारों को कठोर दंड दिया । महारानी येसूबाई को राज्य प्रशासन के अधिकार दिए । उनकी अपनी मुद्रा बनवाकर दी। शिवाजी महाराज की प्रजाहित की नीति को उन्होंने अपने कार्यकाल में आगे जारी रखा।

संभाजी महाराज को संस्कृत भाषा के साथ कई भाषाएँ अवगत थीं । उन्होंने ग्रंथ भी लिखे । राजनीति पर लिखे गए प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया और उन ग्रंथों का सार उन्होंने 'बुधभूषण' ग्रंथ में प्रस्तुत किया ।

क्या तुम जानते हो ?

संभाजी महाराज ने संस्कृत भाषा में 'बुधभूषणम्' ग्रंथ की रचना की । इस ग्रंथ के दूसरे अध्याय में राजनीति का उल्लेख हुआ है। इसमें शासक के लक्षण, प्रधान, राजपुत्र, उनकी शिक्षा-दीक्षा और कार्य, शासक के सलाहकार, गढ़, गढ़ पर लगने वाली सामग्री, सेना, शासक के कर्तव्य, गुप्तचर व्यवस्था आदि के विषय में जानकारी दी गई है ।

संभाजी महाराज की मृत्यु : औरंगजेब संभाजी महाराज को मात देने के प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर रहा था । उसने मुकर्रब खान को कोल्हापुर प्रांत में नियुक्त किया था । मुकर्रब खान को समाचार मिला कि संभाजी महाराज कोकण में संगमेश्वर नामक स्थान पर हैं। उसने छापा मारकर संभाजी महाराज को बंदी बनाया। उन्हें औरंगजेब के सामने लाया गया । संभाजी महाराज ने उसके सामने अपना आत्मसम्मान नहीं त्यागा। इसके बाद बादशाह के आदेश पर ११ मार्च १६८९ को उनकी अति क्रूरतापूर्वक हत्या की गई । मराठों के छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए वीरतापूर्वक मृत्यु का सामना किया । उनके बलिदान से प्रेरणा लेकर अब मराठों ने मुगलों के विरुद्ध अपना संघर्ष अधिक प्रखर किया ।

छत्रपति राजाराम महाराज

छत्रपति राजाराम महाराज : राजाराम महाराज शिवाजी महाराज के द्वितीय बेटे थे । उनका जन्म २४ फरवरी १६७० को रायगढ़ में हुआ। संभाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात वे छत्रपति बने। औरंगजेब को लगा कि मराठों का राज्य जीतने का उसका स्वप्न अब पूरा होगा । परिणामत: उसने रायगढ़ को घेरने के लिए जुल्फिकार खान को भेजा । उस समय राजाराम महाराज और उनकी पत्नी महारानी ताराबाई, संभाजी महाराज की पत्नी येसूबाई और उनका बेटा शाहू रायगढ़ में ही थे । इन सभी का एक ही स्थान पर रहना असुरक्षित था । इस स्थिति में येसूबाई ने इस विकट संकट का सामना बड़े धैर्य के साथ किया। किसी भी हालत में मुगलों के सामने घुटने नहीं टेकने हैं, यह निश्चय कर उन्होंने रायगढ़ पर महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिए । इसके अनुसार यह नीति तय की गई कि राजाराम महाराज रायगढ़ के घेरे से बाहर निकलें और आवश्यकता पड़ने पर जिंजी जाएँ तथा महारानी येसूबाई अपने नेतृत्व में रायगढ़ पर युद्ध करें । येसूबाई ने छत्रपति पद पर अपने बेटे को न बिठाकर राजाराम महाराज को छत्रपति पद देने का निर्णय किया । यह निर्णय स्वराज्य के प्रति उनका प्रेम और स्वार्थत्याग की पराकाष्ठा का उदाहरण है । उन्होंने अपने और अपने पुत्र के प्राणों की परवाह न करते हुए मराठों के छत्रपति को सुरक्षित रखा ।

चलो, ढूँढ़ें

भारत के मानचित्र में 'जिंजी' स्थान ढूँढ़ो ।

राजाराम महाराज का जिंजी प्रस्थान : ५ अप्रैल १६८९ को राजाराम महाराज अपने कुछ सहयोगियों

के साथ रायगढ़ के घेरे से निकल गए । उन्होंने दक्षिण में जिंजी जाने का निर्णय किया । जिंजी का किला अभेद्य था । इस किले को जीतना मुगलों के लिए सरल नहीं था। प्रह्लाद निराजी, खंडो बल्लाल, रूपाजी भोसले आदि विश्वसनीय सहयोगियों को अपने साथ लेकर राजाराम महाराज जिंजी पहुँचे ।

मराठों की गतिविधियाँ : मुगलों की सामर्थ्य के आगे रायगढ़ का युद्ध लंबे समय तक जारी रखना कठिन था । मुगलों ने नवंबर १६८९ में रायगढ़ अपने अधिकार में कर लिया और महारानी येसूबाई तथा शाहू को बंदी बनाया । जिंजी को प्रस्थान करते समय राजाराम महाराज ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखने का दायित्व रामचंद्रपंत अमात्य, शंकराजी नारायण सचिव, संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव को सौंपा था ।

मराठों की दृष्टि से यह निर्णायक स्थिति थी । औरंगजेब ने कई मराठी सरदारों को वतनदारी और जागीरें देकर अपने पक्ष में कर लिया था । राजाराम महाराज ने भी औरंगजेब के प्रत्युत्तर में यही नीति अपनाई । उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि जो मराठी सरदार मुगल प्रदेश जीतेगा; उस सरदार को वह प्रदेश जागीर के रूप में दिया जाएगा । छत्रपति द्वारा दिए गए आश्वासन के कारण अनेक वीर-पराक्रमी सरदार आगे बढ़े । उन्होंने मुगल प्रदेश पर धड़ल्ले के साथ आक्रमण प्रारंभ किए । कई मुगल सेनानियों को पराजित किया । इस पराक्रम में संताजी और धनाजी सबसे आगे थे । उनके अप्रत्याशित हमले और गुरिल्ला युद्ध नीति के आगे मुगलों को अपनी विपुल साधन सामग्री और भारी-भरकम तोपखाने का उपयोग करना कठिन हो गया । पर्याप्त किले, प्रदेश और धन न होने पर भी मराठों ने मुगलों को ऐसा तंग किया कि उन्हें भागने के लिए राह भी न मिली । एक बार तो संताजी घोरपड़े और विठोजी चव्हाण ने औरंगजेब की छावनी पर अचानक आक्रमण किया और उसके खेमे के ऊपर लगा सोने का कलश काटकर ले गए ।

जिंजी का घेरा : रायगढ़ को अपने अधिकार में

क्या तुम जानते हो ?

मुगल सैनिक धनाजी से इतने भयभीत रहते थे कि यदि पानी पीते समय घोड़ा बिदक जाए तो वे घोड़े से पूछते थे, ''क्यों रे ? क्या तुझे पानी में धनाजी दिखाई देता है ?''

कर लेने के बाद औरंगजेब ने जुल्फिकार खान को दक्षिण में जिंजी के अभियान पर भेजा । उसने जिंजी को घेर लिया । लगभग आठ साल तक मराठे पराकाष्ठा के साथ जिंजी किले का युद्ध करते रहे । संताजी और धनाजी ने घेरा डाले हुए मुगल सैनिकों पर बाहर से प्रखर हमले किए । अंततः राजाराम महाराज घेरे से निकलकर महाराष्ट्र में लौट आए । इसके पश्चात जुल्फिकार खान ने जिंजी किला जीता ।

राजाराम महाराज के महाराष्ट्र में लौट आने से मराठों में वीरता का संचार हुआ । उन्होंने मुगलों के अधिकारवाले खान्देश, वऱ्हाड़ (बरार), बागलाण प्रदेशों पर हमले किए । राजाराम महाराज ने अपनी सूझ-बूझ और कूटनीति से संताजी और धनाजी जैसे सैकड़ों वीर मराठा तैयार किए । उनमें स्वराज्य रक्षण की प्रेरणा निर्माण करने का उल्लेखनीय कार्य किया परंतु यह सब कुछ चल रहा था; तभी २ मार्च १७०० को राजाराम महाराज का सामान्य-सी बीमारी के कारण सिंहगढ़ पर निधन हो गया ।

राजाराम महाराज स्वभाव से विचारशील और मिलनसार थे । मराठी राज्य के सभी पराक्रमी वीरों को उन्होंने एकसूत्र में बाँधा । उनमें एकता निर्माण की और चेतना फूँकी । संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद ११ साल तक उन्होंने औरंगजेब के साथ धैर्यपूर्वक और जीवटता से प्रखर संघर्ष किया । बड़े विकट समय में राजाराम महाराज ने स्वराज्य की रक्षा की । राजाराम महाराज का यह सबसे बड़ा उल्लेखनीय कार्य है।

रियासत (रियासतकार) गो. स. सरदेसाई ने छत्रपति राजाराम का वर्णन करते हुए उनके लिए 'स्थिरबुद्धि' विशेषण का उपयोग किया है । उनके

द्वारा प्रयुक्त यह विशेषण पूर्णतः सटीक और यथार्थ लगता है ।

करके देखो

- अपने परिसर की उन महिलाओं का साक्षात्कार लो; जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया है ।

महारानी ताराबाई : छत्रपति राजाराम महाराज की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब को लगा कि अब हमने विजय पा ली परंतु स्थिति बड़ी विपरीत थी । औरंगजेब एक के बाद दूसरी लड़ाई जीतता जा रहा था परंतु वह समग्र युद्ध जीत नहीं पा रहा था । अत्यंत विपरीत परिस्थिति में स्वराज्य की बागडोर हाथ में लेने के लिए राजाराम महाराज की वीरांगना पत्नी महारानी ताराबाई आगे बढ़ीं ।

महारानी ताराबाई

मुगल इतिहासकार खाफी खान ने महारानी ताराबाई का गौरव इन शब्दों में किया है, ''वह (ताराबाई) बुद्धिमान और चतुर थीं । सैनिकी प्रबंधन और राज्य प्रशासन के विषय में पति के रहते उनकी ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई थी ।''

छत्रपति राजाराम महाराज की मृत्यु के पश्चात महारानी ताराबाई ने अपने सरदारों की सहायता से अति प्रतिकूल स्थिति में स्वतंत्रता युद्ध को पूरे प्रयास से जारी रखा । औरंगजेब ने मराठों के प्रदेश सातारा, पन्हाला जीत लिए तो मराठे मुगलों के मध्य प्रदेश, गुजरात तक बढ़ गए । ताराबाई ने युद्ध क्षेत्र को फैला दिया। कृष्णाजी सावंत, खंडेराव दाभाड़े, धनाजी जाधव, नेमाजी शिंदे जैसे सरदार महाराष्ट्र के बाहर मुगलों के साथ संघर्ष करने लगे । यह युद्ध का पलड़ा बदलते जाने का संकेत था ।

महारानी ताराबाई ने सात वर्ष संघर्ष किया और राज्य की रक्षा की । संपूर्ण प्रशासन को अपने नियंत्रण में लेकर सभी सरदारों को स्वराज्य के कार्य से जोड़ दिया । मराठे सरदार सिरोंज, मंदसौर, मालवा तक पहुँचकर मुगलों के साथ लड़ने लगे । खाफी खान ने लिखा है, ''राजाराम की पत्नी ताराबाई ने विलक्षण घमासान मचाया । इसमें उसके

क्या तुम जानते हो ?

महारानी ताराबाई ने गुरिल्ला (छापामार) युद्ध नीति का बहुत भली-भाँति उपयोग किया । औरंगजेब की सेना के सम्मुख मराठों की शक्ति अत्यंत कम थी। किला जीतने के लिए औरंगजेब किले को घेर लेता । जहाँ तक संभव है; उतने समय तक मराठा किले का युद्ध लड़ते । वर्षाकाल समीप आते ही ऐसा जताया जाता मानो मराठा किलेदार भेदी बन गया है । इसके बाद औरंगजेब से प्रलोभन की राशि लेकर किला उसे सौंपा जाता । किलेदार प्रलोभन राशि को मराठी कोष में जमा कर देता । औरंगजेब किले में अनाज, धन, गोला-बारूद आदि का जैसे ही संग्रह कर रखता वैसे ही ताराबाई उस किले को जीत लेतीं । ताराबाई की इस युद्ध तकनीक का वर्णन 'सेफ डिपॉजिट लॉकर सिस्टम' इस रूप में किया जाता है ।

सैनिकी नेतृत्व और युद्ध अभियानों के प्रबंध के गुण प्रखरता से प्रकट हुए। परिणामतः मराठों के आक्रमण और युद्ध की गतिमानता दिन-प्रति-दिन बढ़ती गई ।'

क्या तुम जानते हो ?

ताराबाई के पराक्रम का वर्णन करते हुए 'शिवभारतकार' परमानंद का लड़का कवि देवदत्त कहते हैं,

ताराबाई रामराणी । भद्रकाली कोपली ।
दिल्ली झाली दीनवाणी । दिल्लीशाचे गेले पाणी ।
रामराणी भद्रकाली । रणरंगी क्रुद्ध झाली ।
प्रयत्नाची वेळ आली । मुगल हो सांभाळा ।।

इस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम और वीरता की विरासत का निर्वाह महारानी ताराबाई ने किया ।

मराठों के आक्रामक आक्रमणों से औरंगजेब हताश हो गया । मुगल-मराठों का यह संघर्ष लगातार पच्चीस वर्ष चल रहा था । मराठों को पराजित करना मुगलों के लिए संभव न हुआ । ऐसी स्थिति में ई.स.१७०७ में औरंगजेब की अहमदनगर में मृत्यु हुई । उसकी मृत्यु के साथ ही मराठों का स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हो गया ।

मराठों का यह स्वतंत्रता युद्ध मुगल सत्ताधीशों की साम्राज्य लालसा और मराठों के मन में स्थित स्वतंत्रता की आकांक्षा के बीच का युद्ध था । इसमें मराठों की विजय हुई । यही नहीं बल्कि औरंगजेब की मृत्यु के कारण जो राजनीतिक रिक्तता कालांतर में उत्पन्न हो गई थी; उसको भरने में मराठा अग्रसर रहे । उन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर अंकुश रखते हुए लगभग संपूर्ण भारत का शासन चलाया और उसकी रक्षा भी की । परिणामतः अठारहवीं शताब्दी को मराठों की शताब्दी कहा जाता है । इस शताब्दी के मराठों के कार्यों और पराक्रम का इतिहास हम अगले पाठ में देखेंगे ।

भोसले घराने की वंशावली

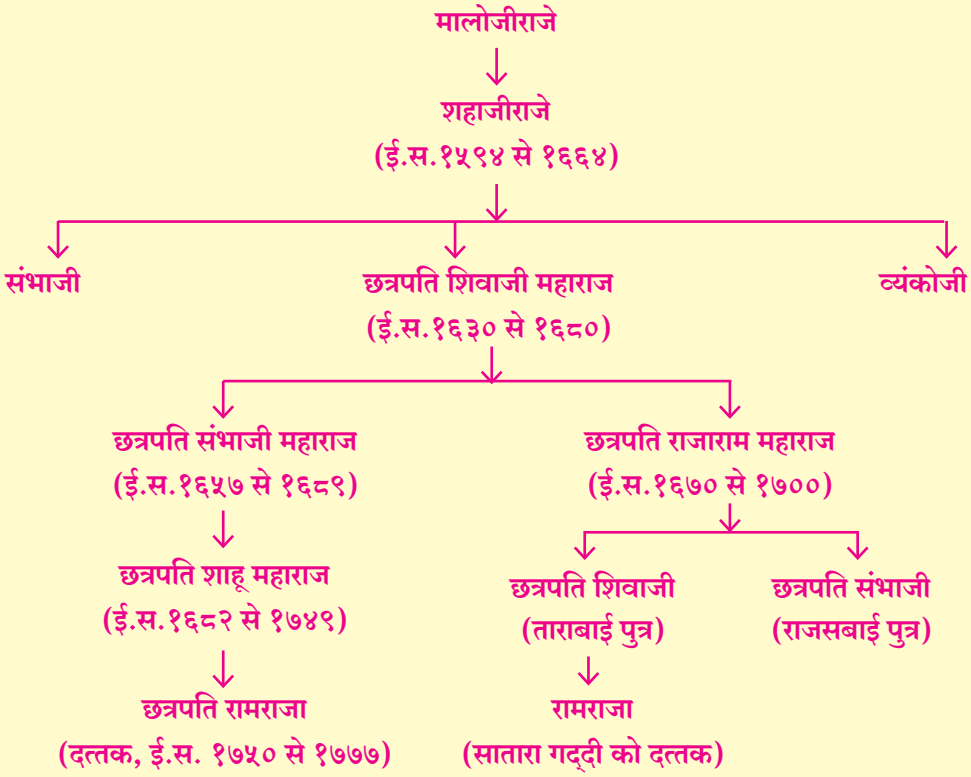

स्वाध्याय

१. उचित विकल्प चुनो :

(१) औरंगजेब इसके पराक्रम से त्रस्त हो गया था –
(अ) शाहजादा अकबर (ब) छत्रपति संभाजी महाराज (क) छत्रपति राजाराम महाराज

(२) औरंगजेब के खेमे के ऊपर लगा सोने का कलश काटकर ले जाने वाले –
(अ) संताजी और धनाजी (ब) संताजी घोरपडे और विठोजी चव्हाण (क) खंडो बल्लाल और रूपाजी भोसले

(३) गोआ के युद्ध में पराक्रम की पराकाष्ठा करनेवाला –
(अ) येसाजी कंक (ब) नेमाजी शिंदे
(क) प्रह्लाद निलाजी

२. पाठ में ढूँढ़कर लिखो :

(१) संभाजी महाराज को जंजीरा का अभियान अधूरा छोड़कर क्यों लौट आना पड़ा ?

(२) संभाजी महाराज ने पुर्तगालियों को सबक सिखाने का निश्चय क्यों किया ?

(३) जिंजी जाते समय राजाराम महाराज ने स्वराज्य की रक्षा का दायित्व किसपर सौंपा ?

(४) कवि देवदत्त ने महारानी ताराबाई के पराक्रम का वर्णन किन शब्दों में किया है ?

३. क्यों ? वह लिखो :

(१) औरंगजेब ने आदिलशाही और कुतुबशाही की ओर अपना मोर्चा खोला।

(२) संभाजी महाराज के पश्चात मराठे मुगलों के साथ आर-पार का युद्ध करने के लिए तैयार हो गए ।

(३) यह नीति तय की गई कि महारानी येसूबाई के नेतृत्व में रायगढ़ का युद्ध किया जाए ।

उपक्रम

भारत के मानचित्र में गोआ, बीजापुर, गोलकुंडा, जिंजी, अहमदाबाद और अहमदनगर स्थानों को दर्शाओ ।

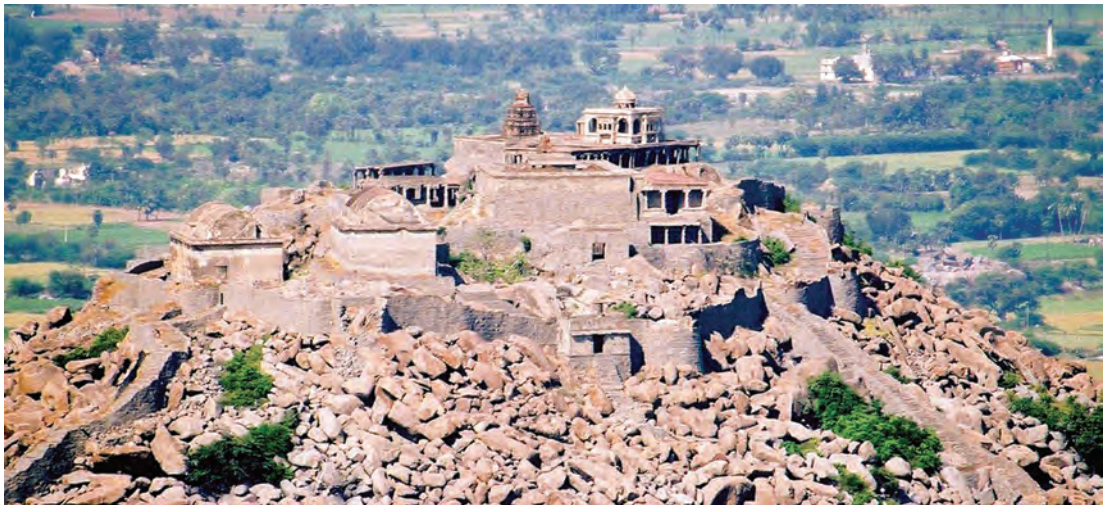

जिंजी का किला

१०. मराठी सत्ता का विस्तार

मराठों द्वारा लड़े गए स्वतंत्रता युद्ध के प्रारंभ में मुगल सत्ता आक्रामक थी तो मराठों की नीति सुरक्षात्मक थी। स्वतंत्रता युद्ध के अंत में स्थिति उलट गई । मराठों ने आक्रमण की और मुगलों ने सुरक्षा की नीति अपनाई। अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों ने मुगलों को पराजित कर लगभग संपूर्ण भारत में अपनी सत्ता का विस्तार किया । इस पाठ में हम उसका अध्ययन करेंगे।

शाहू महाराज को मुक्त किया गया : औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात दिल्ली की सत्ता को लेकर उसके पुत्रों में संघर्ष प्रारंभ हुआ । शाहजादा आजमशाह दक्षिण में था । राज सिंहासन पाने के लिए वह बड़ी तत्परता से दिल्ली की ओर चल पड़ा। राजपुत्र शाहू उसके अधिकार में थे । आजमशाह ने सोचा कि यदि शाहू महाराज को मुक्त किया जाए तो महारानी ताराबाई और शाहू महाराज के बीच छत्रपति की गद्दी को लेकर विवाद उत्पन्न होगा और मराठी सत्ता निर्बल हो जाएगी । इसलिए उसने शाहू महाराज को मुक्त किया।

शाहू महाराज का राज्याभिषेक : मुक्त होते ही शाहू महाराज महाराष्ट्र की ओर चल पड़े । कुछ मराठी सरदार उनसे आकर मिले परंतु महारानी ताराबाई ने छत्रपति पद पर शाहू महाराज के अधिकार को मान्य नहीं किया । पुणे जिले में भीमा नदी के किनारे खेड़ नामक स्थान पर शाहू महाराज और महारानी ताराबाई के सैनिकों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में शाहू महाराज की विजय हुई । उन्होंने सातारा को जीत लिया और स्वयं का राज्याभिषेक करवाया । सातारा मराठा राज्य की राजधानी बनी ।

शाहू महाराज

कुछ समय तक शाहू महाराज और महारानी ताराबाई के बीच का विरोध जारी रहा । ई.स. १७१० में महारानी ताराबाई ने पन्हालगढ़ पर अपने अल्पायु पुत्र शिवाजी (द्वितीय) की छत्रपति के रूप में घोषणा की । तब से मराठाशाही में सातारा राज्य के अलावा कोल्हापुर का स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आया।

शाहू महाराज का पूर्व जीवन मुगलों की छावनी में बीता था । अतः उन्होंने मुगलों की राजनीति को बहुत निकट से देखा था । उत्तर भारत की राजनीति की बारीकियाँ उनके ध्यान में आ गई थीं । मुगल सत्ता के शक्तिशाली पक्ष और दुर्बल पक्ष से वे भली-भाँति अवगत हो गए थे । इसके अलावा मुगल दरबार के प्रभावशाली लोगों से उनका परिचय भी हुआ था । इन सभी बातों का उपयोग उन्हें बदलती परिस्थिति में मराठों की राजनीति की दिशा निश्चित करने के लिए हुआ ।

मराठों के राज्य को नष्ट करना; यह पहले से औरंगजेब की नीति थी परंतु उसके उत्तराधिकारियों ने इस नीति का त्याग किया था । फलतः अब मुगल सत्ता के साथ संघर्ष करने के स्थान पर उसके रक्षक के रूप में आगे आना और इसी में से अपनी सत्ता का विस्तार करना; यह नई राजनीतिक नीति मराठों ने अपनाई । नए मंदिर का निर्माण करवाने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार करने से मिलता है; यह नीतिसूत्र था।

मुगल सत्ता को जितना भय पश्चिमोत्तर से होने वाले ईरानी, अफगानी आक्रमणों से था; उतना ही खतरा आस-पास के स्थानीय सत्ताधीशों-पठान, राजपूत, जाट, रुहेलों से था । इसके अलावा दरबार में चलने वाली प्रतिस्पर्धा और आपसी संघर्ष के कारण भी मुगल सत्ता भीतर से खोखली हो चुकी थी। फलतः दिल्ली दरबार को मराठों की सहायता की आवश्यकता अनुभव हो रही थी ।

बालाजी विश्वनाथ : मुगलों की कैद से शाहू महाराज के मुक्त होने के बाद उन्होंने बालाजी विश्वनाथ भट को पेशवा बनाया । बालाजी मूलतः कोकण के श्रीवर्धन गाँव का था । वह पराक्रमी और अनुभवी था । उसने अनेक सरदारों को यह समझा-बुझाकर कि शाहू महाराज ही मराठी सत्ता के सच्चे अधिकारी हैं; उन्हें शाहू महाराज के पक्ष में कर लिया ।

कान्होजी आंग्रे मराठी नौसेना का प्रमुख था । उसने ताराबाई का पक्ष लिया और शाहू महाराज के प्रदेशों पर हमले किए । शाहू महाराज के सम्मुख जटिल स्थिति उत्पन्न हो गई । इस स्थिति में उन्होंने बालाजी को कान्होजी आंग्रे के विरुद्ध भेजा। बालाजी ने युद्ध टालकर कूटनीति से कान्होजी को शाहू महाराज के पक्ष में कर लिया ।

चौथ-सरदेशमुखी का आदेशपत्र : महाराष्ट्र में शाहू महाराज का स्थान दृढ़ करने के पश्चात बालाजी ने अपना ध्यान उत्तर की राजनीति की ओर मोड़ा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दिल्ली के दरबार में फूट और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वहाँ सैयद भाइयों-अब्दुल्ला(हसन) और हुसैन अली का प्रभुत्व निर्माण हो गया था । बालाजी ने उनकी सहायता से ई.स.१७१९ में मुगल शासक से दक्खन के मुगल प्रदेश के कुछ स्थानों से चौथ तो कुछ स्थानों से सरदेशमुखी वसूल करने के आदेशपत्र प्राप्त किए । चौथ का अर्थ भू-राजस्व (लगान) का एक चौथाई हिस्सा तथा सरदेशमुखी का अर्थ संपूर्ण भू-राजस्व (लगान) का दसवाँ हिस्सा होता है ।

बाजीराव प्रथम

बाजीराव प्रथम : बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद शाहू महाराज ने ई.स.१७२० में उसके बेटे बाजीराव (प्रथम) को पेशवा पद पर नियुक्त किया । उसने अपने पेशवा पद के बीस वर्ष के कार्यकाल में मराठी सत्ता का विस्तार किया ।

पालखेड़ में निजाम की पराजय : मुगल शासक फर्रूकसियर ने निजाम-उल-मुल्क को दक्खन के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ई.स.१७१३ में निजाम ने हैदराबाद में अपना स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करने का प्रयास किया । मुगल शासक ने मराठों को दक्षिण के मुगल प्रदेश से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के अधिकार दिए थे । निजाम ने इस अधिकार को विरोध किया । उसने पुणे परगना का कुछ हिस्सा जीत लिया । बाजीराव ने निजाम पर अंकुश लगाने का निश्चय किया । उसने औरंगाबाद के समीप पालखेड़ में निजाम को पराजित किया । चौथ-सरदेशमुखी वसूल करने के मराठों के अधिकार को निजाम ने स्वीकार किया ।

बाजीराव जानता था कि मुगल सत्ता दुर्बल हो चुकी है । इसलिए उत्तर में सत्ता का विस्तार करने के लिए अधिक अवसर है । शाहू महाराज ने बाजीराव की इस नीति का समर्थन किया ।

मालवा : वर्तमान मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र है। यह क्षेत्र मुगलों के अधिकार में था । बाजीराव ने अपने भाई चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में मल्हारराव होळकर, राणोजी शिंदे और उदाजी पवार को मालवा में भेजा । वहाँ उन्होंने अपने केंद्र स्थापित किए ।

बुंदेलखंड : वर्तमान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के झाँसी, पन्ना, सागर आदि नगरों के परिसर का प्रदेश बुंदेलखंड है ।

छत्रसाल राजा ने बुंदेलखंड में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। इलाहाबाद का मुगल सूबेदार मुहम्मद खान बंगश ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया । उसने छत्रसाल को पराजित किया । तब छत्रसाल ने बाजीराव से सहायता की प्रार्थना की ।

बाजीराव विशाल सेना लेकर बुंदेलखंड पहुँचा । उसने बंगश को पराजित किया । छत्रसाल ने बाजीराव का बड़ा सम्मान किया । इस प्रकार मराठों ने मालवा और बुंदेलखंड में अपना वर्चस्व स्थापित किया ।

बाजीराव ने मुगल शासक से मालवा की सूबेदारी माँगी । मुगल शासक ने यह माँग अस्वीकार

क्या तुम जानते हो ?

छत्रसाल ने सहायता के लिए बाजीराव को एक पत्र लिखा । इस पत्र में छत्रसाल ने लिखा,'जो गत आह गजेंद्र की, वह गत आई है आज । बाजी जान बुंदेल की, बाजी राखो लाज ।' (अर्थात मेरी हालत वैसी ही दयनीय हो गई है; जैसे किसी मगरमच्छ ने गजेंद्र के पैर मुँह में पकड़ लिए हों । मैं विकट संकट में हूँ । अब मेरी सहायता आप ही कर सकते हैं ।)

की । अतः मार्च १७३७ में बाजीराव दिल्ली पर आक्रमण करने के उद्देश्य से दिल्ली की सीमा पर जा पहुँचा।

भोपाल की लड़ाई : बाजीराव के आक्रमण से मुगल शासक परेशान हो गया । दिल्ली की रक्षा करने हेतु उसने निजाम को बुला लिया । विशाल सेना के साथ निजाम ने बाजीराव पर आक्रमण किया । बाजीराव ने उसे भोपाल में पराजित किया । निजाम ने मराठों को मालवा की सूबेदारी का आदेशपत्र मुगल शासक से प्राप्त करवा देना स्वीकार किया ।

पुर्तगालियों की पराजय : कोकण के तटीय क्षेत्र में वसई, ठाणे पुर्तगालियों के अधिकार में थे । पुर्तगाली शासक प्रजा पर अत्याचार करते थे । बाजीराव ने अपने भाई चिमाजी अप्पा को उनका दमन करने के लिए भेजा । उसने ठाणे और आसपास का प्रदेश जीत लिया । इसके पश्चात ई.स.१७३९ में उसने वसई के किले को घेर लिया । किला बहुत मजबूत था । पुर्तगालियों के पास प्रभावी तोपें थीं परंतु चिमाजी ने बड़ी जीवटता से घेरा जारी रख पुर्तगालियों को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया । परिणामतः वसई का किला और पुर्तगालियों का बहुत बड़ा प्रदेश मराठों के अधिकार में आया ।

बाजीराव की मृत्यु : ईरान का शासक नादिरशाह ने भारत पर आक्रमण किया । शाहू महाराज के आदेश पर बाजीराव विशाल सेना लेकर उत्तर की ओर चल पड़ा । वह बुरहानपुर तक पहुँचा परंतु तब तक नादिरशाह दिल्ली की विपुल संपत्ति लूटकर अपने देश को लौट गया था । अप्रैल १७४० में नर्मदा के तट पर रावेरखेड़ी में बाजीराव की मृत्यु हुई ।

बाजीराव उत्तम सेनानी था । बाजीराव ने अपनी वीरता और पराक्रम से उत्तर भारत में मराठों का वर्चस्व स्थापित किया । उसने मराठी सत्ता को संपूर्ण भारत के स्तर पर एक शक्तिशाली सत्ता के रूप में स्थान प्राप्त करवाया । उसके कार्यकाल में शिंदे, होलकर, पवार, गायकवाड़ घराने आगे आए ।

स्वाध्याय

१. किसे कहते हैं ?

(१) चौथ –

(२) सरदेशमुखी –

२. एक शब्द में लिखो :

(१) बालाजी मूलतः कोकण के इस गाँव का था....।

(२) बुंदेलखंड में इसका राज्य था ....।

(३) बाजीराव की मृत्यु इस स्थान पर हुई ....।

(४) इसने पुर्तगालियों को हराया ....।

३. लेखन करो :

(१) कान्होजी आंग्रे (२) पालखेड़ का युद्ध

(३) बालाजी विश्वनाथ (४) बाजीराव प्रथम

४. कारण लिखो :

(१) मराठाशाही में दो स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ।

(२) आजमशाह ने छत्रपति शाहू महाराज को मुक्त किया ।

(३) दिल्ली शासक को मराठों की सहायता की आवश्यकता अनुभव हुई ।

उपक्रम

महारानी ताराबाई का चरित्र प्राप्त करो और उनके जीवन के उन प्रसंगों को कक्षा में अभिनय सहित प्रस्तुत करो; जो प्रसंग तुम्हें प्रभावित करते हैं।

११. राष्ट्ररक्षक मराठे

बाजीराव के पश्चात शाहू महाराज ने उसका बेटा बालाजी बाजीराव अर्थात नानासाहेब को पेशवाई के वस्त्र दिए । नादिरशाह के आक्रमण के बाद दिल्ली में अस्थिरता उत्पन्न हो गई थी । इस स्थिति में नानासाहब ने उत्तर में मराठी सत्ता को दृढ़ करने के प्रयास किए । इस कालावधि में अहमदशाह अब्दाली ने पानीपत में मराठों के सम्मुख चुनौती खड़ी की । इस पाठ में हम इन सभी घटनाओं की जानकारी प्राप्त करेंगे ।

उत्तर में स्थिति : अयोध्या प्रांत की पश्चिमोत्तर दिशा से सटे हिमालय के तलहटीवाले प्रदेश को अठारहवीं शताब्दी में रुहेलखंड कहते थे । अफगानिस्तान से आए हुए पठान इस क्षेत्र में स्थायी रूप में बस गए थे । इन पठानों को रुहेले कहते थे । गंगा-यमुना नदियों के दोआब प्रदेश में इन रुहेलों ने उत्पात मचा रखा था । उनका दमन करने के लिए अयोध्या के नवाब ने मराठों को आमंत्रित किया। मराठों ने रुहलों का दमन किया ।

अफगानों से संघर्ष : अफगानिस्तान का शासक अहमदशाह अब्दाली को भारत की संपत्ति के प्रति आकर्षण था। ई.स.१७५१ में उसने पंजाब पर आक्रमण किया । उस समय मुगल प्रदेश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई थी । फलतः मुगलों को अब्दाली के आक्रमण का भय था । इस स्थिति में मुगलों ने अपनी रक्षा के लिए मराठों से सहायता लेना आवश्यक माना । मुगल शासक को मराठों की सामर्थ्य और ईमानदारी का विश्वास हो गया था । दिल्ली की रक्षा करने के लिए मराठों से बढ़कर किसी भी दूसरी सत्ता में यह सामर्थ्य नहीं थी । अतः मुगल शासक ने ई.स.१७५२ के अप्रैल महीने में मराठों के साथ समझौता किया । इस समझौते के अनुसार मराठों ने रुहेले, जाट, राजपूत, अफगान आदि शत्रुओं से मुगल सत्ता की रक्षा करना स्वीकार किया। उसके बदले में मराठों को नकद राशि मिलनेवाली थी । इसके अतिरिक्त उन्हें पंजाब, मुलतान, राजपूताना, सिंध और रुहेलखंड से चौथ वसूल करने के अधिकार प्राप्त हुए । साथ ही अजमेर और आगरा प्रांतों की सूबेदारी दी गई ।

इस समझौते के अनुसार छत्रपति की ओर से पेशवा ने शिंदे-होळकर की सेनाओं को दिल्ली की रक्षा करने हेतु रवाना किया । मराठे दिल्ली की ओर निकल चुके हैं; यह समाचार प्राप्त होते ही अब्दाली अपने देश को लौट गया । मराठे पड़ाव-दर-पड़ाव पार करते हुए दिल्ली पहुँचे । मराठों के कारण ही अब्दाली का संकट टला; यह मानकर मुगल शासक ने उन्हें मुगल सूबों की चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया । इन सूबों में काबुल, कंधार और पेशावर का भी समावेश था । ये सूबे पहले मुगल साम्राज्य के हिस्से थे लेकिन अब वे हिस्से अब्दाली के अफगानिस्तान में थे । समझौते के अनुसार ये सूबे अब्दाली से जीतकर पुनः मुगल साम्राज्य से जोड़ना मराठों का कर्तव्य था । इसके उल्टे; कम-से-कम पंजाब तक का प्रदेश अफगान के अधिकार में लाएँ; यह अब्दाली की इच्छा थी । फलतः आज न सही कल; मराठे और अब्दाली के बीच युद्ध होना अटल था ।

पेशवा नानासाहेब

नानासाहेब पेशवा का भाई रघुनाथ राव जयाप्पा शिंदे और मल्हारराव होळकर को साथ लेकर उत्तर भारत में अब्दाली से युद्ध करने के अभियान पर निकला । उत्तर भारत के स्थानीय सत्ताधारियों के दृष्टिकोण से दक्षिण के मराठे उनके प्रतिस्पर्धी थे ।

मराठों के व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर मराठों की सहायता करने के बजाय वे तटस्थ रहे। दिल्ली दरबार में मराठों का वर्चस्व और हस्तक्षेप उन्हें स्वीकार नहीं था। लेकिन सूरजमल जाट और रानी किशोरी ने पानीपत युद्ध में घायल हुए सैनिकों की सहायता की ।

साथ ही; उत्तर के कुछ कट्टरपंथी मराठों को परधर्मीय के रूप में देखते थे । उन्होंने भी मराठों के इस व्यापक दृष्टिकोण को समझने का प्रयास नहीं किया। इसके विपरीत, मराठों का वर्चस्व कम हो; इसलिए अब्दाली से हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का आग्रह किया । वे ऐसी अपेक्षा करते थे कि अब्दाली मराठों को पराजित कर दक्षिण में नर्मदा पार खदेड़ देगा ।

अटक पर मराठों का झंडा लहराया : नजीब खान रुहेलों का सरदार था । उत्तर भारत में मराठों का प्रभाव उसे असह्य था । नजीब खान के कहने पर अब्दाली ने भारत पर दोबारा आक्रमण किया । भारत पर उसका यह पाँचवाँ आक्रमण था । उसने दिल्ली जीत ली और बड़ी लूटपाट कर वह अफगानिस्तान को लौट गया । रघुनाथराव और मल्हारराव पुनः उत्तर में गए । उन्होंने दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया और अब्दाली के सरदारों को खदेड़कर पंजाब को जीता । अब्दाली के सैनिकों का पीछा करते हुए मराठे ई.स.१७५८ में अटक तक पहुँच गए । अटक में मराठों का झंडा फहरा उठा । अटक यह स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है। मराठों ने यह अभियान अटक के आगे पेशावर तक चलाया परंतु मराठे अपने अधिकारवाले प्रदेशों का उत्तम प्रबंध करने में सफल नहीं रहे ।

दत्ताजी का पराक्रम : पंजाब पर अपनी पकड़ मजबूत करने और नजीब खान का दमन करने के लिए पेशवा ने दत्ताजी शिंदे और जनकोजी शिंदे को उत्तर में भेजा । दत्ताजी उत्तर में गया । नजीब खान ने उसे बातचीत में उलझाए रखा और दूसरी ओर अब्दाली से सहायता करने की प्रार्थना की । यह संदेश मिलते ही अब्दाली ने फिर से भारत पर आक्रमण किया । यमुना तट के बुराड़ी घाट पर दत्ताजी और अब्दाली आमने-सामने आ गए । उनके बीच घमासान युद्ध हुआ । दत्ताजी ने असाधारण शौर्य की पराकाष्ठा की परंतु इस युद्ध में दत्ताजी को वीरगति प्राप्त हुई ।

क्या तुम जानते हो ?

दत्ताजी ने बड़े धैर्य और वीरता के साथ युद्ध किया लेकिन अंत में वह युद्ध भूमि पर घायल होकर गिर पड़ा । रुहेला नजीब खान का सलाहकार कुतुबशाह हाथी से उतरकर घायल दत्ताजी के पास आया और दत्ताजी से पूछा, ''क्यों पटेल जी, तुम हमारे साथ और भी लड़ोगे ?'' लहूलुहान दत्ताजी धरती पर पड़ा हुआ था लेकिन कुतुबशाह के इन शब्दों को सुनकर उसने बड़े स्वाभिमान से परिपूर्ण उत्तर दिया, ''हाँ, बचेंगे तो और भी लड़ेंगे ।''

सदाशिवरावभाऊ : नानासाहब ने अब्दाली का दमन करने के लिए अपने चचेरे भाई सदाशिवरावभाऊ और अपने बड़े बेटे विश्वासराव को उत्तर में भेजा। सदाशिवरावभाऊ चिमाजी अप्पा का बेटा था । उसके साथ विशाल सेना और शक्तिशाली तोपखाना था । इब्राहीम खान गारदी तोपखाने का प्रमुख था। इसी तोपखाने के बल पर उसने ई.स.१७६० में लातूर जिले के उदगीर की लड़ाई में निजाम को पराजित किया था।

सदाशिवरावभाऊ

पानीपत का युद्ध : उत्तर के इस अभियान में सदाशिवरावभाऊ ने दिल्ली जीत ली । इसके बाद

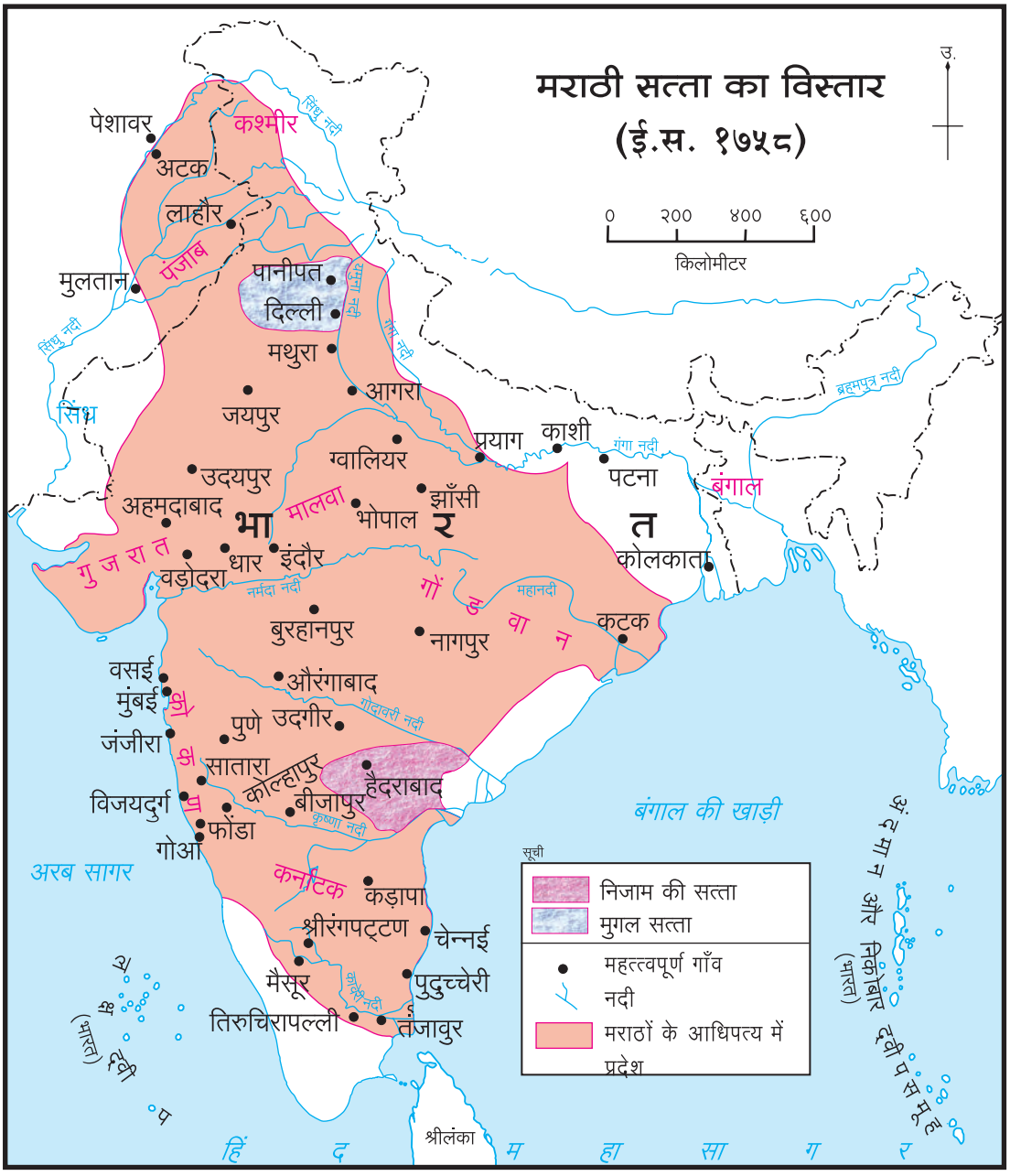

पानीपत में मराठों की सेना और अब्दाली की सेना आमने-सामने आ गई । ई.स.१४ जनवरी १७६१ को मराठों ने अब्दाली पर आक्रमण कर युद्ध को प्रारंभ किया । यह पानीपत का तीसरा युद्ध था । इस युद्ध में गोली लगने से विश्वासराव मारा गया । यह समाचार सदाशिवराभाऊ को प्राप्त होते ही वह क्रोध में पागल होकर शत्रु पर टूट पड़ा । इस घमासान युद्ध में वह दिखाई नहीं दे रहा था । यह देखकर कि हमारा नेता दिखाई नहीं दे रहा है; मराठी सेना का मनोबल गिर गया । उसी समय अब्दाली के आरक्षित और ताजा दम के सैनिकों ने मराठों पर आक्रमण किया । मराठों की पराजय हुई । इस युद्ध में महाराष्ट्र की एक संपूर्ण युवा पीढ़ी समाप्त हो गई । कई वीर-पराक्रमी सरदारों ने वीरगति पाई ।

क्या तुम जानते हो ?

पानीपत के युद्ध में लगभग डेढ़ लाख लोग मारे गए । एक पत्र में किया गया सांकेतिक वर्णन इस प्रकार है :

''दोन मोत्ये गळाली. सत्तावीस मोहोरा हरवल्या ! आणि रूपये, खुर्दा किती गेल्या याची गणतीच नाही.''

मराठों का मत था कि विदेशी अब्दाली को यहाँ शासन करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है; इस व्यापक उद्‌देश्य को ध्यान में रखकर मराठों ने अब्दाली से युद्ध किया । हम सभी भारतीय हैं और अब्दाली विदेशी शत्रु है; इस प्रकार का पत्र लिखकर सदाशिवरावभाऊ ने उत्तर के सभी सत्ताधीशों को मराठों की व्यापक और सर्वसमावेशक भूमिका से अवगत कराया था परंतु इस भूमिका को अनुकूल समर्थन उत्तर के सत्ताधीशों ने नहीं दिया और वे तटस्थ रहे। फलस्वरूप भारत की रक्षा का दायित्व अकेले मराठों पर आ गया । अतः यह कहा जा सकता है कि भारत एक देश है और उसका शासक किसी भी धर्म का हो; फिर भी सभी ने उसे समर्थन देना चाहिए; यह बोध इतिहास में सबसे पहले मराठों ने जगाया ।

पेशवा माधवराव : नानासाहब पेशवा की मृत्यु के पश्चात उनका बेटा माधवराव पेशवा पद पर बैठा। माधवराव ने अपने शासनकाल में निजाम और हैदरअली का बंदोबस्त किया । उसने उत्तर में मराठों का प्रभुत्व पुनः स्थापित किया ।

पेशवा माधवराव

पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय हुई थी; यह देखकर निजाम ने मराठों के विरोध में फिर से गतिविधियाँ प्रारंभ की । उसने मराठों के प्रदेश पर आक्रमण किए परंतु माधवराव ने निजाम को पैठण के समीप राक्षस भुवन नामक स्थान पर पराजित किया ।

हैदरअली मैसूर का सुल्तान था । पानीपत के युद्ध में हुई मराठों की हार देखकर उसने कर्नाटक में मराठों के प्रदेश पर हमले किए परंतु मराठों ने उसे श्रीरंगपट्टन के निकट मोती तालाब स्थान पर हुए युद्ध में हराया । तब हैदरअली ने मराठों को तुंगभद्रा नदी के उत्तर की ओर का प्रदेश देना स्वीकार किया ।

ई.स.१७७२ में माधवराव पेशवा की मृत्यु हुई। मराठों के इतिहास में माधवराव का उल्लेख निष्ठावान, परिश्रमी, संकल्पशील और लोकहितजागरूक शासक के रूप में किया जाता है। इस पराक्रमी पेशवा की मृत्यु से मराठी राज्य की बड़ी हानि हुई ।

क्या तुम जानते हो ?

पेशवा माधवराव ने किसानों के हितों की ओर विशेष ध्यान दिया । कुएँ खुदवाकर पुणे की जलापूर्ति में वृद्‌धि की । उसके कार्यकाल में नाना फड़नवीस जैसा प्रशासक तथा रामशास्त्री प्रभुणे जैसे महान न्यायाधीश हुए । न्याय व्यवस्था में सुधार किए जिससे प्रजा को न्याय मिले । तोपें और गोला-बारूद बनाने के कारखाने खोले । सिक्के ढालने के लिए टकसाल का प्रबंध किया।

पेशवा माधवराव के पश्चात नारायणराव और सवाई माधवराव गद्दी पर बैठे परंतु ये दोनों पेशवा अल्पायु रहे । इसके अलावा उनके शासनकाल में पेशवाई को गृहकलह ने ग्रस लिया । एक समय अटक के पार झंडा फहराने वाला रघुनाथराव सत्ता की लालसा में अंग्रेजों की शरण में चला गया । परिणामतः मराठे और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ ।

ई.स.१७८२ में हैदरअली की मृत्यु हुई । उसके बाद उसका बेटा टीपू मैसूर का सुल्तान बना । वह निष्णात योद्धा होने के साथ-साथ विद्वान और कवि भी था । अपने पराक्रम से उसने अपने राज्य का प्रभाव बढ़ाया । उसने फ्रांसीसियों से मित्रता स्थापित कर अंग्रेजों के प्रभाव को आघात पहुँचाना प्रारंभ किया । ई.स.१७९९ में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए युद्ध में वह मारा गया ।

मराठी सत्ता के प्रभाव की पुनःस्थापना : पानीपत युद्ध में हुई हार के कारण मराठों की उत्तर भारत में स्थापित प्रतिष्ठा पर जबर्दस्त आघात हुआ था । उत्तर में अपनी सत्ता को पुनः स्थापित करने के लिए माधवराव ने महादजी शिंदे, तुकोजी होलकर, रामचंद्र कानडे और विसाजी पंत बिनीवाले सरदारों को उत्तर में भेजा । मराठी सेना ने जाट, रुहेले और राजपूतों को पराजित किया । मुगल शासक शाहआलम को अपने संरक्षण में दिल्ली की गद्दी पर बैठाया । इस प्रकार उत्तर में फिर से मराठों की सत्ता स्थापित हुई ।

पानीपत के युद्ध में मराठों को प्रचंड हानि उठानी पड़ी थी । अब्दाली की सेना को भी क्षति पहुँची थी । पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त होने के बावजूद अब्दाली को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ नहीं हुआ था । अतः उसने अथवा उसके उत्तराधिकारियों ने भारत पर फिर से आक्रमण करने का साहस नहीं किया । इसके उल्टे; उनके ध्यान में आ गया था कि उत्तर में निर्माण होने वाली अराजकता पर अंकुश रखने की सामर्थ्य मराठों में ही है । अतः उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मुगल पातशाही का संरक्षण मराठे ही करें । मराठों के साथ मित्रता स्थापित करने के लिए उसने अपने दूत को भी पुणे भेजा था । पानीपत में हुई इतनी बड़ी पराजय को पचाकर उत्तर की राजनीति में फिर से स्वयं को स्थापित करने में मराठे सफल रहे; यह उल्लेखनीय तथ्य है । इसमें मल्हारराव होलकर, अहिल्याबाई होलकर और महादजी शिंदे का बहुत बड़ा योगदान रहा ।

पेशवा घराने की वंशावली

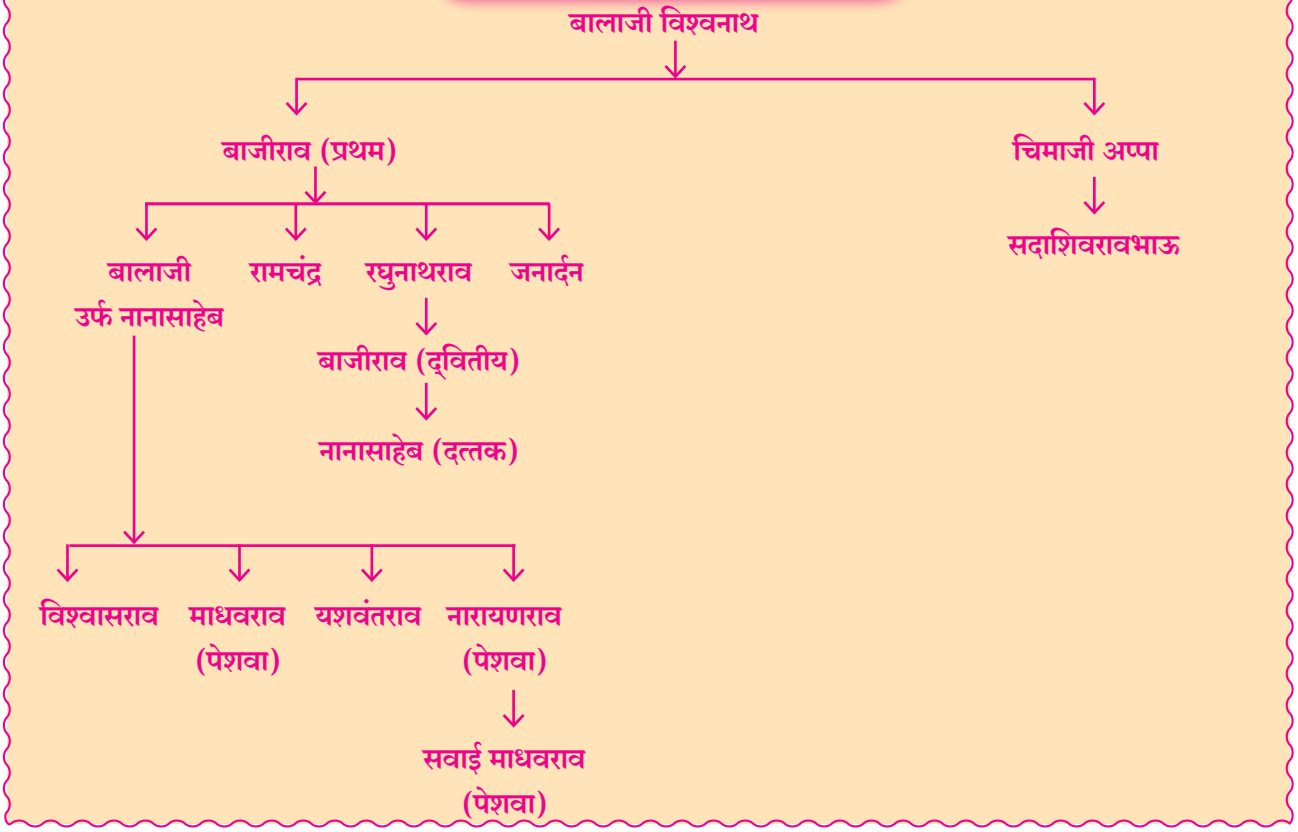

स्वाध्याय

१. कौन भला ?

(१) अफगानिस्तान से आए हुए ....
(२) हिमालय की तलहटी में स्थायी रूप में बसे हुए..
(३) नानासाहेब पेशवा का भाई ....
(४) मथुरा के जाटों का प्रमुख ....
(५) पैठण के समीप राक्षस भुवन नामक स्थान पर निजाम को पराजित करने वाला ....

२. संक्षेप में लिखो :

(१) अटक पर मराठों का झंडा फहरा उठा ।
(२) अफगानों के साथ संघर्ष ।
(३) पानीपत युद्ध के परिणाम ।

३. घटनाक्रम लगाओ :

(१) राक्षस भुवन का युद्ध
(२) टीपू सुल्तान की मृत्यु
(३) माधवराव पेशवा की मृत्यु
(४) पानीपत का युद्ध
(५) बुराड़ी घाट की लड़ाई

४. निम्न चौखट में पाठ में आए हुए व्यक्तियों के नाम ढूँढ़ो :

म	स	ह	ना	ज	न	को	जी
हा	ज	द	रा	ना	फ	म	त्ता
द	या	च	य	प	सा	थ	द
जी	प्पा	ल	ण	आ	रू	हे	प्र
बा	ला	जी	वि	श्व	ना	थ	ब
अ	व	ला	मा	ध	व	रा	व
स	दा	शि	व	रा	व	भा	ऊ
म	ल्हा	र	रा	व	क	चि	दे

उपक्रम

इंटरनेट (अंतरजाल) की सहायता से पानीपत युद्ध की जानकारी प्राप्त करो और कक्षा में प्रस्तुत करो ।

सवाई माधवराव पेशवा का दरबार

१२. साम्राज्य की प्रगति

अब तक हमने मराठी सत्ता के उदय और विस्तार का अध्ययन किया । हमने यह भी देखा कि स्वराज्य की स्थापना से लेकर साम्राज्य विस्तार तक की यात्रा किस प्रकार पूर्ण हुई । उत्तर भारत में मराठों का जो साम्राज्य विस्तार हुआ; उसमें जिन सरदार घरानों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया; उनकी संक्षिप्त जानकारी हम इस पाठ में लेंगे ।

इंदौर के होळकर : मल्हारराव इंदौर की होळकर सत्ता के प्रवर्तक थे । उन्होंने दीर्घकाल तक मराठी राज्य की सेवा की । वे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में निष्णात थे । बाजीराव प्रथम और नानासाहब के शासनकाल में उन्होंने उत्तर में पराक्रम दिखाया । मालवा और राजपूताना में मराठों का वर्चस्व स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा । पानीपत युद्ध के बाद उत्तर में मराठों की गिरती प्रतिष्ठा को सँवारने में माधवराव पेशवा को उनका बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ ।

मल्हारराव होळकर

पुण्यश्लोक अहिल्याबाई मल्हारराव का बेटा खंडेराव की पत्नी थीं । कुंभेरी के युद्ध में खंडेराव की मृत्यु हुई। कालांतर में मल्हारराव का भी निधन हो गया । उसके पश्चात इंदौर के प्रशासन की बागडोर अहिल्याबाई के हाथ में आई । वह महान कूटनीतिक और उत्तम प्रशासक थीं । उन्होंने नए कानून बनाकर भू-राजस्व, कर की वसूली जैसी बातों को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया । बंजर भूमि को बोआई के लिए उपयोग में लाना, किसानों के लिए कुएँ खुदवाना, व्यापार-उद्योग को प्रोत्साहन देना, ताल-तालाबों का निर्माण करवाना आदि कार्यों के लिए उन्होंने परिश्रम उठाए । भारत में चारों दिशाओं में स्थित महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थानों पर उन्होंने मंदिर, घाट, मठ, धर्मशालाएँ, प्याऊ का निर्माण करवाया । इस रूप में देश की सांस्कृतिक एकता का उनके द्वारा किया गया प्रयास महत्त्वपूर्ण था । वह स्वयं न्याय-फैसले करती थीं । वह महादानी और ग्रंथप्रेमी थीं । उन्होंने लगभग अट्ठाईस वर्ष सक्षमता से राज्य प्रशासन चलाया और उत्तर में मराठी सत्ता की छवि को उज्ज्वल बनाया । राज्य में शांति और सुव्यवस्था स्थापित कर प्रजा को सुखी बनाया । मराठाशाही के गिरते समय में यशवंतराव होळकर ने राज्य को बचाने का प्रयास किया ।

अहिल्याबाई होळकर

नागपुर के भोसले : नागपुर के भोसले घराने में परसोजी भोसले को शाहू महाराज के कार्यकाल में वऱ्हाड (बरार) और गोंडवाना प्रदेशों की सनद (आदेशपत्र) दी गई थी । नागपुर के जितने भोसले हुए; उनमें रघुजी सबमें पराक्रमी और कार्यकुशल पुरुष थे । वह दक्षिण के तिरुचिरापल्ली और अर्काट के आसपास के प्रदेश को मराठों के प्रभुत्व में ले आया । शाहू महाराज ने बंगाल, बिहार और ओडिशा प्रांतों की चौथ वसूली के अधिकार रघुजी को दिए थे । वह उन प्रदेशों को मराठों के आधिपत्य में ले आया । ई.स.१७५१ में नागपुर के भोसलों ने ओडिशा सूबा अली वरदी खान से जीत लिया।

रघुजी भोसले

कालांतर में ई.स.१८०३ तक ओडिशा पर मराठों का प्रभुत्व था।

क्या तुम जानते हो ?

मराठा डिच – कोलकाता के अंग्रेज नागपुर के भोसलों से बुरी तरह भयभीत थे । मराठों के संभावित आक्रमण से कोलकाता शहर को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने शहर के चारों ओर एक खंदक खुदवाई थी । यह खंदक मराठी डिच नाम से विख्यात हुई ।

ग्वालियर के शिंदे : बाजीराव प्रथम ने राणोजी शिंदे के शौर्य और पराक्रम को भाँप लिया था । अतः उसे उत्तर का सरदार नियुक्त किया । राणोजी की मृत्यु के पश्चात उनके बेटों – जयाप्पा, दत्ताजी और महादजी ने भी अपनी वीरता के बल पर उत्तर भारत में मराठी सत्ता को सामर्थ्यवान बनाया ।

महादजी शिंदे

माधवराव पेशवा ने शिंदे परिवार का सरदार पद महादजी को प्रदान किया । वह वीर और चतुर राजनीतिज्ञ था । पानीपत की पराजय के पश्चात उसने उत्तर भारत में मराठों के प्रभुत्व और प्रतिष्ठा को स्थापित करने का कार्य किया । वह भली-भाँति जानता था कि उत्तर भारत के समतल प्रदेश में मराठों की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली उपयोगी सिद्ध नहीं होगी। अतः उसने फ्रांसीसी सेना विशेषज्ञ डिबॉइन के मार्गदर्शन में अपनी सेना को प्रशिक्षित किया और तोपखाना सुसज्जित किया । इस प्रशिक्षित सेना के बल पर उसने रुहेले, जाट, राजपूत, बुंदेला आदि से आत्मसमर्पण करवाया ।

पानीपत के युद्ध के बाद मराठों की शक्ति क्षीण हो गई है; यह देखकर अंग्रेजों ने दिल्ली की राजनीति में प्रवेश करना प्रारंभ किया । उन्होंने बंगाल सूबे के दीवानी अधिकार अपने हाथ में ले लिए । वे दिल्ली के पातशाह को अपने नियंत्रण में कर लेना चाहते थे। इस विपरीत स्थिति में महादजी शिंदे ने अंग्रेजों को मात देकर दिल्ली के बादशाह को पुनः गद्दी पर बैठाया। इस कार्य पर प्रसन्न होकर दिल्ली पातशाह ने उसे 'वकील-ए-मुत्लक' उपाधि प्रदान की अर्थात दीवानी और सेना अधिकार का नियंत्रण उसे सौंपा । उसने उस उपाधि को बाल पेशवा सवाई माधवराव की ओर से स्वीकार किया । इस उपाधि के कारण दिल्ली पातशाही पूर्णतः मराठों के नियंत्रण में आ गई। लड़खड़ाती-ढहती मुगल सत्ता की अट्टालिका को संभालना सरल कार्य नहीं था । महादजी ने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति पर विजय पाकर बड़ी दृढ़ता से ई.स.१७८४ से १७९४ की अवधि में दिल्ली का प्रशासन चलाया ।

पानीपत युद्ध के लिए नजीब खान उत्तरदायी था। उसके उत्तराधिकारी अभी भी रुहेलखंड में षडयंत्र कर रहे थे । नजीब का पोता गुलाम कादिर ने लाल किला अपने अधिकार में कर लिया और धन के लिए बादशाह और बेगमों को यंत्रणाएँ दी । बादशाह की आँखें निकाली और राजकोष हड़प लिया । इस स्थिति में महादजी ने कादिर को पराजित किया । कादिर द्वारा हड़प की हुई संपत्ति लेकर बादशाह को लौटाई । बादशाह को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बिठाया । इस प्रकार महादजी ने पानीपत युद्ध के पश्चात मराठों की साख पुनः प्राप्त कराई । दिल्ली के पातशाह को मराठों के नियंत्रण में रखकर भारत की राजनीति चलाई।

पेशवाओं में चलने वाले गृहयुद्ध का परिणाम यह हुआ कि रघुनाथराव अंग्रेजों के आश्रय में चला गया था । अंग्रेजों की सहायता से पेशवा पद प्राप्त करना उसका उद्देश्य था और मराठी कूटनीतिज्ञों को यह स्वीकार न था । अतः मराठे और अंग्रेजों के बीच का संघर्ष अटल था लेकिन इससे इतना तो

स्पष्ट हो गया कि हिंदुस्तान पर शासन कौन करेगा; इसका अंतिम निर्णय मराठे और अंग्रेजों के बीच होने वाला था ।

अंग्रेज मुंबई से बोरघाट मार्ग द्वारा मराठों पर आक्रमण करने आए । महादजी शिंदे के नेतृत्व में मराठी सेना एकत्रित आई थी । मराठों ने गुरिल्ला युद्ध नीति का अवलंब कर अंग्रेजों को रसद प्राप्त नहीं होने दी । दोनों सेनाएँ वड़गाँव में (वर्तमान पुणे-मुंबई राजमार्ग पर) एक-दूसरे के आमने-सामने आईं। इस युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई । परिणामस्वरूप अंग्रेजों के लिए आवश्यक हो गया कि वे रघुनाथराव को मराठों को सौंप दे ।

दिल्ली पर ई.स.१८०३ तक मराठों का नियंत्रण था । अंग्रेजों ने भारत पर विजय पाई परंतु मराठों से लड़कर; यदि यह ध्यान में आया तो महादजी के कार्यों का महत्व समझ में आता है । दिल्ली के प्रशासन को सुस्थिति में लाकर वे पुणे आए । पुणे के समीप वानवडी में उनकी मृत्यु हुई । वहीं उनकी स्मृति में छतरी बनाई गई है ।

शिंदे की छतरी, वानवडी-पुणे

शिंदे, होळकर और भोसले की भाँति अन्य कुछ प्रमुख सरदारों ने मराठी राज्य की उल्लेखनीय सेवा की ।

शिवाजी महाराज ने जिस नौसेना का निर्माण करवाया; उसे कान्होजी और तुळाजी आंग्रे पिता-पुत्र ने शक्तिशाली बनाया । इसी शक्तिशाली नौसेना के बल पर उन्होंने पुर्तगाली, अंग्रेज और सिद्दी जैसी नौसैनिकी सत्ताओं को अपने नियंत्रण में रखा और मराठी राज्य के तटक्षेत्र की रक्षा की ।

सेनापति खंडेराव दाभाडे और उसका बेटा त्रिंबकराव ने गुजरात में मराठी सत्ता की नींव रखी । खंडेराव की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी उमाबाई ने अहमदाबाद के मुगल सरदार को पराजित किया । वहाँ का किला जीत लिया । आगे चलकर गायकवाडों ने गुजरात के वड़ोदरा (बड़ौदा) को अपना सत्ता केंद्र बनाया । उत्तर में मराठी सत्ता का विस्तार करने में मध्य प्रदेश के धार और देवास के पवारों ने शिंदे और होळकर को बहुमूल्य योगदान दिया ।

सेनापति माधवराव पेशवा की मृत्यु के पश्चात मराठी राज्यव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई । उसे नाना फडणवीस और महादजी शिंदे पटरी पर ले आए । जब महादजी उत्तर भारत में मराठों का वर्चस्व स्थापित करने में व्यस्त थे, उस समय नाना ने दक्षिण की राजनीति की बागडोर संभाली । इस कार्य में उसे पटवर्धन, हरिपंत फडके, रास्ते आदि सरदारों का सहयोग प्राप्त हुआ । फलस्वरूप दक्षिण में मराठी सत्ता का वर्चस्व स्थापित हुआ । इंदौर के होळकर, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के शिंदे, वडोदरा के गायकवाड ने अपने पराक्रम, नेतृत्व, कार्य आदि गुणों के बल पर मराठी सत्ता को वैभवशाली बनाया । ये सभी मराठी सत्ता के अंतिम चरण के आधार स्तंभ थे ।

नाना फडणवीस

मराठी सत्ता का उत्तर और दक्षिण भारत में प्रभाव निर्माण करने में मराठे सरदार सफल हुए परंतु महादजी शिंदे और नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद

मराठी सत्ता का पतन प्रारंभ हुआ । इस कालखंड में रघुनाथराव का बेटा बाजीराव द्‌वितीय पेशवा था । उसमें नेतृत्व योग्यता का अभाव था । इसके विपरीत उसमें अनेक दोष थे । वह मराठा सरदारों में एकता निर्माण नहीं कर सका । मराठा सरदारों में आपसी फूट पैदा होने से मराठी सत्ता भीतर से खोखली होती गई। ऐसे अनेक कारणों से बाजीराव द्‌वितीय के कार्यकाल में मराठों का उत्तर और दक्षिण में प्रभाव क्षीण होता गया । मराठी सत्ता का स्थान अंग्रेजों ने ले लिया ।

ई.स.१८१७ में अंग्रेजों ने पुणे को अपने अधिकार में कर लिया और वहाँ अपना 'यूनियन जैक' ध्वज फहराया । ई.स. १८१८ में सोलापुर जिले के आष्टी नामक स्थान पर हुई लड़ाई में अंग्रेजों ने मराठों को पराजित किया । फलतः मराठी सत्ता समाप्त हो गई । यह घटना भारतीय इतिहास में बहुत बड़ी परिवर्तनकारी घटना सिद्‌ध हुई । इस घटना के पश्चात अंग्रेज लगभग संपूर्ण भारत को अपने आधिपत्य में ले आए । भारत का पश्चिमी विश्व के साथ संपर्क बढ़ा । इसके साथ-साथ भारतीय समाज व्यवस्था में कई परिवर्तन हुए। अनेक पुरानी बातें कालबाह्य हो गईं और हाशिये पर चली गईं । एक बहुत बड़ा बदलाव आया । भारतीय इतिहास का मध्यकाल समाप्त हुआ और आधुनिक कालखंड का प्रारंभ हुआ।

स्वाध्याय

१. एक शब्द में लिखो :

(१) इंदौर के राज्य प्रशासन की बागडोर संभालने वाली –

(२) नागपुर के भोसले घराने में सबसे पराक्रमी और कार्यक्षम पुरुष –

(३) दिल्ली की गद्‌दी पर बादशाह को बैठाने वाले –

(४) दक्षिण की राजनीति की बागडोर संभालनेवाले –

२. घटनाक्रम लिखो :

(१) आष्टी की लड़ाई (२) मराठों का ओडिशा पर प्रभुत्व (३) अंग्रेजों ने पुणे पर यूनियन जैक फहराया।

३. लेखन करो :

(१) अहिल्याबाई होलकर द्‌वारा किए गए कार्य ।

(२) महादजी शिंदे का पराक्रम ।

(३) गुजरात में मराठी सत्ता ।

४. मराठी सत्ता समाप्त होने के कारण : विचार-विमर्श करो ।

उपक्रम

मराठी सत्ता के विस्तार में अपना योगदान देनेवाले घरानों की जानकारी का सचित्र संग्रह बनाओ । विद्‌यालय में उसकी प्रदर्शनी लगाओ ।

शनिवारवाडा, पुणे

१३. महाराष्ट्र का सामाजिक जीवन

छत्रपति शिवाजी महाराज द्‌वारा स्थापित हिंदवी स्वराज्य प्रजा का राज्य था । प्रजा का कल्याण हो, लोगों पर अत्याचार न हो, महाराष्ट्र धर्म की रक्षा हो, यह शिवाजी महाराज का उदात्त उद्‌देश्य था । शिवाजी महाराज के बादवाले कालखंड में भी मराठी राज्य का भारत भर में विस्तार हुआ । मराठी सत्ता लगभग १५० वर्षों तक बनी रही ।

पिछले पाठों में हमने मराठी राज्य प्रशासन की जानकारी का अध्ययन किया । इस पाठ में हम तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति और जनजीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे ।

सामाजिक परिस्थिति : खेती और खेती पर आधारित उद्‌योग गाँव के स्तर पर उत्पादन के प्रमुख साधन थे । गाँव के पाटिल पर गाँव की रक्षा का तो कुलकर्णी पर राजस्व की देखभाल करने का दायित्व था । पाटिल के कार्य करने के लिए पाटिल को जागीर के रूप में जमीन दी जाती थी । इस कार्य के लिए उसे राजस्व का कुछ हिस्सा मिलता था । परजा-पवन (व्यावसायिकों) को गाँव के लोगों के लिए किए गए उनके काम का पारिश्रमिक वस्तुओं के रूप में मिलता था । देहात में चलनेवाले व्यवसायों के दो प्रमुख वर्ग थे - काला और सफेद । काले में काम करने वाले किसान कहलाते और सफेद में काम करनेवाले सफेदपेशा । गाँव-देहात के सभी कार्य व्यवहार पारस्परिक सूझ-बूझ के आधार पर चलते थे। संयुक्त परिवार को अधिक महत्त्व प्राप्त था।

क्या तुम जानते हो ?

गाँव में लुहार, बढ़ई, कुम्हार, सुनार आदि बारह बलुतेदार (परजा-पवन) होते थे । ये बलुतेदार गाँव के लोगों के काम करते थे ।

रीति-रिवाज : इस कालखंड में बाल विवाह पद्‌धति प्रचलित थी । बहुपत्नीत्व की प्रथा भी प्रचलन में थी । विधवाओं के पुनर्विवाह के उदाहरण मिलते हैं। मानव शरीर पर अंतिम संस्कार के रूप में दाहकर्म, दफन करने और विसर्जित करने जैसी पद्‌धतियाँ प्रचलित थीं । छोटी-छोटी बातों अथवा युद्‌ध पर कूच करने हेतु शुभ समय अथवा मुहूर्त देखा जाता था । लोगों का शकुन, स्वप्न पर विश्वास था । ईश्वर अथवा ग्रहों का प्रकोप न हो; इसलिए अनुष्ठान किए जाते थे। दान-धर्म किया जाता था । ज्योतिष पर लोगों की श्रद्‌धा थी । वैज्ञानिक दृष्टि और सोच का अभाव था । औषधि-उपचार की अपेक्षा मानता, मनौती को महत्त्व प्राप्त था ।

रहन-सहन : बहुसंख्य लोग गाँव-देहात में रहते थे । उन्हें बाहर से केवल नमक मँगवाना पड़ता था। किसानों की आवश्यकताएँ सीमित थीं । किसान ज्वार, बाजरा, गेहूँ, मडुआ, मकई, चावल आदि अनाज उगाते थे । प्रतिदिन के भोजन में भाकरी (कोंचा/मोटी रोटी), प्याज, चटनी और सूखी सब्जी का समावेश था। लोग अपने-अपने व्यवहार वस्तु विनिमय (वस्तुओं का लेन-देन) पद्‌धति द्‌वारा करते थे । गाँव-देहात के मकान सादे, मिट्‌टी और ईंटों से बने होते थे । शहर में एक मंजिला अथवा दो मंजिला वाड़े (कोठियाँ) होते थे । संपन्न वर्ग के लोगों के भोजन में दाल-भात, रोटी, सब्जियाँ, कचूमर, दही-दूध के पदार्थ होते थे। पुरुष धोती, कुरता, अंगरखा, मुंडासा धारण करते थे । लुगड़ा (नौ गज की साड़ी) और चोली स्त्रियों की पोशाक थी।

तीज-त्योहार : लोग गुडी पाडवा, नागपंचमी, बैलपोळा (बैलों की पूजा), दशहरा, दीपावली, मकर संक्रांत, होली, ईद जैसे तीज-त्योहार मनाते थे । पेशवाओं के शासनकाल में गणेशोत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता । उसका स्वरूप घरेलू था । पेशवा स्वयं गणेश भक्त थे । अतः गणेशोत्सव को महत्त्व प्राप्त हुआ । प्रतिवर्ष यह उत्सव भाद्रपद महीने की चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक चलता था ।

साढ़े तीन शुभ और उत्तम मुहूर्तों में से दशहरा एक शुभ मुहूर्त माना जाता है । लोग दशहरे के दिन से

शुभकार्य प्रारंभ करते हैं । इस दिन शस्त्रों और औजारों की पूजा की जाती । सीमोल्लंघन करते । एक-दूसरे को शमी के पत्ते देते । दशहरे के बाद मराठे युद्ध अभियान पर निकलते । दीवाली में बलि प्रतिपदा (दीपावली पाडवा) और भाई दूज विशेष रूप से मनाए जाते । गाँव-देहात में मेले लगते । मेलों में दंगल (कुश्ती) के अखाड़े लगते । गुढ़ी पाडवा के दिन गुढ़ी (धार्मिक ध्वजा) खड़ी कर यह त्योहार मनाया जाता । उत्सव-पर्वों में नृत्य-गान, डफ (चंग) के गीत, तमाशा (नौटंकी) आदि मनोरंजन के कार्यक्रम होते । तमाशा (नौटंकी, लोकनाट्य) मनोरंजन का लोकप्रिय प्रकार था ।

बैलपोळा (बैलों की पूजा का त्योहार)

शिक्षा पद्धति : इस कालखंड की शिक्षा पद्धति में पाठशालाओं और मदरसों को स्थान था । घर में ही लेखन, पठन, हिसाब-किताब रखने की शिक्षा मिल जाती थी । मोड़ी (सर्राफा/घसीटा) लिपि का उपयोग लेन-देन और व्यापार में किया जाता था ।

यातायात-यात्रा : घाटमार्ग, सड़क, नदी पर बने पुल द्वारा यातायात चलता था । अनाज, वस्त्र, माल-सामान की ढुलाई बैलों की पीठ पर की जाती थी। नदी पार करने के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। चिट्ठी-पत्रों को लाने-ले जाने का कार्य सांडनी सवार और दूत अथवा हरकारा करते थे ।

खेल : इस कालखंड में विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते थे । खेल मनोरंजन के साधन थे । कुश्ती और युद्ध कला जैसे खेल लोकप्रिय थे । मल्लखंभ (मलखम), दंड, कुश्ती लड़ना, गतका-फरी चलाना, बोथाटी (एक प्रकार की लाठी, जिसके

मल्लखंभ (मलखम)

दोनों सिरों पर लकड़ी के गोले होते हैं) घुमाना जैसे खेल खेले जाते। हुतूतू, खो-खो, आट्यापाट्या जैसे मैदानी खेल और चौसर, गंजीफा, शतरंज जैसे भीतरी खेल लोकप्रिय थे।

धर्म तथा आचार-विचार : इस कालखंड में हिंदू और मुस्लिम ये दो प्रमुख धर्म दिखाई देते हैं । छत्रपति शिवाजी महाराज की धार्मिक नीति उदारतावादी थी । प्रत्येक मनुष्य अपने-अपने धर्म का पालन करे, अपने धर्म को दूसरे पर बलात न लादे; इस प्रकार की विचारधारा उस कालखंड में प्रचलित थी । सरकार द्वारा पाठशालाओं, मंदिरों, मदरसों और मस्जिदों को आर्थिक सहायता दी जाती थी । दोनों धर्मों के अनुयायी एक-दूसरे के पर्वों-त्योहारों में सम्मिलित होते थे । वारकरी, महानुभाव, दत्त, नाथ, रामदासी पंथ प्रचलित थे ।

स्त्री जीवन : इस कालखंड में स्त्रियों का जीवन बड़ा कष्टमय था । उसका विश्व केवल मायका और ससुराल तक सीमित था । उसकी शिक्षा-दीक्षा की ओर किसी का ध्यान न था । कुछ ही स्त्रियों ने अक्षरज्ञान, प्रशासन और युद्ध कौशल में प्रगति की थी । उनमें वीरमाता जिजाबाई, येसूबाई, महारानी ताराबाई, उमाबाई दाभाडे, गोपिकाबाई, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई का समावेश था । बाल विवाह, अनमेल विवाह, विधवापन, केशवपन (मुंडन), सती, बहुपत्नीत्व जैसी कुप्रथाओं में स्त्रियों का जीवन

जकड़ गया था । संक्षेप में; स्त्रियों का जीवन अत्यंत प्रतिकूल हो गया था ।

ई.स.१६३० से १८१० अर्थात पौने दो सौ वर्षों के कालखंड को सामान्यतः मराठीशाही कहते हैं । इस कालखंड की कला और स्थापत्य की हम संक्षेप में समीक्षा करेंगे ।

शिल्पकला : शिवाजी महाराज के कालखंड में कसबा गणपति मंदिर का जीर्णोद्धार, लाल महल का निर्माण, राजगढ़ और रायगढ़ पर किए गए निर्माण कार्य, जलदुर्गों का निर्माण जैसे स्थापत्य निर्माण का उल्लेख मिलता है । इस कालखंड में हिरोजी इंदुलकर विख्यात स्थापत्य विशारद था ।

गाँव बसाते समय संभवतः एक-दूसरे को समकोण में काटतीं सड़कें, सड़क के किनारे पत्थर लगाना, नदी के किनारे घाट जैसी निर्माण कार्य की संरचना होती थी। पेशवाओं के कालखंड में अहमदनगर, बीजापुर जैसी पेयजल व्यवस्था पुणे शहर में की गई थी । पेशवाओं ने भूमिगत नल, छोटे-छोटे बाँध, बाग-बगीचे, हौज, पानी के फौआरों का निर्माण करवाया । पुणे शहर के समीप हड़पसर क्षेत्र के दिवे घाट में बनाया गया मस्तानी तालाब स्थापत्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

पुणे का शनिवारवाड़ा, विश्रामबागवाड़ा, नाशिक का सरकारवाड़ा, कोपरगाँव का रघुनाथ पेशवा का वाड़ा, सातारकर छत्रपतियों के वाड़े, इनके अतिरिक्त वाई, मेणवली, टोके, श्रीगोंदे, पंढरपुर के पुराने वाड़े मध्ययुगीन वाड़ा संस्कृति के चिह्न हैं । वाड़ों के निर्माण कार्य में कच्ची और पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था । लकड़ी के खंभे, शहतीर, तराशे हुए पत्थर, कमानें, उत्तम घोटा हुआ चूना, खपरैल छप्पर, कीचड़, बाँस का उपयोग भी निर्माण कार्य में किया जाता था । वाड़ों की सजावट में चित्रकार्य, रंगकार्य, काष्ठशिल्प (लकड़ी के शिल्प), आईनों का उपयोग किया जाता था ।

मंदिर : शिवाजी महाराज के कालखंड में बनाए गए मंदिर यादवकालीन हेमाडपंती शैली के हैं । कोल्हापुर की अंबाबाई मंदिर का शिखर, पहाड़ पर बने जोतिबा के मंदिर, शिखर शिंगणापुर के शंभुमहादेव का मंदिर, वेरुल (एलोरा) का घृष्णेश्वर मंदिर शिल्पविद्या के उत्तम उदाहरण हैं । प्रतापगढ़ पर देवी भवानी के और गोआ के सप्तकोटेश्वर मंदिर का निर्माण कार्य शिवाजी महाराज द्वारा करवाया गया है। पेशवाओं के कार्यकाल में नाशिक का कालाराम मंदिर, त्र्यंबकेश्वर का शिवमंदिर, गोदावरी-प्रवरा नदियों के संगम पर स्थित कायगाँव और टोके के शिव मंदिर, नेवासा का मोहिनीराज मंदिर बनाए गए।

घृष्णेश्वर मंदिर

घाट : नदी अथवा नदियों की संगम स्थली पर तराशे गए पत्थरों से बनाए हुए घाट मराठीशाही की विशेषता है । इस कालखंड में सबसे सुंदर घाट गोदावरी और प्रवरा नदियों के संगम पर प्रवरा संगम और टोके में बनाए गए हैं । पक्की निर्माणवाली सीढ़ियों की कतार में, निश्चित दूरी पर दूसरी सीढ़ी आगे बनाई जाती थी । इस कारण सभी घाटों का रूप निखर उठता था । पानी के बहाव द्वारा घाट का स्खलन न हो; इसलिए निश्चित दूरी पर पक्के बुर्ज बाँधे जाते ।

चित्रकला : पेशवाओं के कालखंड में शनिवारवाड़ा की दीवारों पर बनाए गए चित्र महत्त्वपूर्ण हैं । इस कालखंड में राघो, तानाजी, अनूपराव, शिवराम, माणकोजी जैसे विख्यात चित्रकार हुए । सवाई माधवराव पेशवा के कार्यकाल में गंगाराम तांबट प्रख्यात चित्रकार था । पेशवाओं ने चित्रकला को प्रोत्साहन दिया । पेशवाओं के

कार्यकाल में पुणे, सातारा, मेणवली, नाशिक, चांदवड और निपाणी के वाड़ों की दीवारों पर चित्र बनाए गए थे। पांडेश्वर, मोरगाँव, पाल, बेनवड़ी और पुणे के समीप पाषाण में बनाए गए मंदिरों की दीवारों पर चित्र बनाए गए थे । इस कालखंड के चित्रों के विषय दशावतार, गणेशजी, शंकर, रामपंचायतन, विदर्भ के जामोद में निर्मित जैन मंदिर में अंकित जैन चरित्र और पौराणिक कथाएँ थे । इसी तरह रामायण, महाभारत, तीज-त्योहार, पर्व-उत्सव पर आधारित चित्र बनाए जाते थे । पोथियों पर अंकित चित्र, लघुचित्र, व्यक्तिचित्र और प्रसंगचित्र भी थे ।

शिल्प : इसी कालखंड में शिवाजी महाराज द्वारा कर्नाटक पर किए गए आक्रमण के समय मल्लम्मा देसाई से हुई भेंट का शिल्प, भुलेश्वर मंदिर की शिल्पकला, व्यक्तियों के शिल्प, पशु-प्राणियों के शिल्प (जैसे-हाथी, मोर, बंदर), टोके के मंदिरों में बने शिल्प और बाहरी भागों की शिल्पकला, पुणे का त्रिशुंड गणपति मंदिर, मध्य प्रदेश की अहिल्यादेवी होळकर की छतरी, नेवासा के मोहिनीराज मंदिर की शिल्पकला महत्त्वपूर्ण है ।

धातु की मूर्तियाँ : पेशवाओं ने पुणे की पर्वती में बनाए गए मंदिर में पूजा के लिए पार्वती और गणपति की मूर्तियाँ बनवाकर ली थीं । इसी तरह लकड़ी के शिल्प भी बनाए जाते थे ।

वाङ्मय (ग्रंथ साहित्य) : संत साहित्य, पौराणिक आख्यान, टीका वाङ्मय, ओवी, अभंग (सबद), ग्रंथ, कथाकाव्य, चरित्रकथाएँ, संतों के चरित्र, फुटकल (मुक्त) काव्य रचनाएँ, देवी-देवताओं से संबंधित आरतियाँ, पोवाडे (शौर्य कथाएँ), बखरी (इतिहास), ऐतिहासिक पत्र ये सभी वाङ्मय अर्थात साहित्य के विविध अंग हैं ।

नाट्यकला : सत्रहवीं शताब्दी के अंत में दक्षिण में तंजौर नामक स्थान पर मराठी नाटकों का प्रारंभ हुआ । सरफोजी राजाओं ने इस कला को प्रोत्साहन दिया। इस नाटक में गायन और नृत्य को महत्त्व प्राप्त था ।

अब तक हमने मध्यकाल की समीक्षा की । मराठी सत्ता का उदय और उसके विस्तार का अध्ययन किया। अगले वर्ष हम आधुनिक कालखंड का अध्ययन करेंगे।

स्वाध्याय

१. तालिका पूर्ण करो :

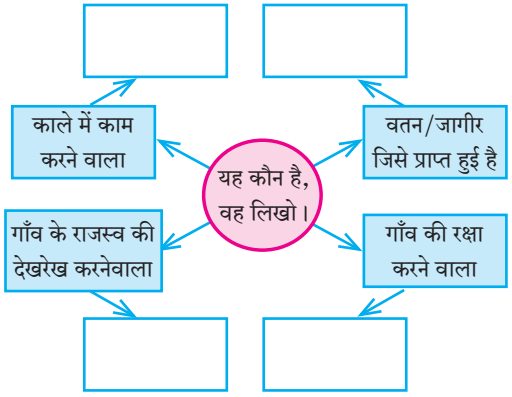

२. समाज में कौन-कौन-सी कुप्रथाएँ प्रचलित हैं ? उनका उन्मूलन करने के उपाय सुझाओ ।

३. तुम्हारे परिसर में कौन-कौन-से पर्व-त्योहार मनाए जाते हैं, इस विषय पर विस्तार में एक टिप्पणी लिखो ।

४. निम्न मुद्दों के आधार पर शिवाजी महाराज कालीन सामाजिक जीवन तथा वर्तमान सामाजिक जीवन की तुलना करो ।

क्र.	मुद्दे	शिवाजी महाराज कालीन सामाजिक जीवन	वर्तमान सामाजिक जीवन
१.	व्यवहार	.....	.....
२.	मकान	.....	पक्के सीमेंट, कांक्रीट के अनेक मंजिला मकान
३.	यातायात	.....	बस, रेल, विमान
४.	मनोरंजन	.....	.....
५.	लिपि	.....	.....

उपक्रम

हमारे देश की महान और उल्लेखनीय नारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करो । उसका कक्षा में पठन करो। जैसे - पी.वी.सिंधु, साक्षी मलिक

नागरिक शास्त्र

– अनुक्रमणिका –

हमारा संविधान

क्र.	पाठ का नाम	पृष्ठ क्र.
१.	संविधान से हमारा परिचय.....	६३
२.	संविधान की उद्देशिका.....	६८
३.	संविधान की विशेषताएँ.....	७२
४.	मौलिक अधिकार भाग-१	७६
५.	मौलिक अधिकार भाग-२	८०
६.	नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य ...	८३

सुझाई गई शिक्षा प्रक्रिया	अध्ययन निष्पत्ति
विद्यार्थियों को जोड़ी में/गुट में/ व्यक्तिगत रूप में अध्ययन का मौका देना और उन्हें निम्न बातों के लिए प्रेरित करना । • लोकतंत्र, समता, राज्यसरकार, लिंगभेद, विविध माध्यम और विज्ञापन आदि संकल्पनाओं की चर्चा में सहभागी होना । • संविधान का महत्त्व, प्रास्ताविक, समता का अधिकार, समता के संघर्ष आदि पर चित्र, चित्रों की कतरनों की सहायता से भित्तिपत्रिकाएँ तैयार करना । • संविधान की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त करना । • मूलभूत अधिकारों के बारे में चर्चा करना । • लोकतंत्र में समता, लड़कियों के साथ भेदाभेद पूर्ण व्यवहार, उनका संघर्ष/सामना आदि विषयों पर गीत, कविताओं के माध्यम से उनकी भूमिकाओं का प्रस्तुतीकरण करना । • मार्गदर्शक तत्त्व और मूलभूत कर्तव्य/समानता–असमानता के बारे में चर्चा करना ।	**विद्यार्थी –** • लोकतंत्र में समानता का महत्त्व समझते हैं । • राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता के बीच अंतर करते हैं । • समानता के अधिकार के संदर्भ में अपने क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों की व्याख्या करते हैं । • स्थानीय सरकार और राज्य सरकार के बीच अंतर करते हैं । • लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की विशेषताओं को स्पष्ट करते हैं । • संविधान में सूचित किए हुए अधिकारों को न्यायलय की विशेष सुरक्षा होती है, इस बात को जान लेते हैं । • कानून सबके लिए समान होता है, इस समझ लेते हैं । • मार्गदर्शक तत्त्वों को न्यायालयीन सुरक्षा नहीं होती परंतु वे शासन के लिए बंधनकारक होते हैं, समझ लेते हैं । • मूलभूत अधिकार और कर्तव्यों को उदाहरणों द्‌वारा बताते हैं । • मूलभूत अधिकार संबंधी ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग कर, किसी विशिष्ट प्रसंग पर अधिकार–भंग, अधिकार–सुरक्षा और अधिकारों की परबरिश कैसे की जाती है, इसे समझ लेते हैं ।

१. संविधान से हमारा परिचय

चलो, थोड़ा-सा दोहरा लें

इसके पूर्व की कक्षाओं में नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों में हमने नियमों की आवश्यकता के विषय में बहुत सारे बिंदुओं को समझा है । परिवार, विद्यालय, हमारा गाँव, महानगर का कार्यव्यापार सुचारु रूप से चले; इसके लिए हम संकेतों और नियमों का पालन करते हैं। परिवार के नियम नहीं होते हैं परंतु प्रत्येक परिवार के सदस्य कैसा आचरण करेंगे; इस बारे में कुछ संकेत होते हैं । विद्यालय में प्रवेश, गणवेश और अध्ययन के विषय में नियम होते हैं । विविध स्पर्धाओं के भी नियम होते हैं । हमारे गाँव और महानगरों का शासन भी नियमों के अनुसार चलता है । इसी भाँति हमारे देश का शासन भी नियमों अर्थात कानून के अनुसार चलता है । परिवार, विद्यालय, गाँव, महानगर से संबंधित नियमों का स्वरूप सीमित होता है परंतु देश के शासन से संबंधित कानून अथवा प्रावधान व्यापक होते हैं ।

समीर और वंदना के मन में जो प्रश्न उपस्थित हुए हैं; क्या तुम भी उन प्रश्नों को पूछना चाहते हो ?

- देश का शासन जिन कानूनों या प्रावधानों के अनुसार चलता है; वे नियम कहाँ होते हैं ?
- उन नियमों को कौन बनाता है ? क्या उन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है?

इन प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए पाठ्यांश में तुम्हें मिलते हैं क्या ? यह देखो ।

संविधान : अर्थ

देश का शासन चलाने से संबंधित जो कानून एवं प्रावधान एकत्रित और सूत्रबद्ध पद्धति से जिस पुस्तक में उल्लिखित रहते हैं; उसे संविधान कहते हैं । इसका अर्थ यह है कि संविधान देश के प्रशासन से संबंधित कानूनों और प्रावधानों का लिखित दस्तावेज है । जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं । संविधान के कानून के अनुसार ही प्रशासन चलाना शासन के लिए अनिवार्य होता है । संविधान में उल्लिखित प्रावधान अथवा कानून मूलभूत होते हैं। सरकार संविधान के साथ विसंगति रखनेवाले कानूनों का निर्माण नहीं कर सकती । यदि सरकार ऐसा करती है तो न्यायपालिका उन कानूनों को रद्द कर सकती है ।

संविधान में उल्लिखित कानून अथवा प्रावधान :

संविधान में उल्लिखित कानून अथवा प्रावधान विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं । जैसे- नागरिकत्व, नागरिकों के अधिकार, नागरिक और शासन संस्थाओं के बीच के संबंध, सरकार द्वारा किए जानेवाले कानूनों के विषय, चुनाव, सरकार की सीमाएँ एवं राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र आदि ।

सभी देशों ने संविधान के अनुसार शासन चलाने के सिद्धांत को स्वीकार किया है परंतु ऐसा होने पर भी प्रत्येक देश के संविधान का स्वरूप एक-दूसरे से भिन्न होता है । इतिहास, समाज संरचना, संस्कृति, परंपरा आदि बातों में अलग-अलग देशों में विभिन्नता अथवा अलगपन पाया जाता है । इसी तरह प्रत्येक राष्ट्र की आवश्यकताएँ और उद्देश्य भी एक -दूसरे-से भिन्न होते हैं । परिणामस्वरूप प्रत्येक राष्ट्र अपनी-अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्यों के अनुरूप अपना संविधान तैयार करने का प्रयास करता है।

क्या तुम जानते हो ?

अमेरिका, इंग्लैंड का शासन संविधान के अनुसार चलता है परंतु दोनों के संविधानों में अंतर है । जैसे - अमेरिका का संविधान ई.स. १७८९ में कार्यान्वित हुआ। यह संविधान लिखित स्वरूप में है तथा उसमें केवल ७ धाराओं का समावेश है । यद्यपि संविधान लागू होकर २२५ वर्षों से भी अधिक समय बीत गया है; फिर भी अमेरिका का शासन आज भी उसी संविधान के अनुसार चलाया जाता है ।

इंग्लैंड का इतिहास अनेक शताब्दियों का रहा है । इस देश में शासन से संबंधित कानून संकेतों, रूढ़ियों और परंपराओं के रूप में पाए जाते हैं । फिर भी इन कानूनों का पालन बड़ी कड़ाई से किया जाता है । ई.स.१२१५ में मैग्नाकार्ट अनुबंध संपन्न हुआ; तब से इंग्लैंड का संविधान विकसित होता गया । इसमें कुछ ही लिखित कानूनों का समावेश है फिर भी इंग्लैंड का संविधान प्रमुखतः अलिखित स्वरूप में है ।

चलो, खोजें

अपने पसंदीदा किसी एक देश के संविधान के बारे में निम्न मुद्दों के आधार पर जानकारी प्राप्त करो :-

देश का नाम, संविधान निर्माण का वर्ष, संविधान की दो विशेषताएँ ।

संविधान की आवश्यकता : संविधान में उल्लिखित कानूनों/प्रावधानों के अनुसार सरकार चलाने के अनेक लाभ हैं ।

- सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह कानून के दायरे में रहकर ही प्रशासन चलाए । फलस्वरूप सरकार को प्राप्त अधिकारों अथवा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की संभावना कम रहती है ।
- संविधान में नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता का उल्लेख रहता है । सरकार उन अधिकारों को छीनकर नहीं ले सकती । इससे नागरिकों के अधिकार एवं उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है ।
- संविधान के कानूनों/प्रावधानों के अनुसार प्रशासन चलाना ही कानून का राज्य स्थापित करने जैसा है क्योंकि इसमें सत्ता के दुरुपयोग अथवा मनमाना प्रशासन करने के लिए अवसर नहीं रहता है ।
- संविधान के अनुसार प्रशासन चलता देख सरकार के प्रति आम लोगों में विश्वास निर्माण हो जाता है । इसके द्वारा वे प्रशासन में प्रतिभागी बनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं । आम लोगों की बढ़ती प्रतिभागिता के कारण लोकतंत्र अधिक दृढ़ बनता है।
- संविधान अपने-अपने देश के सम्मुख राजनीतिक आदर्श उपस्थित करता है । संविधान के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ना संबंधित देश पर बंधनकारक होता है । इसके द्वारा विश्व शांति और सुरक्षा तथा मानवीय अधिकारों के संवर्धन हेतु पोषक वातावरण का निर्माण होता है ।
- संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों का भी उल्लेख रहता है । फलस्वरूप नागरिकों के उत्तरदायित्व भी निश्चित हो जाते हैं ।

प्रशासन किसे कहते हैं ?

किसी भी राष्ट्र के प्रशासन में किन बातों का समावेश रहता है ?

देश की सीमाओं की तथा विदेशी आक्रमण से जनता की रक्षा करने से लेकर दरिद्रता उन्मूलन, रोजगार निर्माण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा, उद्योग-व्यवसायों को प्रोत्साहन देना, दुर्बल वर्गों का संरक्षण, महिला, शिशु और आदिवासियों की उन्नति हेतु उपाय योजना करना जैसे अनगिनत विषयों पर सरकार (शासन) को कानून बनाने पड़ते हैं । कानून के कार्यान्वयन द्वारा समाज में आवश्यक परिवर्तन लाने पड़ते हैं । संक्षेप में कहना हो तो आधुनिक समय में सरकार को अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर सार्वजनिक स्वच्छता तक के सभी विषयों में निर्णय करने पड़ते हैं । इसी को प्रशासन कहा जाता है ।

संविधान का अर्थ और उसकी आवश्यकता को समझ लेने पर अब हम भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ; यह देखेंगे ।

संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि : भारत के संविधान निर्माण का प्रारंभ ई.स.१९४६ से ही हुआ । स्वतंत्र भारत का प्रशासन अंग्रेजों के कानून के अनुसार नहीं चलेगा अपितु भारतीयों द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार चलेगा, इस बात के प्रति स्वतंत्रता आंदोलन के नेता आग्रही थे । फलतः

भारत का संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया । उस समिति को 'संविधान सभा' कहा जाता है ।

संविधान सभा : हमारा देश १५ अगस्त १९४७ को स्वतंत्र हुआ । इसके पूर्व भारत पर अंग्रेजों का शासन था । अंग्रेज सरकार ने राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से मुंबई प्रांत, बंगाल प्रांत और मद्रास प्रांत जैसे विभाग गठित किए थे । इन प्रांतों का प्रशासन वहाँ के जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता था । इसी भाँति देश के कुछ हिस्सों का प्रशासन वहाँ के स्थानीय नरेश चलाते थे । इन क्षेत्रों को रियासतें कहते थे और उन रियासतों के प्रमुख को रियासतदार कहते थे । संविधान सभा में प्रांतों और रियासतों के प्रतिनिधियों का समावेश था ।

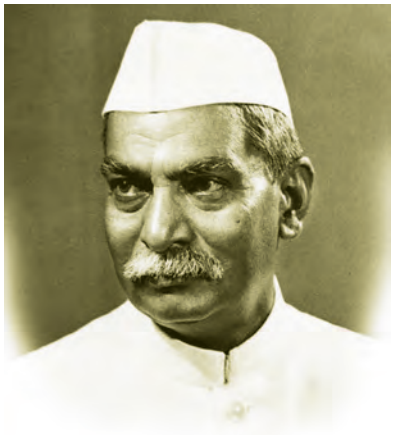
डॉ.राजेंद्रप्रसाद

संविधान सभा में कुल २९९ सदस्य थे । डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे ।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का योगदान :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रारूप (मसौदा) समिति के अध्यक्ष थे । उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया था । उन्होंने रात-दिन अध्ययन एवं चिंतन कर संविधान का प्रारूप तैयार किया।

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान का प्रारूप संविधान सभा के सम्मुख रखा गया। संविधान की एक-एक धारा पर विचार विमर्श हुआ । कई संशोधन एवं सुधार सुझाए गए। संविधान सभा के समक्ष संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करने, प्रारूप से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने तथा संविधान सभा के अभिप्रायों के अनुसार मूल प्रारूप में परिवर्तन करने, प्रत्येक कानून और प्रावधान को त्रुटिरहित बनाने का कार्य डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने किया । भारत के संविधान निर्माण में उनके द्वारा दिए गए इस योगदान के कारण उन्हें 'भारतीय संविधान का शिल्पकार' कहते हैं ।

संपूर्ण संविधान लिखकर पूर्ण होने पर संविधान सभा ने उसे मान्यता प्रदान की और २६ नवंबर १९४९ को उसको स्वीकार किया । अतः २६ नवंबर का दिन 'संविधान दिवस' के रूप में मनाया जाता है । संविधान के कानूनों एवं प्रावधानों के अनुसार

यह बात कितनी गौरवपूर्ण है !

- संविधान सभा में सभी निर्णय चर्चा और विचार-विमर्श के आधार पर लिए गए । विरोधी मतों के प्रति आदर और उनके उचित अभिप्रायों को स्वीकार किया जाना संविधान सभा के कामकाज की विशेषता थी ।
- संविधान लिखकर पूर्ण होने में २ वर्ष, ११ महीने और १७ दिन का समय लगा ।
- मूल संविधान में २२ अनुभागों, ३९५ धाराओं और ८ परिशिष्टों का समावेश था ।

क्या तुम जानते हो ?

संविधान सभा में डॉ.राजेंद्रप्रसाद, पं.जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, जे.बी. कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता जैसे अनेक मान्यवर सदस्य थे । कानून विशेषज्ञ बी. एन. राव की संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई थी।

देश का शासन २६ जनवरी १९५० से चलना प्रारंभ हुआ । इस दिन से भारत का गणतांत्रिक राज्य अस्तित्व में आया । अतः हम २६ जनवरी का दिन 'गणतंत्र दिवस' के रूप में मनाते हैं ।

पं.जवाहरलाल नेहरू

सरदार वल्लभभाई पटेल

मौलाना आजाद

सरोजिनी नायडू

करके देखो

तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी कक्षा का प्रशासन नियमों के अनुसार चलना चाहिए । उन नियमों में तुम किन नियमों का समावेश करोगे ? तो फिर चलो... कक्षा के लिए नियमावली बनाओ ।

क्या तुम जानते हो ?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का योगदान जलप्रबंधन, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, पत्रकारिता, अर्थनीति, सामाजिक न्याय जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रहा ।

भारतीय संविधान का प्रारूप डॉ. राजेंद्र प्रसाद को सौंपते हुए डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

स्वाध्याय

१. निम्न अवधारणा को स्पष्ट करो :

(१) संविधान में उल्लिखित कानून/प्रावधान

(२) संविधान दिवस

२. चर्चा करो :

(१) संविधान समिति का गठन किया गया ।

(२) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहते हैं ।

(३) देश के प्रशासन में समाविष्ट बातें ।

३. उचित विकल्प चुनो :

(१) किस देश का संविधान पूर्णतः लिखित स्वरूप में नहीं है ?

(अ) अमेरिका (ब) भारत

(क) इंग्लैंड (ड) इनमें से कोई नहीं ।

(२) संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ?

(अ) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

(ब) डॉ. राजेंद्रप्रसाद

(क) दुर्गाबाई देशमुख

(ड) बी.एन.राव

(३) निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे ?

(अ) महात्मा गांधी

(ब) मौलाना आजाद

(क) राजकुमारी अमृत कौर

(ड) हंसाबेन मेहता

(४) प्रारूप (मसौदा) समिति के अध्यक्ष कौन थे ?

(अ) डॉ. राजेंद्र प्रसाद

(ब) सरदार वल्लभभाई पटेल

(क) डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर

(ड) जे.बी.कृपलानी

४. अपने विचार लिखो :

(१) सरकार को किन-किन विषयों से संबंधित कानून बनाने पड़ते हैं ?

(२) २६ जनवरी का दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं ?

(३) संविधान में उल्लिखित कानूनों/प्रावधानों के अनुसार शासन चलाने के लाभ ।

उपक्रम

(१) संविधान सभा में विभिन्न समितियों का गठन हुआ। उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करो और समितियों के शीर्षकों की सारिणी बनाओ । शीर्षकों सहित चित्रों का संग्रह करो ।

(२) विद्यालय में 'संविधान दिवस' किस प्रकार मनाया गया । इसका प्रतिवेदन तैयार करो ।

(३) संविधान सभा में समाविष्ट सदस्यों के चित्रों का संग्रह बनाओ ।

२. संविधान की उद्देशिका

पिछले पाठ में हमने क्या सीखा !

- संविधान कानूनों का एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है; जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है ।
- भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया ।
- हमारे जनप्रतिनिधियों को संविधान के कानूनों के अनुसार ही देश का कार्य चलाना पड़ता है ।

संविधान हमारे देश का मौलिक और श्रेष्ठतम कानून है । किसी भी कानून को बनाने के पीछे कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं । ये उद्देश्य निर्धारित किए जाने के बाद विस्तार में कानून के अन्य कानून अथवा प्रावधान बनाए जाते हैं । उन कानूनों की एकत्रित रूप में संक्षिप्त और सुसूत्रता के साथ की गई संरचना को उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका हमारे संविधान के उद्देश्यों का परिचय कराती है ।

करके देखो

संविधान की उद्देशिका पढ़ो । उसमें आए हुए शब्दों की सूची बनाओ । ये शब्द तुम अन्यत्र कहाँ पढ़ते हो ?

हम सभी भारत के नागरिक हैं । हम सभी को एक देश के रूप में क्या प्राप्त करना है; इसे उद्देशिका स्पष्ट करती है । इसमें उल्लिखित मूल्य, विचार, लक्ष्य और उद्देश्य उदात्त हैं। उन्हें कैसे प्राप्त करना है; इससे संबंधित कानून संपूर्ण संविधान द्वारा स्पष्ट किए गए हैं।

संविधान की उद्देशिका का प्रारंभ 'हम भारत के लोग' शब्दों से होता है । इसमें भारतीयों के उस दृढ़ संकल्प का उल्लेख है; जिसके अनुसार सभी भारतीय भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कटिबद्ध हैं । इस संकल्पना की प्रत्येक अवधारणा का अर्थ हम समझेंगे।

(१) प्रभुत्व संपन्न राज्य : भारत पर दीर्घकाल तक अंग्रेजों का शासन रहा । यह शासन १५ अगस्त १९४७ को समाप्त हुआ । हमारा देश स्वतंत्र हुआ। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हुआ । हम अपने देश के विषय में उचित नीतियाँ बनाने और निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं । संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ किसी देश का किसी विदेशी नियंत्रण में न होना है।

हमारे समग्र स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रमुख उद्देश्य प्रभुत्व संपन्न बनना था । प्रभुत्व संपन्न बनने का अर्थ सरकार चलाने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होना है । लोकतंत्र में प्रभुत्व संपन्नता जनता के अधिकार में होती है। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है तथा उन प्रतिनिधियों को उनकी संप्रभुता के अधिकारों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करती है । हम अपने देश के अंतर्गत कौन-से कानून बनाएँ; यह निश्चित करने का अधिकार जनता और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को प्राप्त है ।

(२) समाजवादी राज्य : समाजवादी राज्य उसे कहते हैं; जिस राज्य में निर्धन और धनवानों के बीच खाई नहीं होती है । देश की संपत्ति पर सभी का अधिकार होता है । कुछ ही लोगों के हाथ में संपत्ति का एकत्रीकरण नहीं होगा; इसकी सावधानी बरती जाती है ।

(३) पंथ निरपेक्ष राज्य : उद्देशिका में पंथ निरपेक्षता को हमारा उद्देश्य बताया गया है । पंथ निरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है ।

किसी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में

स्वीकार नहीं किया जाता । नागरिकों को अपने-अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता रहती है । धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता ।

क्या तुम जानते हो ?

पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाकर हमने समाज की बहुधार्मिकता को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है । हमें संविधान द्वारा अनेक अधिकार प्राप्त हुए हैं परंतु उनका हम मनमाना अथवा असीमित उपयोग नहीं कर सकते । यह बात धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में भी लागू होती है । जब हम त्योहार-पर्व मनाते हैं तब हमें सार्वजनिक स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण का विचार करना भी आवश्यक होता है।

(४) लोकतांत्रिक राज्य : लोकतंत्र में प्रशासन की सत्ता लोगों के हाथों में होती है । उनकी इच्छा के अनुसार सरकार निर्णय लेती है और नीतियाँ निर्धारित करती है । सभी का कल्याण साध्य करने हेतु सरकार को महत्त्वपूर्ण आर्थिक-सामाजिक निर्णय लेने पड़ते हैं। इस प्रकार के निर्णय प्रतिदिन सभी लोगों को इकट्ठे आकर लेना संभव नहीं होता है । अतः निश्चित अवधि के पश्चात चुनाव होते हैं । इन चुनावों में मतदाता अपना वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान द्वारा निर्मित संसद, कार्यपालिका में प्रवेश करते हैं। संविधान में उल्लिखित प्रक्रिया द्वारा संपूर्ण जनता के लिए निर्णय लिए जाते हैं ।

(५) गणराज्य : हमारे देश में लोकतंत्र के साथ-साथ गणतांत्रिक प्रणाली प्रचलित है । गणराज्य में सभी सार्वजनिक पद लोगों द्वारा चुने जाते हैं । कोई भी सार्वजनिक पद वंश-परंपरा अथवा विरासत में प्राप्त नहीं होता है ।

चर्चा करो

'मेरा परिवार' विषय पर दीपा ने क्या लिखा है ? वह पढ़ो ।

लोकतंत्र से तात्पर्य केवल चुनाव नहीं है । मेरे माता जी-पिता जी घर के सभी काम इकट्ठे करते हैं । उन कामों में हम भी हाथ बँटाते हैं। एक-दूसरे से बोलते समय हम संभवतः झगड़ा न करते हुए बोलते हैं । यदि झगड़ा होता भी है; तब भी शीघ्र ही उसे सुलझाकर एक-दूसरे का कहना सुन लेते हैं । यदि दादा जी-दादी जी कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उनसे भी पूछा जाता है । अनुजा को कृषि अध्ययन में अनुसंधान करना है । उसका यह निर्णय सभी को पसंद आया ।

दीपा के घर में लोकतांत्रिक पद्धति प्रचलित है; ऐसा तुम्हें लगता है क्या? इस परिच्छेद में लोकतंत्र की कौन-सी विशेषताएँ पाई जाती हैं ?

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महापौर (मेयर), सरपंच जैसे पद सार्वजनिक पद हैं । इन पदों पर विशिष्ट आयु की शर्त पूर्ण करने वाला कोई भी भारतीय नागरिक चुनाव लड़कर पहुँच सकता है । राज्यसत्ता प्रणाली में ये पद वंश परंपरा अथवा विरासत में एक ही परिवार के व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं ।

उद्देशिका द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को तीन मूल्यों - न्याय, स्वतंत्रता और समता को और उनके अनुसार आचरण करने का, कानून बनाकर उन मूल्यों को प्रत्यक्ष व्यवहार में उतारने का आश्वासन दिया गया है । इन मूल्यों के अर्थ हम समझेंगे ।

(१) न्याय : न्याय का अर्थ होने वाले अन्याय को दूर कर सभी को उनकी प्रगति हेतु अवसर प्राप्त कराना है । सभी का कल्याण होगा; इस दृष्टि से उपायों की योजना करना ही न्याय को प्रस्थापित करना है । उद्देशिका में न्याय के तीन भेद बताए गए हैं। वे इस प्रकार हैं -

(अ) सामाजिक न्याय : व्यक्ति-व्यक्ति में

जाति, धर्म, वंश, भाषा, प्रदेश, जन्मस्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता । सभी मनुष्य एक समान हैं ।

(ब) आर्थिक न्याय : भूख, भुखमरी, कुपोषण जैसी बातें निर्धनता अथवा दरिद्रता के कारण जन्म लेती हैं । निर्धनता को दूर करने के लिए प्रत्येक को अपना और अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए आजीविका का कोई साधन प्राप्त करने का अधिकार है । हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया है ।

(क) राजनीतिक न्याय : देश का शासन चलाने में सभी को प्रतिभागी बनने का अधिकार मिलना चाहिए। परिणामतः हमने वयस्क मतदान प्रणाली को अंगीकार किया है । इसके अनुसार १८ वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है।

(२) स्वतंत्रता : हम पर अन्यायकारी और अनुचित प्रतिबंध न होना तथा हमारी क्षमताओं का विकास होने हेतु पोषक वातावरण का होना; स्वतंत्रता की व्याख्या है । लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त रहती है । स्वतंत्रता के होने से ही लोकतंत्र दृढ़ और परिपक्व बनता है ।

विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता है । प्रत्येक नागरिक अपनी राय और अपने विचार व्यक्त कर सकता है । विचारों के आदान-प्रदान द्‌वारा पारस्परिक सहयोग और एकता की भावना में वृद्‌धि होती है । साथ ही किसी समस्या के अनेक पहलू हमारे ध्यान में आते हैं ।

व्यक्ति की श्रद्‌धा, मान्यता और पूजा-उपासना की स्वतंत्रता द्‌वारा प्रमुखतः धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्त होती है । प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म अथवा उसे पसंद आने वाले धर्म की सीख के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है । इस स्वतंत्रता में हमें अपने पर्व-त्योहार मनाने, ईश्वर की भक्ति करने और पूजा-अर्चना की स्वतंत्रता निहित है ।

चर्चा करो

स्वतंत्रता से संबंधित कुछ विधान नीचे दिए गए हैं । उनपर चर्चा करो ।

- सार्वजनिक रूप में पर्व-त्योहार मनाते समय कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है । इससे हमारी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का बंधन नहीं आता ।
- स्वतंत्रता का अर्थ मनमाना आचरण करना नहीं है अपितु उत्तरदायित्व के साथ आचरण करना है ।

(३) समता : उद्‌देशिका द्‌वारा भारतीय नागरिकों को दर्जा और अवसर की समानता से आश्वस्त कराया गया है ।

इस सिद्‌धांत के अनुसार सभी समान हैं और जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर व्यक्ति-व्यक्ति के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता । ऊँच-नीच, श्रेष्ठ-अश्रेष्ठ जैसा भेदभाव न करना ही समता का आश्वासन देना है । उद्‌देशिका में उल्लिखित अवसर की समानता के सिद्‌धांत को अत्यंत महत्त्व प्राप्त है । अपनी उन्नति के अवसर सभी को प्राप्त होंगे । वे उपलब्ध करवाते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा ।

संविधान की उद्‌देशिका में एक अनूठे आदर्श अथवा सिद्‌धांत का उल्लेख मिलता है । वह आदर्श अथवा सिद्‌धांत से तात्पर्य बंधुता का निर्माण करने का उद्‌देश्य और व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने का आश्वासन है ।

(४) बंधुता : संविधानकर्ता अनुभव करते थे कि केवल न्याय, स्वतंत्रता और समता सिद्‌धांतों से आश्वस्त कराकर भारतीय समाज में समता उत्पन्न नहीं हो सकती । इसके लिए चाहे जितने कानून बनाए जाएँ लेकिन जब तक भारतीयों में भाईचारा अथवा बंधुता का निर्माण नहीं होगा तब तक इन

कानूनों का उचित उपयोग नहीं होगा । फलस्वरूप बंधुता निर्माण करने के उद्देश्य को उद्देशिका में समाविष्ट किया गया है।

हमारे देश के सभी नागरिकों के प्रति एक-दूसरे में आत्मीयता और अपनापन का भाव होना ही बंधुता है। बंधुता की भावना एक-दूसरे के प्रति सहृदयता का भाव उत्पन्न करती है । लोग एक-दूसरे की समस्याओं के बारे में संवेदनापूर्वक विचार करते हैं ।

बंधुभाव और व्यक्ति की गरिमा के बीच निकट का संबंध है । व्यक्ति की गरिमा से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य के रूप में गरिमा प्राप्त है । उसकी गरिमा उसकी जाति, धर्म, वंश, लिंग, भाषा पर निश्चित नहीं होती । जिस प्रकार हमें यह लगता है कि दूसरे हमारे साथ आदर-सम्मान का व्यवहार करें; वैसा आदर-सम्मान का व्यवहार हमें दूसरों के प्रति भी करना चाहिए।

जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करते हुए उसकी स्वतंत्रता और अधिकार का आदर करेगा; तभी अपने-आप व्यक्ति की गरिमा का निर्माण होगा । ऐसे वातावरण में बंधुता भाव में सहजता से वृद्धि होगी । न्याय और समता पर आधारित नव समाज का निर्माण कार्य भी अधिक आसान होगा । इसका मार्गदर्शन भारतीय संविधान की उद्देशिका द्वारा प्राप्त होता है ।

भारत की जनता ने इस संविधान को स्वयं को अर्पित किया है; इस उल्लेख के साथ उद्देशिका की समाप्ति होती है ।

स्वाध्याय

१. ढूँढ़ो और लिखो :

स	पं	थ	नि	र	पे	क्ष
मा	स	म	ता	ना	भा	लो
ज	बं	धु	ता	व	क	क्ष
वा	भा	व	धु	तं	न्या	नि
द	मा	लो	त्र	त्र	ए	य

(१) देश के सभी नागरिकों और एक-दूसरे के प्रति आत्मीयता की भावना होना ।
(२) प्रशासन लोगों के हाथ में होना ।
(३) सभी धर्मों को समान मानना ।

२. लेखन करो :

(१) पंथ निरपेक्ष राज्य में कौन-से कानून होते हैं ?
(२) वयस्क मतदान प्रणाली किसे कहते हैं ?
(३) आर्थिक न्याय द्वारा नागरिकों को कौन-से अधिकार प्राप्त होते हैं ?
(४) समाज में व्यक्ति की गरिमा किस प्रकार निर्माण हो सकती है ?

३. हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है । हमें उसका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए; तुम अपना मत/विचार लिखो/बताओ ।

४. अवधारणाएँ स्पष्ट करो :

(१) समाजवादी राज्य -
(२) समता -
(३) संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य -
(४) अवसर की समानता -

५. भारतीय संविधान की उद्देशिका में किन-किन महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है ?

उपक्रम

(१) शिक्षकों की सहायता से मतपत्र और मतदान यंत्र (EVM) को समझ लेने के लिए तहसील कार्यालय जाओ ।
(२) अपने परिसर में उपलब्ध होने वाले समाचारपत्रों के नामों की सूची बनाओ ।

३. संविधान की विशेषताएँ

पिछले दो पाठों में हमने भारतीय संविधान का निर्माण और संविधान की उद्देशिका का अध्ययन किया । प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य जैसी अवधारणाओं को समझा। उद्देशिका में उल्लिखित ये उद्देश्य हमारे संविधान की विशेषताएँ भी हैं । इसके अतिरिक्त संविधान की अन्य दूसरी कौन-सी विशेषताएँ हैं; इसे हम इस पाठ में देखेंगे ।

संघराज्य : संघीय राज्यव्यवस्था हमारे संविधान की महत्त्वपूर्ण विशेषता है । भूप्रदेश विशाल हो और जनसंख्या अधिक हो तो ऐसे देशों में शासन चलाने की एक प्रचलित प्रणाली है । उसे संघराज्य प्रणाली कहते हैं। विशाल और व्यापक भूप्रदेश होने पर एक ही स्थान से प्रशासन चलाना कठिन होता है । सुदूर प्रदेश दुर्लक्षित हो जाते हैं। वहाँ के लोगों को प्रशासन में प्रतिभागी बनने का अवसर नहीं मिलता । अतः संघराज्य में दो स्तरों पर शासन संस्थाएँ होती हैं । संपूर्ण देश की सुरक्षा, विदेश नीति, शांति आदि कार्य केंद्र सरकार के दायित्व होते हैं । इसे 'केंद्र सरकार' अथवा 'संघ शासन' भी कहते हैं । केंद्र सरकार संपूर्ण देश का प्रशासन चलाती है ।

जिस प्रदेश में हम रहते हैं; उस प्रदेश का प्रशासन चलाने वाले शासन को 'राज्य सरकार' (राज्य शासन) कहते हैं । राज्य सरकार किसी सीमित प्रदेश का प्रशासन चलाती है । जैसे-महाराष्ट्र राज्य सरकार । दो स्तरों पर विभिन्न विषयों पर कानून बनाकर पारस्परिक सहयोग द्वारा शासन चलाने की इस प्रणाली को 'संघराज्य' कहते हैं ।

अधिकारों का विभाजन : संविधान ने संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच अधिकारों का विभाजन किया है । उसके अनुसार किस विषय के अधिकार किसके पास हैं; यह देखेंगे । हमारे संविधान ने तीन सूचियाँ बनाई है और उनमें विभिन्न विषयों का उल्लेख किया है ।

प्रथम सूची को 'संघ सूची' कहते हैं । इस सूची में ९७ विषय हैं तथा इन विषयों पर संघ सरकार कानून बनाती है । राज्य सरकार की 'राज्य सूची' है । इस सूची में ६६ विषय हैं । इन विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है । इन दोनों सूचियों के अतिरिक्त एक और सूची होती है । इस सूची को 'समवर्ती सूची' कहते हैं । इसमें ४७ विषय हैं। इन विषयों पर संघ और राज्य सरकार कानून बना सकती हैं । इन सूचियों में समाविष्ट विषयों को छोड़कर कोई विषय नए-से निर्माण होता है तो उसपर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को होता है । इस अधिकार को 'अवशिष्ट शक्तियाँ' कहते हैं ।

क्या तुम जानते हो ?

भारतीय संघराज्य में अधिकारों का विभाजन वैशिष्टपूर्ण है । इस प्रकार के विभाजन से संघ सरकार और राज्य सरकार को एक-दूसरे के साथ सहयोग करते हुए देश का विकास साधना संभव होता है । इस प्रणाली में देश के शासन में नागरिकों की सहभागिता को प्रोत्साहन मिलता है ।

कौन-से विषय किसके पास हैं ?

(१) संघ सरकार के अधीन विषय : रक्षा, विदेश नीति, युद्ध एवं शांति, मुद्रा व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि ।

(२) राज्य सरकार के अधीन विषय : कृषि, कानून एवं व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य, कारागार प्रशासन आदि ।

(३) दोनों सरकारों के संयुक्त अधीन में विषय : रोजगार, पर्यावरण, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, व्यक्तिगत कानून, शिक्षा आदि ।

संघ शासित प्रदेश : भारत में एक संघ सरकार, २८ राज्य सरकारें और ९ संघशासित प्रदेश हैं ।

संघशासित प्रदेशों पर संघ सरकार का नियंत्रण रहता है । नई दिल्ली, दमण-दीव, पुदुच्चेरी, चंडीगढ़, दादरा-नगर हवेली, अंदमान-निकोबार, लक्ष द्वीप, जम्मू और काश्मीर, लद्दाख संघशासित प्रदेश हैं ।

करके देखो

पूर्वोत्तर राज्यों की सूची बनाओ । वहाँ के राज्यों की राजधानी के शहर कौन-से हैं ?

संसदीय शासन प्रणाली : भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली को लेकर प्रावधान निश्चित किए हैं । संसदीय शासन प्रणाली में संसद अर्थात विधायिका को निर्णय लेने के सर्वोच्च अधिकार होते हैं । भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा का समावेश रहता है । प्रत्यक्ष शासन चलाने वाले मंत्रिमंडल का निर्माण लोकसभा द्वारा किया जाता है और वह अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है । संसदीय शासन प्रणाली में संसद में होनेवाली चर्चाएँ, विचार विमर्शों को महत्त्व प्राप्त रहता है ।

स्वतंत्र न्यायपालिका : भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका का निर्माण किया गया है । जब विवादित मुद्दों का एक-दूसरे के बीच हल निकाला नहीं जा सकता; ऐसी स्थिति में वे न्यायालय में जाते हैं । न्यायालय दोनों पक्षों की जिरह सुनकर जिसके साथ अन्याय हुआ है; उसे दूर

क्या तुम जानते हो ?

प्रचलित नोट

तुमने प्रचलित नोट देखे हैं? उनपर 'केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत' अंकित रहता है।

पुलिसकर्मी के कंधे पर लगे बिल्ले को तुमने देखा होगा । उसपर 'महाराष्ट्र पुलिस' लिखा होता है ।

तुमने 'भारतीय रेल' और 'महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल' पढ़ा होगा ।

इसका अर्थ यह होता है कि हमारे देश में दो स्तरों पर सरकारें हैं । एक भारत सरकार और दूसरी राज्य सरकार जैसे-महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार आदि ।

महाराष्ट्र पुलिस-बोध चिह्न

भारतीय रेल-बोध चिह्न

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल-बोध चिह्न

कर न्याय करता है । यह कार्य निष्पक्षता के साथ होना आवश्यक होता है ।

न्यायालय को किसी भी प्रकार के दबाव में आकर अपना कार्य न करना पड़े; इसलिए न्यायपालिका को अधिकाधिक स्वतंत्र रखने की दृष्टि से संविधान द्वारा अनेक प्रावधान किए गए हैं । जैसे–न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ सरकार द्वारा न होकर राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं । न्यायाधीशों को सरलता से उनके पदों से हटाया नहीं जा सकता।

इकहरा नागरिकत्व : भारतीय संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को एक ही नागरिकत्व प्रदान किया गया है । वह है–'भारतीय' नागरिकत्व ।

संविधान में संशोधन करने की पद्धति : संविधान में उल्लिखित प्रावधानों में परिस्थिति के अनुसार संशोधन अथवा परिवर्तन करना पड़ता है परंतु संविधान में बार-बार संशोधन अथवा परिवर्तन करने से अस्थिरता अथवा अराजकता निर्माण हो सकती है । अत : किसी भी प्रकार का संशोधन करते समय उसपर समग्र विचार किया जाना चाहिए । इसके लिए भारतीय संविधान में ही संविधान संशोधन की संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट की गई है । संविधान में किसी भी प्रकार का किया जानेवाला संशोधन इसी

प्रक्रिया द्वारा करना आवश्यक होता है । संविधान में संशोधन करने की यह प्रक्रिया बड़ी वैशिष्ट्पूर्ण है। यह प्रक्रिया बहुत जटिल भी नहीं है और बहुत सरल भी नहीं है । किए जानेवाले महत्त्वपूर्ण संशोधन पर विचार-विनिमय करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया है तो सामान्य संशोधन बड़ी सहजता-सरलता से किया जाएगा; इतना लचीलापन भी इस प्रक्रिया में है।

ढूँढ़ो

अब तक भारतीय संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया है ?

निर्वाचन आयोग : निर्वाचन आयोग के बारे में तुम समाचारपत्र में हमेशा पढ़ते होगे । हमारे देश ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया है। फलस्वरूप निश्चित अवधि के बाद जनता को अपने प्रतिनिधि पुनः नए-से चुनकर देने होते हैं । इसके लिए चुनाव करवाने पड़ते हैं । ये चुनाव खुले और निष्पक्ष वातावरण में होना आवश्यक होता है । तभी नागरिक बिना किसी भी दबाव के योग्य और सही प्रत्याशी को चुनकर भेज सकते हैं । यदि सरकार

बताओ तो

वर्तमान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कौन हैं ?
चुनावी आचार संहिता किसे कहते हैं ?
निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं ?

चुनाव का आयोजन करती है तो खुले और निष्पक्ष वातावरण में चुनाव होंगे ही; ऐसा विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता । इसलिए हमारे संविधान ने चुनाव संपन्न कराने का दायित्व एक स्वतंत्र संस्थान को सौंपा है । वह संस्थान अर्थात 'निर्वाचन आयोग' है । भारत में सभी महत्त्वपूर्ण चुनाव संपन्न कराने का दायित्व निर्वाचन आयोग पर है ।

भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएँ हैं । इस पाठ में हमने उनमें से कतिपय महत्त्वपूर्ण विशेषताओं का ही अध्ययन किया है । मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तृत प्रावधानों का होना हमारे संविधान की और एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। उसका अध्ययन हम अगले पाठ में करेंगे ।

स्वाध्याय

१. संघराज्य शासन प्रणाली के अनुसार अधिकारों का विभाजन किस प्रकार किया गया है; इसकी सूची निम्न तालिका में बनाओ ।

संघ सरकार	राज्य सरकार	वे विषय जो दोनों सरकारों के पास हैं।
(१)	(१)	(१)
(२)	(२)	(२)
(३)	(३)	(३)

२. उचित शब्द लिखो :

(१) संपूर्ण देश का शासन चलाने वाली व्यवस्था-
(२) वह व्यवस्था जो चुनाव संपन्न कराती है-
(३) दोनों सूचियों को छोड़कर शेष सूची-

३. लेखन करो :

(१) संघ राज्य में दो स्तरों पर शासन संस्थाएँ होती हैं ।
(२) अवशिष्ट शक्तियाँ किसे कहते हैं ?
(३) संविधान द्वारा न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है ।

४. 'स्वतंत्र न्यायपालिका के लाभ और हानि' इस विषय पर कक्षा में सामूहिक विचार-विमर्श का आयोजन करो।

५. इलेक्ट्रोनिक मतदान यंत्र (EVM) का उपयोग करने से कौन-से लाभ प्राप्त होते हैं; इसकी जानकारी प्राप्त करो ।

उपक्रम

कक्षा में निर्वाचन आयोग का गठन करो । उस निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में कक्षा के चुनाव संपन्न कराओ ।

४. मौलिक अधिकार भाग-१

चलो, ढूँढ़ें

- तुम्हें बालकों के अधिकार मालूम होगे । क्या उनमें से तुम दो महत्वपूर्ण अधिकार बता सकोगे ?
- महिलाओं के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार जैसी अवधारणाएँ तुम्हें मालूम ही हैं । इन अधिकारों के संबंध में हम सभी के सम्मुख कुछ प्रश्न उपस्थित हो गए हैं ।
- अधिकारों का उपयोग क्या होता है ? वे अधिकार हमें कौन प्रदान करता है ?
- क्या अधिकारों से हमें वंचित किया जा सकता है ?
- यदि ऐसा होता है तो इसके विरुद्ध कहाँ न्याय माँगा जा सकता है ?

ऊपर बताई गईं जैसी दफ्तियाँ अथवा तख्तियाँ तुमने समाचारपत्र या फिर अन्य दूसरे स्थानों पर देखी होगी । किसी जुलूस अथवा रैली में किसी बात की माँग की जाती है और वह उनका अधिकार बताया जाता है ।

हमें जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं । प्रत्येक जन्मजात बालक को जीने का अधिकार प्राप्त रहता है । उसे उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त हो; इसके लिए संपूर्ण समाज और सरकार प्रयास करते हैं । यदि सभी लोगों को अन्याय, शोषण, भेदभाव, वंचितता से संरक्षण प्राप्त हुआ; तभी प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में छिपे गुणों और कौशलों का विकास कर सकेगा । स्वयं के और संपूर्ण लोकसमूह के विकास के लिए पोषक तथा अनुकूल परिस्थिति उपलब्ध कराने की माँग करना, उसके प्रति आग्रह करना ही अधिकारों की माँग करना है ।

ऐसा पोषक वातावरण निर्माण करने के लिए संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं । वे मौलिक अधिकार हैं । वे अधिकार संविधान में उल्लिखित हैं । अतः उन्हें कानून का दर्जा प्राप्त है । इन अधिकारों का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है ।

कल्पना करो और लिखो

कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी जैसे पशुओं को तुम पालते होगे । तुम उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हो । उनसे बहुत स्नेह करते हो।

यदि ये पशु बोल पाते तो उन्होंने तुमसे कौन-से अधिकार माँगे होते ?

संविधान में उल्लिखित हमारे अधिकार : संविधान में भारतीय नागरिकों के अधिकारों का उल्लेख मिलता है । देखेंगे कि वे अधिकार कौन-से हैं ।

समता का अधिकार : समता का अधिकार के अनुसार देश भारतीय नागरिकों में ऊँच-नीच, छोटा-बड़ा, स्त्री-पुरुष जैसा भेदभाव करके किसी के भी साथ अलग आचरण नहीं कर सकता । कानून सभी के लिए एक समान है । कई कानून ऐसे होते हैं; जो हमें संरक्षण प्रदान करते हैं । जैसे- बिना पूछ-ताछ किए गिरफ्तार करने जैसी कृति से हमें संरक्षण प्राप्त है । इस प्रकार का संरक्षण प्रदान करते समय भी सरकार भेदभाव नहीं कर सकती ।

चलो, चर्चा करें

सभी को कानून के समक्ष समान मानने और सभी को कानून का समान संरक्षण देने के क्या लाभ हैं ?

समता का अधिकार के अंतर्गत किन बातों का समावेश होता है ? सरकारी नौकरी में रखते समय सरकार जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती । हमारे देश में छुआछूत का पालन करने वाली अमानवीय प्रथा को कानून द्वारा समाप्त किया गया है । छुआछूत को मानना और उसका पालन करना संज्ञेय अपराध माना गया है।

भारतीय समाज में समता निर्माण करने हेतु इस प्रथा का उन्मूलन किया गया है । जिन उपाधियों और पदवियों द्वारा लोगों में ऊँच-नीच अथवा छोटा-बड़ा का भेद दर्शाया जाता है; ऐसी उपाधियों और पदवियों पर संविधान द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है । जैसे राजा, महाराजा, रायबहादुर आदि ।

क्या तुम जानते हो ?

वे उपाधियाँ और पदवियाँ देश नहीं दे सकता जो विषमता को बढ़ाती हैं; समाज में फूट पैदा करती हैं और नागरिकों में भेद उत्पन्न करती हैं परंतु समाज के विभिन्न क्षेत्रों में गौरवपूर्ण कार्य करनेवाले महानुभावों को सरकार पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मविभूषण जैसी उपाधियाँ प्रदान करती है ।

भारतरत्न उपाधि हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ।

सेना में वीरता प्रदर्शित करने वाले कार्यों के लिए परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र जैसे सम्मान पदक दिए जाते हैं ।

इन पदकों से सम्मानित किए जाने पर उन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार के विशिष्ट अधिकार अथवा विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । ऐसे पदक प्रदान कर उनके विशिष्ट पराक्रम को गौरवान्वित किया जाता है ।

स्वतंत्रता का अधिकार : संविधान द्वारा प्रदत्त यह एक महत्त्वपूर्ण अधिकार है । इस अधिकार द्वारा व्यक्ति/नागरिक की दृष्टि से आवश्यक सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है ।

नागरिक के रूप में हमें-

- भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है।
- बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्रित होकर जनसभा का आयोजन कर सकता है ।
- कोई संस्था अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है ।
- भारत के किसी भी प्रदेश में भ्रमण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है ।
- भारत के किसी भी भाग में रहने/बसने की स्वतंत्रता प्राप्त है ।
- अपनी पसंद का व्यापार अथवा उद्योग करने की स्वतंत्रता प्राप्त है ।

करके देखो

यहाँ 'अ' 'ब' और 'क' द्वारा की गई कृतियाँ दी गई हैं । तुम इन कृतियों को ऊपर उल्लिखित किस स्वतंत्रता के साथ जोड़ोगे ?

'अ' ने आदिवासियों की समस्याओं को हल करने के लिए 'आदिवासी सहयोग मंच' का गठन किया । 'ब' ने अपने पिता जी का बेकरी उत्पादन का व्यवसाय गोआ से महाराष्ट्र में ले आने का निर्णय किया ।

'क' व्यक्ति को सरकार की नई कर संरचना की नीतियों में दोष अनुभव हुए । इस संदर्भ में उस व्यक्ति ने एक लेख लिखकर प्रकाशित करवाने हेतु समाचारपत्र को भिजवाया ।

क्या तुम जानते हो ?

संविधान द्वारा हमें अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं परंतु हम उनका लापरवाही अथवा दायित्वहीनता के साथ उपयोग नहीं कर सकते । हमारे ऐसे व्यवहार के कारण दूसरों की हानि नहीं होगी; इसका हमें बोध रहना चाहिए । हमें अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त है परंतु उकसाने अथवा भड़काने वाला लेखन कार्य अथवा भाषण हम नहीं कर सकते ।

संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा हमें न केवल घूमने-फिरने अथवा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई है अपितु हम सुरक्षित रह सकें; इस हेतु हमारे लिए संरक्षण उपलब्ध करवा दिया है । कानून का संरक्षण सभी को समान रूप से प्राप्त है । उससे किसी को भी वंचित नहीं रखा जा सकता । जैसे- हम सभी को जीने का अधिकार है । ऊपरी तौर पर यह अधिकार सीधा-सादा अनुभव होता है परंतु उसमें गहन अर्थ छुपा हुआ है । इसका अर्थ जीने की गारंटी और जीने के लिए पोषक/अनुकूल परिस्थिति का होना है । किसी भी व्यक्ति का जीवन कोई भी छीन नहीं सकता । बिना किसी कारण/प्रमाण के किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाकर कारागार में रख नहीं सकते ।

स्वतंत्रता के अधिकार में अब शिक्षा के अधिकार का भी समावेश किया गया है । ६ से १४ वर्ष आयु वर्ग के सभी लड़के-लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है । इस अधिकार के कारण अब शिक्षा से कोई भी वंचित नहीं रहेगा ।

विचार करो

जीवन छीन लेने के अधिकार के लिए अन्य दूसरे कुछ पूरक अधिकार हैं । जैसे-एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता । किसी भी व्यक्ति को दंडित करने से पूर्व उसपर लगाए गए अभियोग सिद्ध किए जाने चाहिए । यह काम न्यायालय करता है । अभियोग सिद्ध करने वाले प्रमाणों-सबूतों को इकट्ठा करना और न्यायालय में मुकदमा दायर करना पुलिस का काम होता है । 'मैंने अपराध किया है;' ऐसा कहने वाले व्यक्ति को भी आनन-फानन दंडित नहीं किया जा सकता। उस व्यक्ति का अपराध भी कानून के आधार पर सिद्ध होना आवश्यक होता है । न्यायालय की इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है परंतु यह इसलिए आवश्यक है कि किसी भी अबोध अथवा निरपराध व्यक्ति को दंड भोगना न पड़े ।

शोषण के विरुद्ध अधिकार : शोषण की रोकथाम करने के लिए शोषण का शिकार न होने देने, अपना शोषण अथवा दमन न होने देने के अधिकार को शोषण के विरुद्ध का अधिकार कहते हैं ।

एक ओर संविधान ने शोषण के विरुद्ध का अधिकार प्रदान कर शोषण और दमन के सभी प्रकारों पर प्रतिबंध लगाया है; वहीं दूसरी ओर बालकों के होने वाले शोषण की रोकथाम करने हेतु विशेष प्रावधान भी किया है । इस प्रावधान के अनुसार १४ वर्ष से कम आयुवाले बालकों को खतरनाक और असुरक्षित स्थानों पर काम पर रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है । कारखानों, खदानों जैसे स्थानों पर बालकों की नियुक्ति कर उनसे काम करवाया नहीं जा सकता ।

किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा न होने पर भी बेगार अथवा सख्ती/कड़ाई से काम करवा लेना, कुछ व्यक्तियों के साथ बंधुआ मजदूर अथवा दास की तरह व्यवहार करना, उन्हें काम का पारिश्रमिक न देना, उनसे कड़ा परिश्रम करवाना, उन्हें भूखों रखना अथवा उनपर अन्याय-अत्याचार करना शोषण के विभिन्न प्रकार हैं । शोषण प्रायः महिलाओं, बालकों, समाज के दुर्बल वर्गों और सत्ताहीन लोगों का होता है । शोषण किसी भी प्रकार का हो; ऐसे शोषण के विरुद्ध खड़े होने का यह अधिकार है ।

चलो, चर्चा करें

- यहाँ बाल मजदूर काम नहीं करते ।
- यहाँ मजदूरों को प्रतिदिन वेतन दिया जाता है ।

तुम अनेक दूकानों और होटलों में ऐसी तख्तियाँ अथवा पाटियाँ देखते हो । उन तख्तियों और संविधान में उल्लिखित अधिकारों के बीच भला क्या संबंध हो सकता है ?

चलो, चर्चा करें

किसी भी व्यक्ति का शोषण न हो तथा वह अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सके; इसके लिए सरकार ने अनेक कानून बनाए हैं । यहाँ कुछ कानूनों का उल्लेख किया गया है । ऐसे अन्य दूसरे कौन-से कानून हैं; वे ढूँढ़ो और उनपर विचार-विमर्श करो ।

- न्यूनतम वेतन अधिनियम : कारखाने में काम के घंटे, विश्राम का समय आदि के संबंध में अधिनियम ।
- महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने वाला कानून - .....

इस पाठ में हमने भारतीय संविधान में उल्लिखित समता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध के अधिकारों का अध्ययन किया । अगले पाठ में हम कुछ और मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे ।

7E7T4U

स्वाध्याय

१. निम्न प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखो :

(१) मौलिक अधिकार किसे कहते हैं ?

(२) विभिन्न क्षेत्रों में गौरवपूर्ण कार्य करनेवाले व्यक्तियों को सरकार की ओर से कौन-कौन-से पदक/उपाधियाँ दी जाती हैं ?

(३) चौदह वर्ष से कम आयुवाले बालकों को खतरनाक अथवा असुरक्षित स्थानों पर काम पर रखने पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है ?

(४) संविधान द्वारा भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार क्यों प्रदान किए गए हैं ?

२. 'स्वतंत्रता का अधिकार' विषय पर चित्र पट्टिका तैयार करो ।

३. निम्न वाक्यों में सुधार कर पुनः लिखो :

(१) किसी भी व्यक्ति को जन्मतः अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं ।

(२) सरकारी नौकरियों पर रखते समय सरकार धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव कर तुम्हें नौकरी से वंचित रख सकती है ।

४. निम्न संकल्पना चित्र पूर्ण करो :

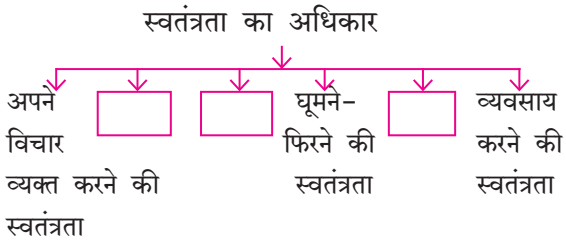

उपक्रम

(१) समाचारपत्र में छपने वाले 'जानकारी का अधिकार', 'शिक्षा का अधिकार' जैसे कुछ महत्त्वपूर्ण अधिकारों का संग्रह करो ।

(२) तुम्हारे परिसर में किसी इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है और यदि वहाँ छोटे बालक मजदूरी करते पाए गए तो उनसे और उनके माता-पिता से विचार-विमर्श करके उनकी समस्याओं को कक्षा में प्रस्तुत करो।

५. मौलिक अधिकार भाग–२

पिछले पाठ में हमने भारतीय संविधान द्‌वारा दिए गए कुछ मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया है । हमने स्वतंत्रता, समता के साथ-साथ शोषण के विरुद्‌ध के अधिकार का अध्ययन किया । इस पाठ में हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की जानकारी प्राप्त करेंगे । साथ ही मौलिक अधिकारों को प्राप्त न्यायालयीन संरक्षण की भी हमें जानकारी लेनी है।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार : हम जानते हैं कि भारत पूरे विश्व में अग्रणी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। पिछली कक्षाओं में भी हमने इसका अध्ययन किया है परंतु इस विषय में संविधान में क्या लिखा हुआ है; इसे समझ लेने की उत्सुकता तुममें होगी ना ? तो इसका उल्लेख स्वतंत्रता का अधिकार में प्राप्त है । इसके अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म की उपासना करने और धार्मिक उद्‌देश्यों के लिए संस्था स्थापित करने के अधिकार प्राप्त हैं ।

धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को अधिक व्यापक बनाने के लिए संविधान द्‌वारा धार्मिक विषय में दो बातों को अनुमति नहीं दी गई है । (१) जिस कर का उपयोग विशिष्ट धर्म को प्रोत्साहन अथवा बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा; सरकार ऐसे कर लाद नहीं सकती । संक्षेप में; संविधान ने धार्मिक कर लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है । (२) सरकार से आर्थिक सहायता लेने वाले शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं किया जा सकता ।

सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार : हमारे देश में तीज-त्योहार, पर्व, भोजन और जीवन प्रणाली को लेकर बहुत विविधता पाई जाती है; यह हम देखते हैं । तुमने विवाह समारोह में देखा ही होगा तो तुम्हें विभिन्न विवाहों में पाया जानेवाला अंतर अनुभव हुआ ही होगा । ये सभी अलग-अलग बातें अथवा भिन्नताएँ अलग-अलग लोकसमूह की संस्कृति का हिस्सा होती हैं । हमारे संविधान ने विभिन्न लोकसमूहों, उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता का संवर्धन और संरक्षण करने का अधिकार प्रदान किया है । इसके अनुसार अपनी भाषा, लिपि, साहित्य का संवर्धन तो कर ही सकते हैं लेकिन इसके साथ-साथ उनके संवर्धन हेतु प्रयास भी किए जा सकते हैं । भाषा का विकास करने के लिए संस्थाओं का गठन भी किया जा सकता है ।

ढूँढ़ो और चर्चा करो

- संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की है ?
- हिंदी भाषा के संवर्धन हेतु सरकार ने किन संस्थानों का गठन किया है ?
- मराठी भाषा के संवर्धन हेतु महाराष्ट्र सरकार ने किन संस्थानों का गठन किया है ?

चलो, चर्चा करें

महाराष्ट्र सरकार और न्यायालय का सभी कामकाज मराठी में किया जाना चाहिए; ऐसा तुम्हें लगता है क्या ? इसके लिए क्या करना होगा ?

संवैधानिक उपचारों का अधिकार : अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय में याचना करने का अधिकार भी एक प्रकार से मौलिक अधिकार है । इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं । इसका अर्थ यह है कि यदि आपके अधिकारों का हनन होता है तो इसके विरुद्‌ध न्यायालय में न्याय माँगने के विषय में संविधान द्‌वारा ही प्रावधान किया गया है । इसके अनुसार अधिकारों की रक्षा करना न्यायालय पर भी बंधनकारक है ।

संविधान द्‌वारा दिए अधिकारों पर कई बार अतिक्रमण हो सकता है और हम अपने अधिकारों का

अधिकार हनन के अन्य प्रकार

- उचित कारण के अभाव में किसी व्यक्ति को बंदी बनाना ।
- उचित कारण के अभाव में किसी व्यक्ति को गाँव/शहर छोड़कर जाने के लिए मना करना ।
- कारागार के बंदियों/कैदियों को भोजन तथा औषधि से वंचित रखना ।

उपयोग कर नहीं पाते । इसी को हम हमारे अधिकारों का हनन हुआ; ऐसा कहते हैं । अधिकारों के हनन से संबंधित हमारी शिकायत पर न्यायालय विचार करता है । उसकी जाँच-पड़ताल करता है। यदि सचमुच अधिकार का हनन हुआ है अथवा संबंधित व्यक्ति पर अन्याय हुआ है; ऐसा न्यायालय को अनुभव होने पर न्यायालय उचित न्याय करता है ।

अधिकार हनन निवारण हेतु न्यायालय के आदेश : नागरिकों को दिए अधिकारों की रक्षा करने हेतु न्यायालय को विविध आदेश देने का अधिकार प्रदान किया गया ।

(१) बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) : अवैध अथवा गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाने और स्थानबद्ध करने से किसी भी व्यक्ति की रक्षा करना ।

(२) परमादेश (Mandanus) : लोगों के हित में कोई कार्य करने के लिए सरकार को दिया जाने वाला न्यायालयीन आदेश।

सरकारी अधिकारी का यह व्यवहार उचित है अथवा अनुचित ?

निराधारों के लिए बनाई गई एक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एक महिला ने सभी आवश्यक कागज (दस्तावेज) अधिकारी को दिए । उस समय अधिकारी ने यह कहकर, 'तुम निराधार (बेसहारा) नहीं लगती।' उस महिला को लाभ प्रदान करने से नकार दिया । अधिकारी का यह व्यवहार उचित है अथवा अनुचित ?

क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उपरोक्त घटना में महिला के अधिकार का हनन हुआ है? यदि उस महिला को न्याय माँगना है तो उसे कहाँ जाना चाहिए ?

न्यायालय का कामकाज

(३) निषेधात्मक आदेश (Prohibition) : निचले अथवा कनिष्ठ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करने देने का आदेश देना ।

(४) स्पष्टीकरण माँगने का अधिकार (Quo Warranto) : किस अधिकार के अंतर्गत यह कार्यवाही की गई है; इस प्रकार का स्पष्टीकरण सरकारी अधिकारी से माँगने का न्यायालयीन आदेश ।

(५) उत्प्रेक्षण (Certiorari) : निचले अथवा कनिष्ठ न्यायालय द्‌वारा दिए गए निर्णय को निरस्त कर ऊपर के न्यायालय में मुकदमा दायर करने हेतु आदेश देना ।

इस तरह मौलिक अधिकारों को न्यायालयीन संरक्षण प्राप्त रहने से नागरिक अपने अधिकारों का उपयोग उचित पद्‌धति से कर सकते हैं । वे अधिक सजग, उत्तरदायी और सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभा सकते हैं । मौलिक अधिकारों का विचार करते समय हमें अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए । इसका अध्ययन हम अगले पाठ में करेंगे ।

स्वाध्याय

१. लेखन करो :

(१) धार्मिक कर लगाने पर संविधान प्रतिबंध लगाता है ।

(२) संवैधानिक उपचारों का अधिकार का क्या अर्थ है ?

२. उचित शब्द लिखो :

(१) अवैध अथवा गैरकानूनी ढंग से बंदी बनाने तथा स्थानबद्‌ध करने से प्राप्त संरक्षण –

(२) किस अधिकार के अंतर्गत यह कार्यवाही की है, इस प्रकार का सरकारी अधिकारी से स्पष्टीकरण माँगनेवाला न्यायालयीन आदेश –

(३) लोकहित में कोई कार्य करने हेतु सरकार को दिया जानेवाला न्यायालय का आदेश

(४) निचला अथवा कनिष्ठ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन न करे; इस विषय में दिया जानेवाला आदेश –

३. हम यह कर सकते हैं; इसका कारण आगे स्पष्ट करो :

(१) सभी भारतीय नागरिक सभी पर्व-उत्सव हर्षोल्लास के साथ मना सकते हैं । क्योंकि ...

(२) मैं हिंदी भाषा में पढ़ाई कर सकता हूँ । क्योंकि...

४. रिक्त स्थान में भला कौन-सा शब्द लिखना चाहिए :

(१) अधिकार हनन के संबंध में हमारी शिकायत पर ..... विचार करता है ।

(२) सरकार से आर्थिक सहायता लेनेवाले विद्‌यालयों में ..... शिक्षा अनिवार्य नहीं की जा सकती ।

उपक्रम

तुम अपने विद्‌यालय में न्यायाधीश, वकील, पुलिस अधिकारी के साक्षात्कार का आयोजन करो ।

६. नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य

पिछले पाठ में हमने भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का अध्ययन किया । पाठ द्वारा हमें यह बोध हुआ कि भारतीय नागरिकों को कौन-कौन-से अधिकार प्राप्त हैं । यही नहीं अपितु हमने यह भी समझा कि इन अधिकारों को न्यायालयीन संरक्षण भी प्राप्त है । मौलिक अधिकारों का हमारे व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन में निहित महत्त्व भी ध्यान में आया । इस पृष्ठभूमि में हम नीति निदेशक सिद्धांत किसे कहते हैं; इसे समझेंगे ।

मौलिक अधिकार सरकार के अधिकारों पर बंधन लगाते हैं । निम्न सूची पढ़ो तो ध्यान में आएगा कि सरकार पर कौन-से बंधन लगे होते हैं । जैसे-

- सरकार नागरिकों में जाति, धर्म, वंश, भाषा तथा लिंग के आधार पर भेदभाव न करे ।
- सभी कानून के समक्ष समान हैं तथा सभी को कानून का समान रूप से संरक्षण प्राप्त है; इससे किसी को भी वंचित न रखे ।
- किसी भी व्यक्ति के प्राण छीन न लें ।
- धार्मिक कर लागू न करे ।

सरकार क्या करे; इस विषय में संविधान में कुछ निदेशों का उल्लेख प्राप्त है । इन निदेशों का उद्देश्य यह है कि संविधान की उद्देशिका में जो उद्देश्य स्पष्ट किए गए है; उन्हें प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन मिले । अतः इन निदेशों को 'नीति निदेशक सिद्धांत' कहते हैं ।

नीति निदेशक सिद्धांतों का समावेश क्यों किया गया ?

देश स्वतंत्र हुआ; उस समय हमारे सामने सब से बड़ी चुनौती देश में कानून एवं व्यवस्था निर्माण करने और सुचारु रूप से प्रशासन चलाने की थी । दरिद्रता, पिछड़ापन, निरक्षरता को दूर कर देश की शासन व्यवस्था को पटरी पर लाना था । राष्ट्र निर्माण एवं विकास का कार्य करना था । इसके लिए नव-नवीन नीतियाँ तय करना और उनका कार्यान्वयन करना आवश्यक था । लोककल्याण के उद्देश्य को साध्य करना था । संक्षेप में, भारत का रूपांतर एक नए विकसित और उन्नत देश में करना था । इसके लिए संघ सरकार और राज्य सरकार को किन विषयों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लोककल्याण हेतु कौन-सी उपाय योजनाएँ करनी चाहिए; यह संविधान में नीति निदेशक सिद्धांतों द्वारा स्पष्ट किया गया है । इन सिद्धांतों को राज्यों की नीतियों का आधार बनाया। प्रत्येक नीति निदेशक सिद्धांत में राज्य की नीति निर्धारण हेतु एक विषय निहित है । उस विषय के आनुषंगिक रूप से राज्य नई नीति निश्चित करे; यह अपेक्षा संविधान के निर्माणकर्ता ने व्यक्त की है । वे इस तथ्य से परिचित थे कि इन सभी नीतियों का कार्यान्वयन एक साथ और एक ही समय में करना हो तो उसके लिए विपुल धन की आवश्यकता अनुभव होगी । इसीलिए उन्होंने सरकार पर मौलिक अधिकारों के समान नीति निदेशक सिद्धांतों को अनिवार्य नहीं बनाया । सभी राज्य क्रमशः लेकिन निश्चित रूप से उन सिद्धांतों का कार्यान्वयन करें; ऐसी अपेक्षा संविधान निर्माताओं ने व्यक्त की ।

कुछ महत्त्वपूर्ण नीति निदेशक सिद्धांत :

- सरकार सभी को आजीविका का साधन उपलब्ध करा दे । इस बारे में स्त्री और पुरुष का भेदभाव न करे ।
- स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दे ।
- लोगों के स्वास्थ सुधार हेतु उपाय योजना करे।
- पर्यावरण की रक्षा करे ।
- राष्ट्र की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थानों अर्थात स्मारकों, वास्तुओं का संरक्षण करे ।

बताओ तो

वेतन के संदर्भ में 'समान काम के लिए समान वेतन' यह नीति निदेशक सिद्धांत है । इस सिद्धांत द्वारा संविधान के कौन-से उद्देश्य साध्य होंगे; ऐसा तुम्हें लगता है । स्त्री-पुरुष समान काम करते हैं; फिर भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम वेतन देने की घटनाएँ क्यों पाई जाती हैं ?

करके देखो

उपरोक्त नीति निदेशक सिद्धांतों के अतिरिक्त अन्य नीति निदेशक सिद्धांत यह स्पष्ट करते हैं कि सरकार को लोककल्याण हेतु क्या करना चाहिए। नीचे कुछ विषय दिए गए हैं । इस संदर्भ में कौन-सा नीति निदेशक सिद्धांत है; यह शिक्षक की सहायता से ढूँढ़ो ।

जैसे- विदेश नीति : विश्व शांति और पारस्परिक सौहार्द को प्राथमिकता

(अ) लड़कियों की शिक्षा .....

(ब) स्वस्थ और आनंदमय वातावरण में बच्चों का भरण-पोषण .....

(क) कृषि में सुधार .....

- समाज के दुर्बल वर्गों को विशेष संरक्षण प्रदान करे तथा उनके लिए विकास के अवसर उपलब्ध करा दे ।
- वृद्धावस्था, दिव्यांगत्व, बेरोजगारी से नागरिकों की रक्षा करे ।
- भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून लागू करे ।

नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं । मौलिक अधिकारों के कारण नागरिकों को अत्यावश्यक स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो नीति निदेशक सिद्धांत लोकतंत्र दृढ़ होने के लिए पोषक वातावरण का निर्माण करते हैं ।

तुम्हारे विचार में सरकार को विद्यार्थियों के लिए और अधिक क्या करना चाहिए ? तुम्हारी माँगें उचित और सही हैं; इसका विश्वास किस प्रकार दिलाओगे ?

तुम्हारी दृष्टि से सरकार द्वारा दी गईं निम्न सुविधाओं के कारण कौन-से सुधार होंगे;

(अ) सार्वजनिक स्वच्छतागृह

(ब) स्वच्छ जलापूर्ति

(क) शिशुओं का टीकाकरण

अर्थात सरकार ने किसी नीति निदेशक सिद्धांत का पालन अथवा कार्यान्वयन नहीं किया तो सरकार के विरुद्ध हम न्यायालय में नहीं जा सकते लेकिन विभिन्न स्रोतों से सरकार पर दबाव लाकर हम नीति निश्चित करने हेतु आग्रही बन सकते हैं ।

मौलिक कर्तव्य

लोकतंत्र में नागरिकों पर दोहरा उत्तरदायित्व होता है । एक ओर उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बारे में जागरूक रहना पड़ता है । अधिकारों का हनन नहीं होगा; इस बारे में सतर्क रहना पड़ता है तो दूसरी ओर कुछ कर्तव्य और उत्तरदायित्व भी पूर्ण करने पड़ते हैं । सभी भारतीयों की उन्नति एवं कल्याण साध्य होने हेतु संविधान ने मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों द्वारा अनेक प्रावधान किए हैं परंतु जब तक नागरिक अपने मौलिक कर्तव्य पूर्ण नहीं करते; तब तक सरकार द्वारा किए जाने वाले सुधारों का लाभ सभी को नहीं मिलता । जैसे-'स्वच्छ भारत' अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा स्वच्छता से संबंधित अनेक उपक्रम चलाए गए परंतु सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की अस्वच्छता और गंदगी निर्माण करने की आदतें बदलनी चाहिए । भारतीय नागरिकों को अपने दायित्वों का बोध हो; इसके लिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है । भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य इस प्रकार हैं :

- प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करे।

संविधान में उल्लिखित आदर्शों, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगीत का सम्मान करे ।

- स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरणा प्रदान करने वाले आदर्शों का पालन करे ।
- देश की संप्रभुता, एकता और अखंडितता को संरक्षित रखने हेतु प्रयत्नशील रहे ।
- अपने देश की रक्षा करे । देश की सेवा करे ।
- सभी प्रकार के भेदभावों को भुलाकर एकात्मता में वृद्धि करे और बंधुता की भावना को वृद्धिंगत करे। उन प्रथाओं का त्याग करे जिनके कारण नारी की प्रतिष्ठा कम होती है ।
- हमारी मिली-जुली सांस्कृतिक विरासत का निर्वाह करे ।
- प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे । समस्त सजीवों के प्रति दयाभाव रखे ।
- वैज्ञानिक दृष्टि, मानवतावाद और जिज्ञासावृत्ति को अंगीकृत करे ।
- सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे । हिंसा का त्याग करे।
- देश की उत्तरोत्तर उन्नति होने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों में श्रेष्ठत्व पाने का प्रयास करे।
- ६ ते १४ वर्ष आयुवर्ग के अपने बच्चों को उनके अभिभावक शिक्षा के अवसर उपलब्ध करा दें ।

सूची बनाओ

- घर में तुम किन अधिकारों की माँग करते हो और कौन-से कर्तव्य पूर्ण करते हो ?
- विद्यालय में तुम कौन-कौन-से दायित्व पूर्ण करते हो ? वहाँ का कौन-सा दायित्व पूर्ण करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता ?

स्मारक/वास्तु पर नाम उकेरता लड़का

टंगे हुए नीबू-मिर्च

बस की तोड़फोड़

सड़क पर कूड़ा-कचरा फेंकती महिला

तुम्हारे विचारानुसार इन चित्रों में किन कर्तव्यों का पालन नहीं हो रहा है ?

उपर्युक्त संवादों द्‍वारा हमें किन-किन कर्तव्यों का बोध होता है ? क्या अधिकारों और कर्तव्यों के बीच कोई संबंध होता है ? तुम्हारे विचार में कर्तव्यों का पालन करने से क्या होता है ।

तुम्हें क्या लगता है ?

६ से १४ वर्ष आयुवर्ग के लड़के-लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त है । इस आयुवर्ग के सभी लड़के-लड़कियों को विद्यालय में प्रवेश लेना आवश्यक है । फिर भी अनेक कारणों से लड़के -लड़कियाँ विद्यालय में जा नहीं पाते । उन्हें अपने माता-पिता की आर्थिक सहायता करने के लिए काम करना पड़ता है । ऐसे लड़के-लड़कियों को विद्यालय में ले आने का आग्रह करना उनपर अन्याय होगा; ऐसा तुम्हें लगता है क्या ?

इस पाठ्यपुस्तक के प्रारंभिक पाठों में हमारा भारतीय संविधान के उद्देश्यों और विशेषताओं से परिचय हुआ । भारतीय नागरिकों के अधिकार, उन अधिकारों को प्राप्त संरक्षण का भी हमने विचार किया। हमारे मौलिक कर्तव्य कौन-से हैं; इसे भी हमने समझा । अगले वर्ष हम हमारे देश का शासन कैसे चलाया जाता है; इसका अध्ययन करेंगे ।

7EQK85

स्वाध्याय

१. सरकार पर कौन-से बंधन होते हैं; इसकी निम्न चौखट में तालिका बनाओ ।

- _____
- _____
- _____

२. निम्न कथनों को पढ़ो और 'जी हाँ'/'जी नहीं' में उत्तर लिखो :

(१) समाचारपत्र में दिए गए नौकरी के विज्ञापन में महिला और पुरुष के लिए पद होते हैं .....

(२) एक ही कारखाने में एक ही प्रकार का काम करनेवाले स्त्री-पुरुष को अलग-अलग वेतन मिलता है ...

(३) स्वास्थ्य सुधार योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलाई जाती हैं .....

(४) राष्ट्र की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्मारकों वास्तुओं का संरक्षण करना चाहिए .....

३. क्यों, यह बताओ :

(१) ऐतिहासिक वास्तुओं, भवनों, स्मारकों का संरक्षण करना ।

(२) वृद्धों के लिए पेन्शन योजना चलाई जाती है ।

(३) ६ से १४ आयुवर्ग के बालकों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराया गया है ।

४. उचित अथवा अनुचित; यह बताओ । अनुचित कथन को सुधारो ।

(१) राष्ट्रध्वज को जमीन पर गिरने न देना ।

(२) राष्ट्रगीत जब चल रहा हो; उस समय सावधान की स्थिति में खड़ा रहना ।

(३) हमारे ऐतिहासिक स्मारक/वास्तु पर अपना नाम लिखना/उकेरना ।

(४) समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम वेतन देना ।

(५) सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखना ।

५. लेखन करो :

(१) संविधान के कुछ नीति निदेशक सिद्धांत पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं; वे कौन-से हैं ?

(२) भारतीय संविधान में उल्लिखित नीति निदेशक सिद्धांतों में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून का प्रावधान क्यों किया होगा ?

(३) नीति निदेशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं; ऐसा क्यों कहा जाता है ?

६. नागरिक पर्यावरण का संवर्धन और संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं; उदाहरणसहित लिखो ।

उपक्रम

(१) शिक्षा हमारा अधिकार है; लेकिन उस संदर्भ में हमारे कर्तव्य कौन-से हैं; इसपर समूह में विचार-विमर्श करो ।

(२) राष्ट्र की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण वास्तुओं, स्मारकों का संवर्धन करने हेतु राज्य सरकार उपाय करे; ऐसा नीति निदेशक सिद्धांत है । किलों/गढ़ों के संरक्षण हेतु राज्य सरकार ने क्या किया है; वह ढूँढ़ो और सूची बनाओ ।

(३) बालकों के स्वास्थ्य के लिए सरकार कौन-सी योजनाएँ चलाती है; इस विषय में जानकारी प्राप्त करो ।

कालखंड - ८ वीं शताब्दी से १९ वीं शताब्दी
प्रमुख घटनाओं का अवलोकन

घटनाक्रम को नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते जाएँ ।

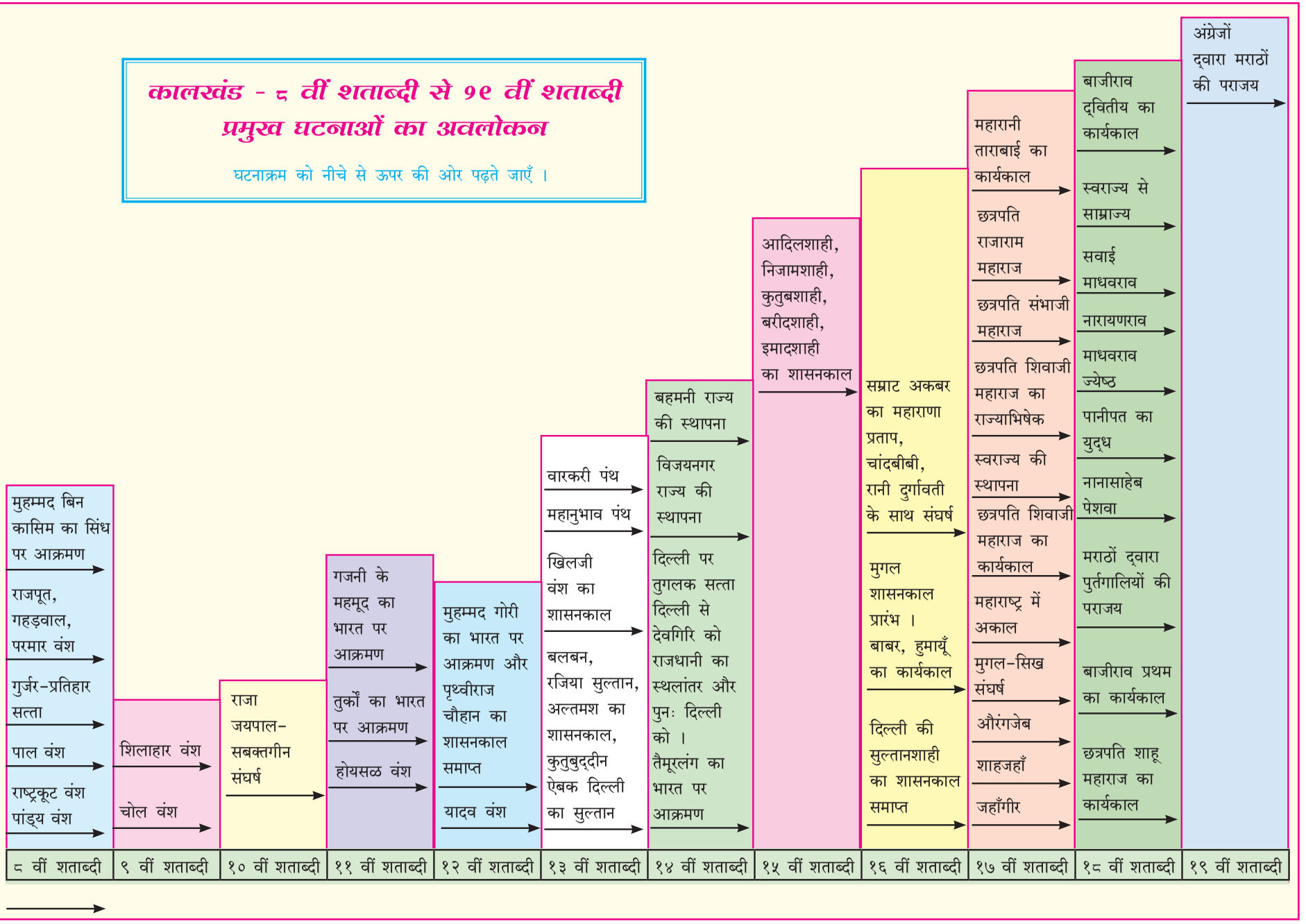

छत्रपती शिवाजी महाराज स्मृतिग्रंथ

- सामान्य रयतेच्या कल्याणासाठी स्थापन केलेल्या स्वराज्य स्थापनेची कथा उलगडणारे पुस्तक.
- छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या उत्तुंग कार्य व त्यामागची तेवढीच उत्तुंग व उदात्त भूमिका वाचकांसमोर आणणारे प्रेरणादायी वाचन साहित्य.
- इतिहास वाचनासाठी पूरक असे संदर्भ पुस्तक.

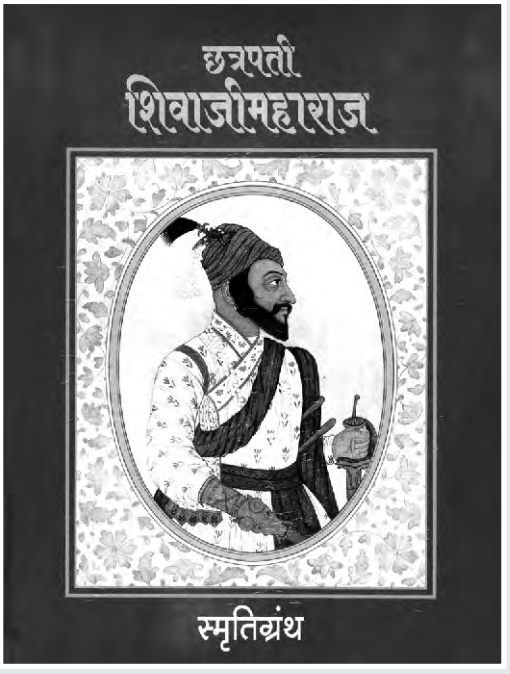

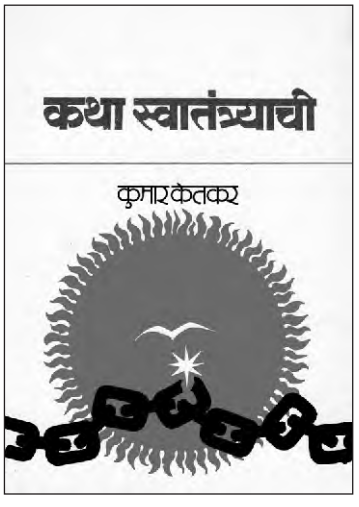

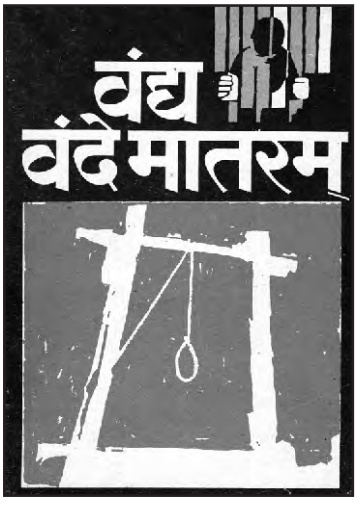

- इतिहास वाचनासाठी पूरक अशी संदर्भ पुस्तके.
- निवडक लेखक, इतिहासकारांचे प्रेरणादायी लेख.

पुस्तक मागणीसाठी www.ebalbharati.in, www.balbharati.in **संकेतस्थळावर भेट द्या.**

साहित्य पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या विभागीय भांडारांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध आहे.

ebalbharati

विभागीय भांडारे संपर्क क्रमांक : पुणे - ☎ २५६५९४६५, कोल्हापूर- ☎ २४६८५७६, मुंबई (गोरेगाव) - ☎ २८७७१८४२, पनवेल - ☎ २७४६२६४६५, नाशिक - ☎ २३९१५११, औरंगाबाद - ☎ २३३२१७१, नागपूर - ☎ २५४७७१६/२५२३०७८, लातूर - ☎ २२०९३०, अमरावती - ☎ २५३०९६५

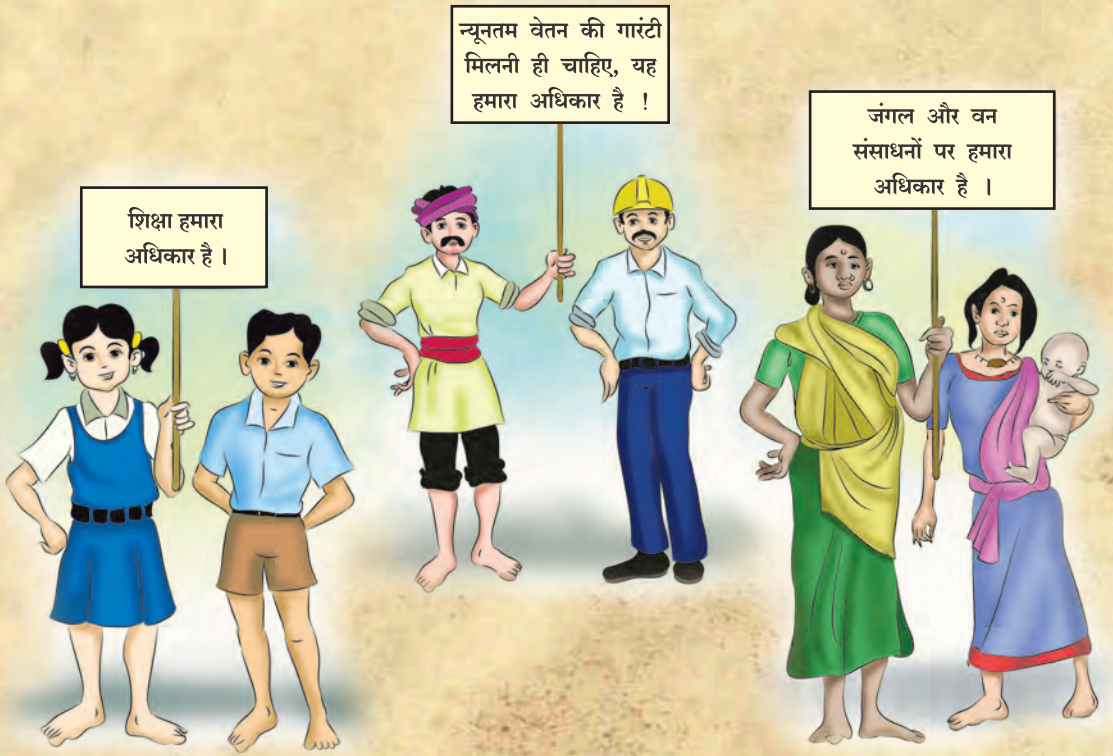

महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
इतिहास व नागरिकशास्त्र इ. ७ वी (हिंदी माध्यम)
₹ 40.00